द्वितीय माला, खण्ड ५—अंक २६

२० अगस्त, १९५७ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

149 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ९६८ से ९७५, ९७७ से ९८३ और ९८५ . ३९६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ और १६ . . . ३९८४—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९७६, ९८४ और ९८६ से १००३ . . ३९८६—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२९ से ७५८ . . . . ३९९३—४००५

राज्य-सभा से संदेश ४००५-०६

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक--

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ४००६

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ४००६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

यमुना में बाढ़ ४००६

एक सदस्य की गिरफ्तारी तथा निरोध ४००७

अनुदानों की मांगें ४००७--४९

गृह-कार्य मंत्रालय ४००७--४३

श्री दातार . . . . . ४००७—०९

श्री सम्पत ४००९-१०

श्री बा० चं० कामले . . . . . ४०१०—१२

श्री ना० नि० पटेल . . . . . ४०१२—१६

श्री जगन्नाथ राव . . . . . ४०१६—१८

श्री नाथ पाई . . . . . ४०१८—२१

श्री ब० स० मूर्ति . . . . . ४०२१—२३

श्री अय्याकण्णु ४०२३-२४

श्री अवस्थी . . . . . ४०२४—२८

श्री दौलता . . . . . ४०२८—३२

श्री तिम्मय्या ४०३२-३३

डा० सुशीला नायर . . . . . ४०३३—३५

पंडित गो० ब० पन्त . . . . . ४०३५—४२

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय . . . . . ४०४३—४९

श्री वें० प० नायर . . . . . ४०४४—४६

श्री शंकर पांडियन ४०४६-४७

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा . . . . ४०४७—४९

श्री बासप्पा ४०४९

श्री न० रा० मुनिस्वामी ४०४९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४०५०—५३

*किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, २० अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सोने का तस्कर-व्यापार

†*९६८. श्री वोडयार :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मू० चं० जैन :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री गणपति राम :
श्री टांटिया :
श्री सूपकार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह चोरी-छिपे भारत में सोना लाया करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस का कोई सदस्य गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि इन तस्कर-व्यापारियों के पास विदेशीय विनिमय की क्या व्यवस्था है;

(घ) क्या इस में कस्टम अधिकारियों का भी कुछ हाथ था; और

(ङ) यदि हां, तो उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). यह सच है कि गत कुछ महीनों में देश के विभिन्न भागों में काफी मात्रा में सोना और भारतीय मुद्रा पकड़ी गई है और इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। इन मामलों की जांच अभी भी चल रही है और कुछ व्यक्तियों पर न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है। इस अवस्था में यह बिल्कुल ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह यह कार्य कर रहा है या नहीं।

† मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). १९५६ से तीन मामलों की सूचना मिली है जिन में कस्टम अधिकारियों का हाथ बताया जाता है और उन की जांच की जा रही है ।

†श्री वोडयार : क्या सरकार यह जानती है कि भारत में किन किन देशों से सोना चोरी-छिपे लाया जाता है ?

†श्री ब० रा० भगत : आस पास के देशों से ।

†श्री वोडयार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चोरी-छिपे लाया गया सोना मलाबार, सौराष्ट्र और पंजाब में पाया गया है, क्या इस का अर्थ यह है कि ये तस्कर व्यापारी भारत में सब राज्यों में फैले हुए हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : हमारी सीमा-रेखा बहुत बड़ी है और उन्हें जहां भी सुविधा होती है वहीं वे अपना कार्य करते हैं ।

†श्री सूपकार : चोरी छिपे लाया गया सोना कुल कितने मूल्य का था और यह तस्कर व्यापार किन किन मुख्य स्थानों में किया जाता है ?

†श्री ब० रा० भगत : क्या माननीय सदस्य १९५७ के आंकड़े जानना चाहते हैं ?

†श्री सूपकार : मैं गत एक वर्ष के आंकड़े चाहता हूं ।

†श्री ब० रा० भगत : १९५६ में, पूरे वर्ष में, देश में चोरी-छिपे लाये गये और पकड़े गये सोने तथा मुद्रा का मूल्य लगभग ५९ लाख रुपये है । १९५७ में जून तक ४७,३७,३७३ रुपये के सोने और मुद्रा के तस्कर व्यापार का पता लगा है ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि पंजाब के मुख्य मंत्री के पुत्र के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से कुछ आरोप लगाये गये थे कि वह तस्कर-व्यापारियों के एक गिरोह का नेता है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं समाचारपत्रों में प्रकाशित बातों पर, विशेषकर ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो यहां अपनी सफाई देने के लिये उपस्थित नहीं है, अपना मत व्यक्त नहीं करूंगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी उठे—

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया मेरी बात सुनें । प्रमुख व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऐसे गंभीर आरोपों के बारे में मैं चाहूंगा कि प्रश्न पूछने के पूर्व माननीय सदस्यों को जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । निस्सन्देह , समाचार पत्र जानकारी देते हैं; वह भी एक सूत्र है । माननीय सदस्यों को पत्र भी मिलते होंगे । यद्यपि मैं ऐसे प्रश्नों को बन्द नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि यह स्थान सब वैध व्यथाओं के निराकरण का है । परन्तु जब कोई आरोप एक बार सार्वजनिक रूप से लगाया जाता है, तो चाहे वह सिद्ध हो या नहीं, चाहे वह सच हो या नहीं, उस का एक असर होता है जो मिटाया नहीं जा सकता । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि किसी मामले के सम्बन्ध में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे गम्भीर आरोप लगाने से पूर्व वह मंत्री जी को पत्र लिख सकते हैं और ठीक स्थिति मालूम करने का प्रयत्न कर सकते हैं । यदि उन्हें सन्तोष न हो तो वह मुझे पत्र लिख सकते हैं । मैं उस की जांच करूंगा और यदि आवश्यक होगा तो उसे सदन के समक्ष

†मूल अंग्रेजी में

लाऊंगा। जब किसी अत्यन्त गम्भीर मामले पर अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है तो क्या होगा ? देश में १४ विधान सभायें और ८ परिषदें हैं। यदि किसी अन्य सभा के किसी माननीय सदस्य के कुछ सम्पर्क हैं, तो वह व्यक्ति भी उस में अन्तर्ग्रस्त होता है। क्या आप के कहने का अर्थ यह है कि मैं चुप रहूंगा। मैं कहूंगा "नहीं, नहीं; यह गलत है।" मेरा यह भी कर्तव्य है कि मैं यह देखूं कि ऐसे कोई आरोप न लगाये जायें जिन का प्रतिवाद यहां न किया जा सके, जब तक कि उन के समर्थन में कोई बहुत अधिकृत साक्ष्य न दिया गया हो जिस मामले में मैं स्वयं उस की अनुमति दूंगा यदि वह हमारे क्षेत्राधिकार में हो।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: इस मामले में एक जिम्मेदार आदमी द्वारा दिया गया एक वक्तव्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या भारत सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित उस अत्यन्त गंभीर आरोप पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तस्कर-व्यापार हो रहा है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने वैसा अभी अभी कहा है, परन्तु उसके पूर्व भी तो माननीय सदस्य माननीय मंत्री को लिख सकते थे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह समाचार बहुत ज्यादा फैल चुका है। एक समाचार-पत्र ने लिखा है कि "उन्हें मेरे ऊपर मानहानि का अभियोग चलाना चाहिये।"

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : समस्त पंजाब में एक आन्दोलन चल रहा है। संबंधित व्यक्ति ने मुख्य मंत्री के लड़के को अदालत में आने की चुनौती दी है। उसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जांच की मांग की है। क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है और क्या उसने कोई जांच की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जी बोलें।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : बात इस प्रकार है। जहां तक हमें प्राप्त सूचना का संबंध है ये सब वक्तव्य सच नहीं हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। जो कुछ हो रहा है उस के बारे में मैं इस से अधिक कुछ नहीं कह सकता। यदि किसी विधान सभा में कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य को चुनौती देता है और वह न्यायालय में मुकदमा चलाता है तो मुझे कार्यवाही में अपराध करने में सहायक[1] बनने को विवश नहीं किया जाना चाहिये। मैं इन सब झगड़ों से बचा रहना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी ऐसे मामले का जो इस सदन के क्षेत्राधिकार में है, समाचार पत्रों में इतना विरोध किया गया है और ऐसे शीर्ष समाचार प्रकाशित होते हैं, तो सदन को यह पूछने का अधिकार है कि क्या वह सरकार की जानकारी में आया है; प्रत्येक साधारण मामले में नहीं परन्तु गम्भीर मामलों में जो समाचार पत्रों में बहुत मोटे टाइप में छपे हैं, कोई संभवतः यह कह सकता है कि "यह सच है" अथवा "नहीं, यह सच नहीं है।"

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं ऐसे तथ्यों के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दे सकता जो मुझे ज्ञात नहीं है। जहां तक सरकारी अधिकारियों का संबंध है मुझे जो रिपोर्टें दी गई हैं उन के आधार पर, मैं अनुभव करता हूं कि ये जो आरोप लगाये गये हैं वे उचित नहीं हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह सच है कि आयात किया गया अधिकांश सोना जो ईरान की खाड़ी से आता है इस देश के निकटवर्ती छोटे छोटे द्वीपों पर उतारा जाता है जैसे नूरू, अजद, आदि

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Particeps Cyiminis

और फिर वह सोना सालिया लाया जाता है और फिर जामनगर ? सरकार को तस्कर व्यापार के लिये कितने पोतों की जांच करनी पड़ी, क्योंकि लदान और उतराई सदा इन द्वीपों पर की जाती है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†श्री म० ला० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री जी की ओर से बताया गया है कि हमारे देश की बहुत लम्बी सीमा है । क्या इस का यह मतलब है कि हम इस स्मगलिंग को इसी तरह से चलने देंगे, यदि नहीं, तो वे कौन से विशेष प्रयत्न हैं जो कि सरकार द्वारा सीमा पर स्मगलिंग को रोकने के लिये किये जा रहे हैं ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह अनुभव किया जाता है कि हम अपराध नहीं होने देना चाहते और इसीलिये भारतीय दंड संहिता और उसे लागू करने के लिये पुलिस बल है । फिर भी अपराध होते रहते हैं और वे अधिकांश मामलों में उस का पता लगाने और अपराधी को दंडित करने में सफल रहते हैं । इसी तरह, तस्कर व्यपार के संबंध में, हमारी बहुत बड़ी सीमा-रेखा है और सैंकड़ों मीलों में हर जगह आदमी नियुक्त नहीं किये जा सकते; यह संभव नहीं है । वास्तव में इस प्रयोजन के लिए हम बहुत अधिक धन खर्च कर रहे हैं और जहां तक तस्कर-व्यापार को रोकना संभव होता है हम उसका प्रयत्न कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि कुछ समय से वे इस संबंध में बहुत सतर्क रहे हैं । पर यदि कोई यह पूछे कि क्या हम तस्कर-व्यापार पूर्णतः रोक सकते हैं तो मैं उस के उत्तर में यह पूछूंगा कि क्या कोई सरकार अपराधों को पूर्णतः रोक सकी है ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं गम्भीरतापूर्वक एक सुझाव रखना चाहता हूं । मैं देखता हूं कि बहुत से महत्वपूर्ण मामले आते हैं जिन्हें प्रश्नों के घण्टे में नहीं निपटाया जा सकता । वित्त मंत्रालय की मांगें आ रही हैं, माननीय सदस्य अपने को समूहों में विभाजित कर लें और यह निश्चित कर लें कि कौन सोने के तस्कर व्यापार पर बोलेगा और कौन अन्य प्रश्नों पर । यह बहुत महत्व का विषय है । यदि और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो मैं अवसर दूंगा । माननीय सदस्यों में सम्पूर्ण विषय विभाजित कर लिया जाय कि कौन किस प्रश्न पर बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिये कि सब माननीय सदस्य एक ही बात दुहरायें । मैं माननीय सदस्यों के विचारार्थ यह सुझाव रख रहा हूं ।

अनाथ और आवारा बच्चे

*९६९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों और संघ क्षेत्रों में अनाथ और आवारा बच्चों को शिक्षा तथा भरण-पोषण की सुविधायें देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : भारत सरकार अनाथ और आवारा बच्चों की शिक्षा तथा उन के भरण-पोषण के लिये सहायता कर रही है । यह सहायता केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की मार्फत अनुदान देकर की जा रही है । स्त्री और बाल संस्था (लाइसेंस) अधिनियम १९५६ के अधीन नियम बनाते समय, भारत सरकार इस बात की वांछनीयता पर विचार कर रही है कि प्रार्थी संस्थायें आवश्यक रूप से शिक्षा और भरण पोषण के पर्याप्त स्तर कायम रखें ।

†कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेजी का उत्तर ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन में जब मेरा विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था तो माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार स्वयं इस के बारे में एक बिल पेश करेगी। सराकार ने एक चिल्ड्रेन बिल यहां पर पेश किया, मैं जानना चाहता हूं कि उस बिल का क्या हुआ और उस को इतने दिनों तक पैंडिंग क्यों रक्खा गया कि वह पिछली लोक-सभा के समय में पास नहीं हुआ और अब उस के लिये क्या किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, चिल्ड्रेन्स बिल का जहां तक सम्बन्ध है वह पार्ट सी स्टेट्स से सम्बन्धित था और चूंकि पार्ट सी स्टेट्स गायब हो गई हैं इसलिये वह बिल लाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि .....

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारा है । जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं उन्हें एक या दो अवसर दिये जाते हैं। मैं उन्हें बाद में पुकारूंगा।

†श्री म० ला० द्विवेदी : यह मेरा प्रश्न है। मैं ने अभी केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से प्रश्न पूछने के लिये बाद में कहूंगा ।

†श्री र० स० अरुनुगम् : मद्रास राज्य में कुछ लोकोपकारी संस्थायें और कुछ गैर-सरकारी व्यक्ति अनाथालय चलाते हैं और मद्रास सरकार प्रति व्यक्ति ७।। रुपये प्रति मास अनुदान देती है। इतनी सी राशि इन अनाथालय वासियों के पोषण के लिये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है और इसलिये वे उन संस्थाओं में अधिक अनाथों को लेने में असमर्थ हैं। क्या केन्द्रीय सरकार इन संस्थाओं को सहायता के रूप में अधिक धन देने का प्रयत्न करेगी ताकि वे अधिक अनाथालय चलायें और अधिक विद्यार्थियों को लें ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य किसी संस्था का निर्देश कर रहे हैं जिसे मद्रास सरकार से अनुदान मिलता है। मैं उन अनुदानों का निर्देश कर रहा हूं जो केन्द्रीय सरकार और समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दिये जा रहे हैं। यदि समाज कल्याण बोर्ड को उचित प्रार्थना पत्र दिया जाये तो मुझे विश्वास है कि वह इस मामले पर उचित रूप से विचार करेगा ।

†श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया था कि पार्ट सी स्टेट्स के लिये बिल बनाया गया था, मेरा ख्याल है कि जो पिछली पार्ट सी स्टेट्स थीं वह अब इंडियन टैरिटैरीज कहलाती हैं तो क्या सरकार अब उन टैरिटैरीज के लिये कोई बिल पेश कर रही है और जो सूबे की सरकारें हैं उन को भारत सरकार इस दिशा में क्या सलाह दे रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : 'ग' श्रेणी के राज्य संघ के अंग बन गये हैं ।

†श्री म० ला० द्विवेदी : जी, हां ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि कोई छोटा प्रदेश भी हो तो सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस के लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

†श्री ब० स० मूर्त्ति ; ये अनुदान किस तरह दिये जाते हैं, क्या प्रत्येक प्रार्थना पत्र की छानबीन की जाती है और अनुदान दिये जाते हैं, अथवा यह अनाथालय संबंधी कार्य करने के लिये राज्य को एक पुंज राशि अनुदान दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : अनुदान कुछ सुनिश्चित नियमों के अनुसार दिये जाते हैं जो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने बनाये हैं। क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं उन नियमों को पढ़ कर सुनाऊं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उन्हें संसद में उपलब्ध कोई पुस्तक का नाम बतादें अथवा उस की एक प्रति पुस्तकालय में रख दें।

†डा० का० ला० श्रीमाली : बहुत अच्छा, श्रीमान्।

†श्री तिम्मय्या : क्या माननीय मंत्री इस का कोई अनुमान करा सकते हैं कि राज्य से कितने अनाथ और आवारा बच्चों को लाभ होता है ? यदि वह संख्या नहीं बता सकते तो क्या यह बता सकते हैं कि समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कितनी संस्थाओं को सहायता दी जाती है।

†डा० का० ला० श्रीमाली : बोर्ड ने अपने प्रादुर्भाव के समय से २९२ संस्थाओं की सहायता की है और २५,३१,९४५ रुपये मंजूर किये हैं।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि राज्यों में अनाथ और आवारा बच्चों को १८ वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनाथालयों में नहीं रहने दिया जाता है ? यदि हां, तो जब माननीय मंत्री यह कहते हैं कि समाज कल्याण बोर्ड ने इन व्यक्तियों का प्रभार ले लिया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या समाज कल्याण बोर्ड इन लड़कों और लड़कियों की शिक्षा और उन के पोषण का प्रभार लेता है ?

†अध्यक्ष महोदय : आदमी को १८ के बाद भी अनाथ रहना चाहिये ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न अनाथों और आवारा बच्चों के सम्बन्ध में है।

†अध्यक्ष महोदय : वह आयु की सीमा जानना चाहते हैं।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास उस की जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि वह समस्त देश में प्रत्येक संख्या में भिन्न-भिन्न है।

पंजाब में सैनिक-गृह[२]

*†९७०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सैनिक-गृहों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव के कब तक कार्यरूप में परिणत होने की आशा है?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि प्रस्तावित गृह कब खोले जायेंगे क्योंकि यह अनेक बातों पर निर्भर है: भूमि की उपलब्धता के अतिरिक्त, उसका अर्जन, भवनों आदि की योजनाओं और प्राक्कलनों की तैयारी जिनमें समय लगेगा। जहां तक प्रतिरक्षा मंत्रालय का संबंध है, इस समय नया निर्माण केवल ऐसे कार्यों तक सीमित है जो अनिवार्य और अपरिहार्य हों।

†श्री दी० चं० शर्मा : पंजाब में इस समय कितने सैनिकगृह हैं और उन पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२]Soldiers Home

†**सरदार मजीठिया** : पंजाब में १९ सैनिक-गृह हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या उनकी संख्या समस्त राज्य में उचित रूप से बंटी हुई है अथवा ऐसा है कि एक क्षेत्र में बहुत से हों और दूसरे में एक भी नहीं ?

†**सरदार मजीठिया** : मुझे उसके संबंध में जानकारी नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं नाम पढ़कर सुना दूं : फीरोज़पुर, गुडगांव, लुधियाना, होशियारपुर, रोहतक, कांगड़ा, हिसार. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री सारे के सारे १९ पढ़ कर सुनायेंगे ?

†**सरदार मजीठिया** : केवल १९।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को पंजाब की अच्छी जानकारी है। वह केवल इतना जानना चाहते हैं कि वे सब एक क्षेत्र में हैं अथवा सब क्षेत्रों में हैं।

†**सरदार मजीठिया** : मैं समझता हूं कि वे सब जगह फैले हुए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : बस यही पर्याप्त है।

†**श्री केशव** : क्या ये गृह केवल पंजाब के लिए ही हैं अथवा वे अन्य भागों में भी खोले जाते हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : ये समस्त देश में हैं; मद्रास, आन्ध्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बम्बई, मैसूर, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं।

प्रविधिक अनुभव के लिये विद्यार्थियों का आदान-प्रदान

†*९७१. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रविधिक अनुभव के लिए विद्यार्थियों के आदान-प्रदान के अंतर्राष्ट्रीय संघ[१] के अन्तर्गत अभी तक कितने भारतीय राष्ट्रजनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या सहायता दी जाती है;

(ग) क्या उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई विदेशी विद्यार्थी भारत को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १३४

(ख) कोई नहीं ।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) एक ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : प्रशिक्षिण प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी छात्रों को वास्तव में उन कामों पर लगाया गया है जिनके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था? क्या उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसे काम दिये गये हैं जिनके लिये उन्हें प्रशिक्षण न दिया गया हो?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : काम देने की जिम्मेदारी संघ पर नहीं है। यह संघ आदान-प्रदान कार्यक्रमों के जरिये छात्रों के लिये केवल ऐसे प्रशिक्षण का प्रबन्ध करता है जिसके लिये सुविधायें भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : द्वितीय योजना के लिये कुल कितने व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में मोटे तौर पर उसके प्राक्कलन बताये हैं। मैं माननीय सदस्य से योजना आयोग का प्रतिवेदन देखने के लिये कहूँगा।

†**श्री दामानी** : किस उद्योग में छात्रों का आदान-प्रदान किया जा रहा है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विभिन्न प्रविधिक व्यवसायों में।

†**श्री दामानी** : ये कौन से विशिष्ट उद्योग हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : अनेक ऐसे उद्योगों में जहां प्रविधिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ के तत्त्वाधान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ३४ छात्रों में से कितने को सरका ी नौकरी दी गयी है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

रुपया तेल समवाय[*]

+

†*९७२. { **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री पुन्नूस : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम में तेल की खोज करने के लिये एक रुपया तेल समवाय की स्थापना करने के बारे में आसाम ऑयल कम्पनी के साथ कोई अंतिम करार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वह करार किस प्रकार का है; और

(ग) आसाम ऑयल कम्पनी द्वारा जिस अपरिष्कृत[¶] तेल का सम्भरण किया जायेगा उसकी और बर्मा शैल रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा जिस अपरिष्कृत तेल का आयात किया जाता है उसकी प्रति गैलन लागत कितनी कितनी है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह रुपया तेल समवाय जिस अपरिष्कृत तेल का उत्पादन करेगा उसकी लागत का प्राक्कलन अभी नहीं किया गया है। बर्मा शेल रिफाइनरी लिमिटेड, अपरिष्कृत तेल का आयात नहीं

†मूल अंग्रेजी में
[*]Rupee Oil Company
[¶]Crude Oil

करती वरन् उनके प्रमुख[६] पर्याप्त मात्रा में अपरिष्कृत तेल शोधनशाला[७] तक पहुंचा देते हैं ताकि उसमें पूरे समय उत्पादन होता रहे। बर्मा शेल रिफाइनरीज़ को १९५७ में उपलब्ध किये गये अपरिष्कृत तेल का लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य[८] ८३.४३ रुपये प्रति टन से लेकर ८६.४ रुपये प्रति टन तक था।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस करार को अन्तिम रूप प्रदान करने में इतना समय लगने के क्या कारण हैं? क्या यह सच है कि आसाम ऑयल कम्पनी भारत सरकार द्वारा पेश की गयी शर्तों से सहमत नहीं हो रही है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : आमतौर पर यह सच है कि सरकार द्वारा उठायी गयी अनेक बातों पर पूरा समझौता नहीं हो पाया है। उनके द्वारा उठायी गयी अनेक बातों पर भी सामझौता नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष बातचीत इसलिये रोक देनी पड़ी थी क्योंकि आसाम आयल कम्पनी ने अपरिष्कृत तेल के परिवहन के प्रश्न पर ऐसा रुख अपना लिया था कि और आगे वार्त्ता तभी संभव थी जब कि इस बात का निर्णय कर लिया जाये कि यह शोधनशाला किस स्थान पर खोली जायेगी। इसके बाद हमने एक अन्तर्कालीन निर्णय कर लिया और अब भी बातचीत इस स्थिति से आगे नहीं बढ़ी है। अब हम परियोजना प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : बर्मा शेल रिफाइनरी लिमिटेड के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले लन्दन में अपने भाषण में यह कहा था कि भारत ऐसा देश नहीं जिसमें पूरे विश्वास के साथ रुपया लगाया जा सके : मुझे उसके ठीक-ठीक शब्द तो याद नहीं, लेकिन उनके भाषण का सार यही था। बर्मा शेल रिफाइनरी लिमिटेड के चेयरमैन के इस भाषण को ध्यान में रखते हुए क्या इस बात की कोई सम्भावना है कि आसाम आयल कम्पनी भारत में रुपया लगाने की अपनी बात से मुकर जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार का ध्यान बर्मा शेल के चेयरमैन के भाषण की ओर आकृष्ट किया गया था। लेकिन यह बताना मेरे वश की बात नहीं है कि हमारी नीति के फलस्वरूप अब उत्पन्न होने वाली स्थिति की उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या रुपया समवाय बनाने के बारे में भारत सरकार और आसाम ऑयल कम्पनी के बीच इस आशय का कोई करार था कि इस समवाय के आधे से अधिक अंशों पर भारत सरकार का स्वामित्व होगा; और यदि हां, तो क्या यह कम्पनी इस करार से मुकर गयी है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार की ओर से इस आशय का कोई निर्णय नहीं था कि प्रस्तावित रुपया समवाय के आधे से अधिक अंश सरकार के होंगे और बाद में वार्त्ता में प्रगति होने पर भी इस संबंध में स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है कि रुपया समवाय के कितने प्रतिशत अंश भारत सरकार के होंगे।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तेल परिष्कृत करने के लिये एक अन्य समवाय खोला जाने वाला है, नये रुपया समवाय में आधे से अधिक अंश लेने की मांग करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: प्रस्तावित रुपया समवाय केवल अपरिष्कृत तेल का उत्पादन करने और संभवत: अपरिष्कृत तेल का परिवहन करने के लिये है। तेल शोधन-शाला रुपया समवाय के क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

[६]Principals

[७]Refinery

[८]C. I. F. Cost

से बाहर है। जहां तक अपरिष्कृत तेल के उत्पादन और परिवहन का संबंध है, सरकार प्रस्तावित समवाय में ३३ प्रतिशत अंश लेने के लिये राजी हो गयी है। लेकिन इससे नियंत्रण करने का हमारा अधिकार किसी प्रकार से भी नहीं छिनता। हम बातचीत जारी रख रहे हैं।

†श्री हेम बरुआ : क्यों कि भारत सरकार ने आसाम ऑयल कम्पनी में केवल ३३ प्रतिशत अंश लिये हैं इसलिये उसकी शुद्ध आय पर भी इसका असर पड़ना अनिवार्य है जबकि मध्यपूर्व के बाहरीन, सऊदी अरब और कुवैत जैसे कई छोटे देशों ने विदेशी समवायों में कुछ भी पूंजी लगाये बिना उनके ५० प्रतिशत अंश प्राप्त कर लेने में सफलता प्राप्त कर ली है। क्या सरकार वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है?

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां। हमने आसाम आँयल कम्पनी से जिन ३३ प्रतिशत अंशों के लेने का प्रस्ताव किया है, और उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है, केवल उन्हीं से हमें मध्यपूर्व के किसी भी देश को मिल सकने वाले अंश से कहीं अधिक अंश प्राप्त हो जायेगा। यदि पूरे तौर पर देखा जाय तो ५०:५० का उनका आधार हमारे आधार से कम लाभकारी है क्योंकि उनके यहां कर-संबंधी विधियां नहीं हैं। इनसे हमें उससे कहीं अधिक रुपया मिल जाता है जितने की आप कल्पना

†श्री जोकीम आल्वा : बर्मा-शेल ने जो आसाम ऑयल कम्पनी का मुख्याधार है, हाल ही में पाकिस्तान पेट्रोलियम कम्पनी से अपने निबन्धनों और शर्तों की घोषणा की है। क्या सरकार स्थिति पर पूरी नजर रखेगी और शुरू में ही इस कम्पनी से बेहतर शर्तों की मांग करेगी क्योंकि तेल के क्षेत्र में हमने पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक प्रगति कर ली है?

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां, वहां या कहीं और भी जिन शर्तों पर बातचीत चल रही है हम उनकी अपेक्षा बेहतर शर्तों की मांग करने वाले हैं।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि आसाम ऑयल कम्पनी शोधन-शालाओं के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये राजी हो गयी है; और यदि हां, तो ये परियोजना प्रतिवेदन वे कब तक तैयार कर लेंगे? यदि वे परियोजना प्रतिवेदन न बना रहे हों तो कौन भारत सरकार को परियोजना प्रतिवेदन देने वाला है?

†श्री के० दे० मालवीय : विदेशी विशेषज्ञ दोनों शालाओं के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के प्रश्न की जांच कर रहे हैं। आसाम ऑयल कम्पनी केवल तेल-लाइन परियोजना के बारे में उनकी सहायता कर रही है?

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह रुपया समवाय केवल भारतीय कूपों से निकाले गये तेल का व्यवसाय करेगा, सरकार इस आशय की शर्त रखेगी कि समवाय को जिस अपरिष्कृत तेल का संभरण किया जायेगा उसका मूल्य भारत में तेल के उत्पादन की लागत के आधार पर ही निश्चित किया जायेगा?

†श्री के० दे० मालवीय : आसाम ऑयल कम्पनी से अपरिष्कृत तेल के उत्पादन के लिये कीमत तय करने की बात चीत अभी हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

+

*९७३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दामानी :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २७ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी वर्गों की शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय अनुशासन योजना चालू करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) किन किन राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में योजना को (१) स्वीकार कर लिया है और (२) जारी किया है।

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) इस योजना को पंजाब, बम्बई और पश्चिमी बंगाल के तीन क्षेत्रों में उन स्कूलों पर लागू करने का विचार है जिनको पुनर्वास मंत्रालय से सहायता नहीं मिल रही या जो विस्थापित छात्रों के लिए नहीं चलाये जा रहे हैं। इस योजना के वित्तीय मामलों और प्रशासन सम्बन्धी व्यौरों का अभी परीक्षण किया जा रहा है। आशा की जाती है कि इस योजना को इस वर्ष के दौरान में कार्यान्वित किया जायेगा।

(ख) विस्थापित विद्यार्थियों के स्कूलों के विषय में सम्बन्धित तीनों राज्य सरकारों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है। इस योजना को अन्य स्कूलों में लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को शीघ्र ही लिखा जाएगा।

†कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेज़ी में भी।

[इसके पश्चात उत्तर अंग्रेज़ी में भी पढ़ा गया]

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय जो भी प्रश्न हिन्दी में पूछा जाता है उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। भविष्य में हिन्दी में पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों की अंग्रेजी की प्रतियां पहले से ही सूचना कार्यालय को दे दी जायेंगी। जो सदस्य हिन्दी के प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें वे मंत्री महोदय से सभा में अंग्रेजी में भी उत्तर पढ़ने के लिये कहने के बजाय पहले से ही उन्हें देख लें। मैं भविष्य में यही तरीका अपनाने वाला हूँ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे माननीय मंत्री जी इस राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बड़े प्रबल समर्थक हैं और अनेक महान् विदेशी अतिथियों ने उस की बड़ी प्रशंसा की है। फिर इस में इतनी शिथिलता क्यों की जा रही है और इसे तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है?

डा० का० ला० श्रीमाली : प्रधान मंत्री इसी स्कीम के लिए नहीं, सभी अच्छे कामों के प्रति रुचि प्रदर्शित करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दामानी।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से पूछा गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : जब मैं किसी माननीय सदस्य को पुकारता हूं तब वे चुप क्यों बैठे रहते हैं और किसी अन्य सदस्य को खड़े होकर प्रश्न पूछने का मौका क्यों दे देते हैं?

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब लगभग पिछले तीन वर्षों से इस योजना पर विचार किया जा रहा है, और हमेशा यही उत्तर मिल रहा है कि कुछ दिनों में इसे लागू किया जाएगा, तो वे कौन सी खास अड़चनें हैं जिन की वजह से इसे अभी तक अमल में नहीं लाया जा रहा है।

डा० का० ला० श्रीमाली : अड़चनें तो कुछ आर्थिक किस्म की हो हैं। प्लैनिंग कमिशन (योजना आयोग) से जितना रुपया मिलना चाहिए था उतना उस के लिए मिल नहीं पाया है। चूंकि सारे देश में इस की व्यवस्था करना था, इसलिए बिना धन यह काम चलाया नहीं जा सकता था। बहुत कोशिश करने पर अब परिस्थिति यह है कि इस वर्ष मेरे ख्याल से २० लाख रुपया उपलब्ध होगा, जिस में से ७ लाख तो मिनिस्ट्री आफ ऐजुकेशन (शिक्षा मंत्रालय) देगी और १३ लाख रु० शायद मिनिस्ट्री आफ रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास मंत्रालय) से मिलेगा। बात यह है कि प्लैनिंग कमिशन की योजना पहले बन चुकी थी, उसमें इस स्कीम की कोई जगह नहीं है। अब इस के लिए विशेष रुपया लेना है, और इस के लिए विशेष तरह की कठिनाइयां है। लेकिन इस का प्रयत्न किया जा रहा है कि चूंकि यह उपयोगी स्कीम है इस लिए जितनी जल्दी हो सके, इसका विस्तार किया जाए।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि केवल तीन राज्यों में ही इसको लागू करने का विचार क्यों किया जा रहा है और अन्य राज्यों में इसको कब प्रारम्भ किया जायेगा?

डा० का० ला० श्रीमाली : जब इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो जायेगा तब इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा।

†श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दसियों वर्षों से हाई स्कूल और कालेज छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण देने के लिये कर्मचारी रखते आये हैं, इसके लिये अलग घण्टा निर्धारित होता है और प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या इस बात की व्यवस्था के लिये कुछ किया जा रहा है कि इन दोनों चीजों में आपस में इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर दिया जाये जिससे बचत हो सके और साथ ही गड़बड़ी न हो पाये?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, इस बात का पूरा प्रयास किया जायेगा की शिक्षा-संस्थाओं में पहले से ही जो कार्य हो रहे हैं उनको इस योजना के अधीन किये जाने वाले कार्यों से ठीक ढंग से मिल दिया जाये।

†श्री तिम्मय्या : क्या ऐसा कोई केन्द्रीय निकाय है जो इस राष्ट्रीय अनुशासन योजना में अध्यापन का और अन्य सभी राज्यों में इसका विस्तार करने का प्रयास कर रहा है?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं।

---

†अंग्रेजी में

वेतनों में स्वेच्छा से कटौती

+

९७४. { श्री विभूति मिश्र :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री याज्ञिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों उप-मंत्रियों और कुछ कर्मचारियों ने अपने वेतनों में स्वेच्छा से कटौती करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार ने ये कटौतियां स्वीकार कर ली हैं;

(ग) क्या ये कटौतियां स्थायी हैं; और

(घ) इनसे कुल कितनी वार्षिक बचत होगी?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मंत्रि-परिषद के सदस्य अपने वेतन तथा भत्तों में स्वेच्छा से दस प्रतिशत की कटौती करने को राजी हो गए हैं। इस पर उन्होंने अमल करना भी शुरू कर दिया है। अपने वेतनों में स्वेच्छा से कटौती करने का प्रस्ताव अभी सरकारी कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) चूंकि यह कटौती स्वेच्छा से की गई है इसलिए उसके स्थायी अथवा अस्थायी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) लगभग एक लाख रुपये प्रतिवर्ष।

†कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेजी में भी।

[इसके पश्चात उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राष्ट्रपति जी ने भी अपने वेतन में से १० पर सेंट (प्रतिशत) कटाया है और विभिन्न प्रदेशों के मंत्रियों और उपमंत्रियों ने भी १० पर सेंट कटाया है?

श्री दातार : राष्ट्रपति जी ने और उपराष्ट्रपति जी ने ऐसा किया है। मुझे मध्य प्रदेश के बारे में मालूम नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : मैंने विभिन्न प्रदेश कहा था, मध्य प्रदेश नहीं।

श्री दातार : राज्य सरकारों के गर्वनरों ने कटौती को स्वीकार किया है। मंत्रिमंडल ने भी किया है ऐसी मेरी आशा है।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा जो भत्ता भूतपूर्व राजाओं को दिया जाता है उसमें से किसी नरेश ने कटौती स्वीकार की है?

श्री दातार : यह एक दूसरी बात है। इस का संबंध वेतन में कटौती से है, निजी थैलियों[§] में कटौती से नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

§Privy purses

†श्री सोनावने : क्या कारण है कि १००० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों ने अपने वेतन में एक प्रतिशत कटौती का भी प्रस्ताव नहीं किया है?

†श्री दातार : यह स्वेच्छा से कटौती स्वीकार करने का प्रश्न है और जब यह ऐच्छिक है तो अप्रत्यक्ष रुप से उसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।

†श्री मोहम्मद इमाम : क्या अपनी वित्तीय कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए सरकार सभी वेतन क्रमों में अनिवार्य कटौती लागू करना वांछनीय नहीं समझती ?

†श्री दातार : इस समय सरकार स्वेच्छा से की गयी कटौती पर ही निर्भर है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने वेतन आयोग की मांग की थी। वेतन आयोग इस बात का ध्यान रख कर कटौती की सिफारिश कर देगा।

आयों में असमता

\+

९७५. { श्री केशव :
श्री वें० प० नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न वर्गों की आयों में असमता को कम करने के लिये उचित कार्यवाही करने के संबंध में १९५६ में स्वीकार किये गये गैर-सरकारी संकल्प के सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है, और यदि हां, तो क्या; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आय और सम्पत्ति में असमता दूर करने की सरकारी नीति की मोटी रूपरेखा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी हुई है; इस वर्ष की बजट प्रस्थापनायें स्वीकार किये गये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही तैयार की गयी हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री केशव : क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय कर लिया है कि देश में अधिकतम और न्यनतम आय का अनुपात क्या होना चाहिये ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा ख्याल है कि सभा में इस प्रश्न पर एक बार पहले भी विचार किया जा चुका है और उस समय प्रधान मंत्री ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये थे।

†श्री वें० प० नायर : सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस समय निम्नतम आय-वर्ग की वार्षिक आय अधिकतम आयवर्ग की वार्षिक आय की तुलना में कितनी बैठती है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इन विशद आंकड़ों का स्मरण रखने की मेरी शक्ति अत्यंत सीमित है। यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछें तो हम यह प्रयास कर देखेंगे कि उसका उत्तर दे सकते हैं या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सावन गुप्त : क्या सरकार को इस बात का कुछ अन्दाज है कि प्रथम योजना में और द्वितीय योजना के पहले वर्ष में हुई प्रगति के दौरान में देश के विभिन्न वर्गों को सापेक्ष रूप से राष्ट्रीय आय का कितना-कितना अंश मिला है, और यदि हाँ, तो अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग के संबंध में राष्ट्रीय आय का अंश बढ़ा है या घटा है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या सरकार ने समय का ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया है जिस तक असमता प्रायः दूर कर दी जायेगी?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र यह नहीं समझते कि एक गतिशील अर्थ-व्यवस्था में असमताऐं दूर कर दी जाती हैं और ये फिर पैदा हो जाती हैं। इसलिये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था रखी जाती है। किसी भी देश में, यहां तक कि उन देशों में भी जिनकी सरकार को हमारे देश की सरकार की अपेक्षा कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना असंभव है जिसमें असमताओं को पूर्णतः और सूक्ष्म रूप से श्रेणीबद्ध किया जा सके। इसीलिये विकासशील अर्थ-व्यवस्था में आकस्मिक परिवर्तन होते ही रहते हैं। वित्तीय तथा अन्य प्रकार की कार्यवाहियों द्वारा हम केवल यही कर सकते हैं कि इन असमताओं को काफी निचले स्तर पर कायम रखें। जब तक व्यक्ति को अपने ज्ञान से होने वाले लाभ को प्राप्त करने का अधिकार होता है, स्वाभाविक रूप से ही उसे अपनी मजूरी प्राप्त करने का भी अधिकार होता है और यह बात काफी आगे बढ़े हुए वामपंथी देशों द्वारा भी स्वीकार की जाती है। आय के लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है। लोक-तंत्र में जो काम हमें निरंतर करते रहना है वह यह है कि इन असमताओं को नियंत्रण में रखा जाये और जिन लोगों की आय कम है उसे बढ़ाया जाये।

श्री हेडा : मैं उन लोंगों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं जो बेरोजगार हैं। क्या वित्त मंत्री मुझे यह बता सकेंगे कि किन व्यक्तियों अथवा किस वर्ग की आमदनी सबसे कम है, और यह आमदनी कितनी है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैं पहले बता चुका हूं राष्ट्रीय आय सर्वेक्षण से हमें केवल इस बात का अन्दाज हो सकता है कि हो क्या रहा है, और इसकी भी कोई सूक्ष्म जानकारी नहीं मिल सकती, और हमारे पास जो अ-सूक्ष्म आंकड़े हैं भी उनके बताने के लिये मुझे पूर्व-सूचना की जरूरत पड़ेगी।

उच्च शक्ति कोयला परिषद्[10]

†*९७७. श्री मुरारका : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चशक्ति कोयला परिषद के कृत्य क्या हैं और इसके कितने सदस्य हैं?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : कोयला परिषद् का मुख्य प्रयोजन देश के कोयला संसाधनों के विकास, उपयोग और उचित संरक्षण के लिये योजना बनाने के उद्देश्य से अपनी देखरेख और मार्ग-दर्शन में समीक्षा और अध्ययन कराना होगा। लोक सभा पटल पर २८-८-१९५६ के संकल्प की जिसके द्वारा परिषद् का गठन हुआ और १५-७-१९५७ की अधिसूचना की, जिसके द्वारा परिषद् का पुनर्गठन किया गया, एक-एक प्रतियां रखी जातीं हैं, जिनमें परिषद् के कृत्यों और सदस्यों का ब्यौरा दिया हुआ है। [पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एस–२०१।५७]

---

†मूल अंग्रेजी में।

[10]High Power Coal Council

†श्री मुरारका : संकल्प की प्रति से मुझे ज्ञात होता है कि एक वर्ष से भी कम अवधि में इस परिषद् की सदस्य संख्या १७ से घटाकर ११ कर दी गयी है। इसके क्या कारण हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इसे अधिक सुगठित बनाने का प्रयास किया गया है।

†श्री मुरारका : कुछ दिन पहले परिषद् ने चार उच्च-स्तरीय समितियां नियुक्त की थीं। क्या इनमें से किसी समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है; और यदि नहीं तो इनके कब तक अपने प्रतिवेदन दे देने की आशा है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इनमें कोई भी समिति अपना कार्य पूरा नहीं कर पाई है और उन्होंने अभी अपने प्रतिवेदन नहीं दिये हैं। मेरे लिये इस बात का अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि वे कब तक अपने प्रतिवेदन दे देंगी।

†श्री मुरारका : खुद इस परिषद् की अब तक कुल कितनी बैठकें हुई हैं?

†एक माननीय सदस्य : एक।

†सरदार स्वर्ण सिंह : विरोधी पक्ष के किन्हीं माननीय सदस्य ने उत्तर दिया है। स्पष्ट है कि उन्हें यह मालूम है। यह सच है कि अब तक परिषद् की एक ही बैठक हुई है।

†श्री अ० चं० गुह : कोयला परिषद् को जो कृत्य सौंपे गये हैं क्या वे पहले ही खान-ब्यूरो कोयला-आयुक्त, कोयला-नियंत्रक, कोयला बोर्ड, कोयला–विकास आयुक्त और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जैसे उच्चशक्ति-सम्पन्न प्राधिकारों को नहीं सौंपे जा चुके हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का सूक्ष्म उत्तर देना मेरे लिये कठिन होगा। लेकिन मोटे तौर पर अन्तर यह है माननीय सदस्य ने जिन विभिन्न प्राधिकारों का उल्लेख किया है वे कार्य-पालक प्राधिकार हैं जबकि परिषद् मोटे तौर पर नीति संबंधी विषय निर्धारित करती है। यह हो सकता है कि कुछ काम एक से ही हों। मैं इससे इंकार नहीं करता। लेकिन सूक्ष्म रूप से यह बताना मेरे लिये बहुत कठिन होगा कि कितना काम अतिछादी[11] होगा।

†श्री अ० चं० गुह : क्या मंत्री महोदय इस बात से संतुष्ट हैं न केवल कोई काम अतिछादी होता है वरन् विभिन्न विभिन्न प्राधिकार कोयला आयोग पर जिन प्राधिकारों का प्रयोग करते हैं वे भी आपस में टकराते नहीं हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं। कोयला परिषद् किसी कार्यपालिका प्राधिकार का प्रयोग नहीं करती है वह मोटे तौर पर विषयों की जांच करता है और फिर अपनी सिफारिशें दे देती है। उन सिफारिशों को क्रियान्वित करना कार्यपालिका प्राधिकारियों का काम है।

†श्री रंगा : क्या यह संभव है कि अन्य सभी प्राधिकारों के कार्य के फल स्वरूप यह परिषद् निष्फल और व्यर्थ हो गयी है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा। जो समिति बनायी गयी है हमें उसकी मेहनत के परिणामों की भी प्रतीक्षा करनी चाहिये। हो सकता है कि वे कई अच्छे प्रतिवेदन दें।

†श्री अ० चं० गुह : क्या यह सच है कि भार-साधक मंत्री इस कोयला परिषद् के चेयरमैन हैं और साथ ही वे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के निदेशक-मण्डल के भी चेयरमैन हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Overlap

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मंत्री इस परिषद के चेयरमैन हैं। लेकिन अब वे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के निदेशक मंडल के चेयरमैन नहीं रहे।

†**श्री अ० चं० गुह :** यह परिवर्तन कब से हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसी प्रश्न के लिये पूरा घंटा देने को तैयार नहीं हूँ।

†**श्री मुरारका :** इस कोयला परिषद् पर वार्षिक व्यय कितना होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। लेकिन यह बहुत अधिक नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिये पृथक कर्मचारी आदि न होने के कारण इस परिषद पर व्यय अधिक नहीं होगा।

खमरिया बाजार, जबलपुर

\+

९७८. { **श्री कोडियान :**
श्री अ० क० गोपालन :

†क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खमरिया बाजार, जबलपुर, के दुकानदारों से प्रत्येक वर्ष दूकानों के साधारण किराये के अतिरिक्त ३०,००० रुपये से अधिक राशि "व्यापार अधिकार शुल्क" के रूप में एकत्र की जाती है।

(ख) क्या दुकानदारी को बाजार में कोई अतिरिक्त सुविधायें दी जाती हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि दुकानदारों से एकत्र की गई अतिरिक्त फीस श्रमिकों में नहीं बांटी जाती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) खमरिया बाजार, जबलपुर में दुकानदारों के किराये के अतिरिक्त, २१,००० रुपये एकत्र किये जाते हैं।

(ख) जी हां; रहने का स्थान, जल सम्भरण और मलवाहन।

(ग) यह राशि बांटने के लिये नहीं होती क्यों कि भाग (ख) में उल्लिखित सेवाओं को चालू रखना होता है जिनकी दुकानदारों को आवश्यकता होती है।

†**श्री कोडियान :** इन दुकानदारों को जो अतिरिक्त सुविधायें दी जाती हैं क्या उनमें बिजली भी शामिल है ?

†**श्री रघुरामैया :** उसमें बिजली शामिल नहीं है। उस क्षेत्र में बिजली का सम्भरण करना अभी सम्भव नहीं है।

†**श्री कोडियान :** क्या यह सच है कि जो वस्तुएं खमरिया बाजार में बेची जाती हैं वही वस्तुएं उन पैंठों में बेचने की भी स्वीकृति दी जाती है जो उस क्षेत्र में सप्ताह में दो बार लगती है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा को रोकना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया :** यह बाजार स्थापित करने का यह उद्देश्य है कि श्रमिक स्थानीय बाजार के मूल्यों पर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकें और उनसे अनुचित लाभ प्राप्त न किया जाये। यदि कोई अन्य बाजार उचित मूल्यों पर होने वाले विक्रय में रुकावट डालते हैं तो उस पर विचार करना पड़ेगा।

केरल में अभ्रक के संसाधन

†*९७९. **श्री वें० प० नायर :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने केरल सरकार से अपने अभ्रक संसाधनों का विदोहन करने की प्रार्थना की है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** हां, श्रीमान।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या भारत सरकार ने केरल सरकार से यह भी कहा है कि वह अभ्रक संसाधनों के विदोहन के लिये कोई केन्द्रीय सहायता भी देगी?

†**श्री के० दे० मालवीय :** नहीं। अभ्रक की खानों के विदोहन के लिये हमने वित्तीय सहायता का वचन नहीं दिया है। परन्तु हमारे मूल कार्यक्रम के अनुसार शायद खोज की जायेगी और जहां तक मुझे मालूम है एक क्षेत्र सर्वेक्षण दल ने हाल ही में कुछ काम पूरा भी कर लिया है और प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री वें० प० नायर :** भारत सरकार को विदित है कि इस समय अभ्रक की खोज नहीं की जा रही है और केरल सरकार इसके लिये साधन नहीं जुटा सकती। मैं जानना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में भारत सरकार अभ्रक के संसाधनों के विदोहन की प्रत्याशा कैसे करती है जिनका सर्वेक्षण ठीक ढंग में किया जा चुका है।

†**श्री रंगा :** निजी उपक्रमों के बारे में क्या विचार है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** उन क्षेत्रों का ठीक प्रकार सर्वेक्षण और उन में विस्तृत खोज भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षकों द्वारा की जायेगी जिन्हें वे अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे। परन्तु सामान्य रूप से खोज निजी खनिकों द्वारा की जायेगी जिन्हें राज्य सरकार से पट्टे मिलेंगे। मुख्य मंत्री ने मुझे बताया है कि पुनलूर की खानों में शीघ्र ही उत्पादन पुनः आरम्भ होने की आशा है।

†**श्री कोडियान :** सूचना मिली है कि गत महायुद्ध में अच्छी किस्म का अभ्रक जिसे रूबी अभ्रक कहते हैं और जिसका आकार १०″ × १२″ था कन्ननूर के निकट चोब्बा से प्राप्त किया गया था। क्या इस क्षेत्र का ठीक प्रकार सर्वेक्षण किया गया है? यह मलाबार में है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस विषय में सरकार की क्या नीति है? क्या सभी राज्यों को केन्द्रीय सरकार से समान सुविधायें, लाभ और सहायता प्राप्त होगी या कि केरल को कोई विशेष रियायत दी जा रही है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** सभी राज्यों को केन्द्रीय सरकार से समान लाभ अथवा सहायता प्राप्त हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चूने के पत्थर का पता चलना

+

†*९८०. { श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के निकट उपयुक्त ग्रेड के चूने के पत्थर का पता चला है जिसकी मात्रा का अनुमान ७०० लाख टन है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : हां, श्रीमान् ।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या वह चूने का पत्थर सीमेंट बनाने के लिये उपयुक्त है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां । विश्लेषण न्यास[१२] को देखते हुए, यह आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में पाया जाने वाला चूने का पत्थर सीमेंट के उत्पादन के लिये उपयुक्त होगा ।

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं संबंधी दल

†*९८१. श्री ज० रा० मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल समिति ने, जिसके मुख्य श्री एन० बी० गाडगील थे, कोटा के पिछले दौरे में अनियमितताओं और अपव्यय आदि के आरोपों की जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). इस दल का काम आरोपों आदि की जांच करना नहीं बल्कि उसे बताये गये निर्देश पदों के अनुसार कार्यकुशलता और मितव्ययता की दृष्टि से परियोजना का अध्ययन करना है। इसने कई बार कोटा का दौरा किया है और इसका प्रतिवेदन सितम्बर, १९५७ की समाप्ति तक प्राप्त होने की आशा है।

†श्री ज० रा० महेता : इस दल के अनुसन्धान ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की जिन्होंने कुछ समय पूर्व इस मामले पर विचार किया, सिफारिशों की कहां तक पुष्टि की है ?

†श्री ब० रा० भगत : दल ने अभी अपना प्रतिवेदन ही नहीं दिया है ऐसी स्थिति में हम उनके प्रतिवेदन की तुलना—फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सिफारिशों से कैसे कर सकते हैं ?

†श्री ओंकार लाल : क्या यह सच है कि फ्रांसीसी इजीनियरों के प्रतिवेदन के अनुसार कोटा बांध पर चादरें लगाने[१३] का काम बेकार गया है। और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित मंत्री (श्री टि० त० कृष्णमाचारी) : परियोजना की दिन प्रति दिन की प्रगति के बारे में मेरे साथी, जो मेरी दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, ठीक प्रकार बता सकते हैं। मेरा सम्बन्ध केवल उस समिति से है जो इन परियोजनाओं के कार्यसंचालन की कुशलता की सामान्य जांच कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१२Analytical data.

१३Process of Sheet-pillnig

प्रादेशिक सेना[१४]

९८२. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना की गतिविधियों को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़) :** (क) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मोहन स्वरूप :** इस योजना का परिपालन किस प्रकार किया गया है और जनता को सैनिक प्रशिक्षण देने में यह कहां तक सफल रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** विस्तार के अतिरिक्त माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते हैं कि प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रादेशिक सेना की कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** प्रादेशिक सेना को हमने कुछ एक कामों के लिये, जिनके लिये उसका निर्माण किया गया है, ही प्रशिक्षण दिया है और मेरा विचार है कि यह सफल रही है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सेना के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था यानी जितने लोग उसमें भरती किये जाने थे, उसका कितना प्रतिशत पूरा हो गया है ?

†**सरदार मजीठिया :** इस समय संख्या प्राधिकृत संख्या का ९८ प्रतिशत है ।

†**श्री याज्ञिक :** माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कुल संख्या का ९८ प्रतिशत है । लक्ष्य कितना था और कितना पूरा हो चुका है ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं संख्या नहीं बता सकता, वह गोपनीय है ।

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन :** मननीय मंत्री ने कहा है कि प्रादेशिक सेना में सैनिकों की संख्या ९८ प्रतिशत है । किसका ९८ प्रतिशत ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कुल लक्ष्य का । वह आंकड़े नहीं बता सकते ।

†**श्री हेम बरुआ :** लक्ष्य जाने बिना वह प्रतिशत कैसे बता सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने प्रतिशत याद कर रखा है । साधारणतः हम संख्या जाने बिना प्रतिशत जान सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१४]Territorial Army.

जनता पौलिसी

+

†*९८३. { श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
श्री हेडा :
श्री दामानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जनता पौलिसी योजना आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) देश के कितने केन्द्रों में जनता पौलिसी योजना आरम्भ की गई है; और

(घ) अन्य पौलिसियों की तुलना में इसकी किस्तों की क्या स्थिति है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी प्रगति निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह योजना मई, १९५७ के अन्तिम् सप्ताह में आरम्भ की गई है।

(ग) १३ केन्द्रों में योजना चालू की गई है।

(घ) नीवी बीमा-पत्र (एंडाउमेंट एश्योरेंस पौलिसी) पर देय किस्त की उपेक्षा जनता बीमा पत्र की किस्त प्रत्येक हजार रुपये पर ३ रुपये अधिक है।

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : वसूली किस प्रकार की जायेगी और बीमे की किस्तें एकत्र करने के लिये टिकटों की पद्धति कब आरम्भ की जायेगी ?

†श्री ब० रा० भगत : प्राधिकृत अभिकर्ता प्रत्येक घर में जाकर किस्त वसूल करेंगे।

†श्री हेडा : क्या सरकार को विदित है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व कुछ बीमा कम्पनियां जनता बीमा-पत्र योजना से मिलती जुलती एक योजना चला रही थीं और उसमें यह लाभ था कि बीमा की किस्तें प्रामाणिक दरों से कम थीं ? यदि हां, तो इसमें बीमे की किस्तें उससे अधिक क्यों है ?

†श्री ब० रा० भगत : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर मैं पूछ ताछ करके दे सकता हूँ क्यों कि इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है। किस्तें अधिक होने का यह कारण है कि अधिकतर बीमे की राशि बहुत कम होती है और उस पर खर्च अधिक होता है। इसीलिये एक हजार रुपये पर ३ रुपये अधिक होते हैं परन्तु १०० रुपये पर ३० नये पैसे ही होते हैं।

†श्री दामानी : औद्योगिक श्रमिकों ने इस योजना से किस हद तक लाभ उठाया है ?

†श्री ब० रा० भगत : अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु जो १३ केन्द्र चालू किये गये हैं वे औद्योगिक क्षेत्रों में ही हैं।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या चिकित्सा-परीक्षा पर जोर दिया जाता है ?

†श्री ब० रा० भगत : नहीं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका**: माननीय मंत्री ने कहा कि किस्त की दर अधिक होती है क्योंकि खर्च अधिक होता है और बीमे की राशि कम होती है। जब चिकित्सा परीक्षा भी नहीं होती और अन्य औपचारिकतायें भी नहीं होतीं तो वास्तविक व्यय कम होगा और किस्त की दर भी कम ही होनी चाहिये। ऐसा क्यों नहीं होता?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: चिकित्सा परीक्षा उन लोगों की होगी जिनकी आयु ३५ वर्ष से अधिक है। परन्तु चिकित्सा परीक्षा न होने से जीवनांकिक जोखिम और भी बढ़ जाता है। केवल खर्च का ही प्रश्न नहीं होता है; दरें निर्धारित करते समय जीवनांकिक जोखिम का भी लेखा किया जाता है। माननीय सदस्य स्वयं व्यापारी हैं और वह जानते होंगे कि जोखिम का हिसाब लगाये बिना हम बीमा-पत्र कैसे दे सकते हैं और जोखिम काफी अधिक है इसीलिये किस्त अधिक रखी गई है।

श्री दामानी: क्या सरकार इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रलेख चित्र दिखाने के बारे में विचार करेगी, जिससे लोगों को लाभ हो?

श्री ब० रा० भगत: यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

श्री रंगा: श्रमिकों को इस योजना से परिचित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या कार्मिक संघों, भारत सेवक समाज जैसी स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं और डाकघरों जैसी सरकारी संस्थाओं की इस योजना की लोकप्रिय बनाने और बीमे की किस्तें एकत्र करने के कामों में सहयोग देने के लिये कहा जा रहा है।

†**श्री ब० रा० भगत**: अधिकतर राज्यों में जनता बीमा-पत्र योजना का उद्घाटन दलों के प्रमुख नेताओं द्वारा कराया गया था और हम सभी कार्मिक संघों अथवा अन्य स्वेच्छा से कार्य करने वाली संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। हम ऐसा कर भी रहे हैं।

†**श्री साधन गुप्त**: अब तक इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के बीमा-पत्र जारी किये गये हैं और बीमा-पत्रों की संख्या क्या है?

†**श्री ब० रा० भगत**: यह जानकारी एकत्र करना पड़ेगी। यदि एक अलग प्रश्न पूछा जाये तो मैं जानकारी एकत्र करूंगा।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा**: इस बारे में एक समाचार था कि किस्तें एकत्र करने के लिये विशेष प्रकार की टिकटें जारी की जायेंगी। परन्तु उपमंत्री ने अभी अभी बताया है कि किस्तें अभिकर्ताओं द्वारा एकत्र की जायेंगी। क्या वे टिकटें डाकघरों में बेची जायेंगी या अभिकर्ताओं द्वारा?

†**श्री ब० रा० भगत**: दोनों तरीकों से। अभिकर्ता प्रत्येक घर में जायेंगे और टिकटें बेचेंगे।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा**: किस्त लगभग कितनी होगी?

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं काफी प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूँ। अगला प्रश्न।

---

† मूल अंग्रेजी में

रुपये के स्थायीकरण के लिये ऋण

+

†*९८५. { **श्री विमल घोष :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुपये के स्थायिकरण के लिए लन्दन विपणि से ऋण–प्राप्त करने के संबंध में बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है; और

(ग) जो सहायता मांगी गई है उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं की जा रही है ।

†**श्री विमल घोष** : प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा था कि लन्दन विपणि में बीस क रोड़ पौन्ड लेने से उन्हें कोई एतराज न होगा । क्या उनकी इस बात का कुछ परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यह सच है कि हम ऋणों के लिए बातचीत करने के संबंध में तैयार हैं । जब एक संवाददाता द्वारा प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने यह कहा था कि भारत सरकार को बीस करोड़ पौंड का ऋण प्राप्त करने के संबंध में कोई एतराज न होगा परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हम बातचीत करने के प्रयोजन के लिए परिस्थितियों को अनुकूल पाते हैं या हम तभी से इस सबंध में प्रयत्नशील हैं ।

†**श्री विमल घोष** : क्या इससे मैं यह समझूं कि ऋण रूप में लन्दन विपणि से या अमेरिका विपणि से धन प्राप्त करने के लिए या अन्यथा विदेशी मुद्रा संबंधी अपने अन्तर की पूर्ति के लिए सरकार के कोई प्रयत्न नहीं है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह ऐसे मामले हैं जिनका सदैव पुनर्विलोकन किया जाता है और मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र, जो इस संबंध में सभी कुछ जानते हैं, मुझ से यह आशा नहीं करेंगे कि मैं सभी बातें बता दूंगा । एक बात यह भी है कि जब तक हमें यह विश्वास नहीं कि धन प्राप्त करने के यथोचित अवसर हैं तब तक हो सकता है कि हम किसी विशिष्ट मामले में कोई कार्यवाही न करें । यह भी हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में लन्दन विपणि ही एक ऐसी विपणि नहीं है जहां से हम धन प्राप्त कर सकते हों ; कुछ अन्य कठिनाइयों भी हैं जिनके कारण हम उस विपणि से ऋण नहीं ले सकते हैं, अर्थात् जैसी स्थिति अब है उसके अनुसार भारत सरकार का ऋण अब न्यासी प्रतिभूति प्रतिष्ठा का हकदार न होगा ।

जहां तक संसार के अन्य भागों में ऋणों का संबंध है, छोटी राशियों के ऋण लिए जा रहे हैं । उदाहरणार्थ, हमने बहुत ही छोटी रकम के लिए एयर इंडिया इन्टरनेशनल के संबंध में ऋण प्राप्त किया था । हो सकता है कि एक या दो भारतीय सार्थ विदेश में ऋण प्राप्त कर रहे हों । परन्तु सब से अधिक मैं सभा को जानकारी दे सकने की स्थिति में नहीं हूं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : जुआरी कभी भी अपने पत्ते नहीं दिखायेगा।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५.** { **श्री रघुनाथ सिंह :** **श्री हेम बरुआ :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के कारण आसाम में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]**

श्री रघुनाथ सिंह : इस स्टेटमेंट को देखने से यह जाहिर होता है कि १०० गांवों में इसका असर हुआ है। केवल ११ गांवों में ८० हजार आदमी ऐफेक्टेड हैं, लेकिन ९० गांवों के लिए कोई जिक्र नहीं है। कुल मिला कर इस तरह से कोई २ या ३ लाख आदमी ऐफेक्टेड होंगे। लेकिन आपने जो सहायता दी है वह १ लाख से कुछ ज्यादा है। ७ लाख रु० के करीब लोन दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको आपकी तरफ से कोई और सहायता दी जायेगी या नहीं ?

श्री स० का० पाटिल : सहायता देने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट्स का है। जब स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वेस्ट आती है तब हम कुछ करते हैं। लेकिन असल काम तो स्टेट गवर्नमेंट्स का ही है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में तथाकथित बाढ़ आने के कारण विस्तृत तबाही हुई है और इस बात को भी देखते हुए कि ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही हिमालय की पहाड़ियों पर बर्फ़ पिघलने लगती है और लाखों टन पानी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा नीचे मैदानों में हानि पहुंचाता है, क्या सरकार ने इस के फालतू पानी की मात्रा में पार्श्ववर्ती क्षेत्रों की छोटी नदियों में विकर्षित करने के लिये तिब्बत सरकार के साथ मिलकर, ब्रह्मपुत्र नदी के मूल स्रोत के स्थान पर, नदी परिनियंत्रण करने के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह भी एक सुझाव है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस समस्या का समाधान कई उपायों द्वारा किया जा रहा है। एक उपाय यह है कि कई सौ मील तक तटबन्ध बनाये जायें। यह कोई ऐसी छोटी योजना नहीं है जिसे फ़ौरन ही पूरा किया जा सकता हो। परन्तु जहां तक इस के अन्य भाग का संबंध है, यह एक ऐसा मामला है जिस की जांच पड़ताल करनी होगी।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को देखते हुए कि प्रति वर्ष बाढ़ आती है और इस से राज्य में भारी तबाही होती है क्या सरकार ने राज्य पर प्रकृति के इस प्रकोप का स्थायी आधार पर सामना करने के लिये कोई योजना तैयार की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल :** हम ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु ब्रह्मपुत्र जैसी नदी के सम्बन्ध में, जिसमें लगभग २० लाख क्यूसेक्स से भी अधिक मात्रा में पानी बाढ़ रूप में रहता है—और जो उन्मुक्त पानी नहीं है—, इस समस्या का समाधान उतनी सरलता से करना सम्भव नहीं है जितना कि सुझाव में कहा गया है । इस में कई वर्ष लगेंगे । परन्तु हम गम्भीरता से इस पर विचार कर रहे हैं और कार्यवाही कर रहे हैं ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है कि हमारी एक बाढ़ समिति भी है और वह प्रश्न के संबंध में पूर्णतः जागरूक है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी, हां । आसाम सरकार ने एक राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड तथा एक प्रविधिक समिति स्थापित की है ।

†**श्री हरिश चन्द्र माथुर:** क्या यह सच नहीं है कि इस प्रकार की आकस्मिकताओं का सामना करने के लिये केन्द्र में एक विशिष्ट निधि की व्यवस्था की गई है और उस में से इस प्रकार के मामलों में सहायता की जाती है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** हम ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समस्त देश के लिये ६० करोड़ रुपये रखे हैं और इस में से ७ करोड़ रुपये की राशि आसाम को अस्थायी रूप से आवंटित की गई है ।

कोसी नदी में बाढ़

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण लगभग दो सौ गांवों को हानि पहुंची है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** जी, हां ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को देखते हुए कि कोसी में हर साल बाढ़ आती है, इस फ्लड को रोकने के लिये कोई इन्तजाम हुआ है या नहीं ?

श्री स० का० पाटिल : इन्तजाम तो हो रहा है और मेम्बर साहब को मालूम होगा कि वह इन्तजाम क्या है । एम्बैंकमेंट्स बन रहे हैं, बैराज का इन्तजाम हो रहा है, और मैं मानता हूं कि जब बैराज कम्प्लीट हो जायेंगें, डैम कम्प्लीट हो जायेंगे तो इस प्रकार की हानि ज्यादा नहीं होगी ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस बात को देखते हुए कि जो दटबन्ध बन रहा है उस के कारण इस बार तटबन्ध के भीतर बाढ़ का प्रकोप अत्यधिक रहा है सरकार ने वहां के ग्रामवासियों को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की है और सरकार का उन्हें क्या सहायता देने का प्रस्ताव है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** भिन्न सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सम्भवतः तटबन्ध के कारण खतरा कुछ अधिक बढ़ गया है । परन्तु वे एक बात भूल जाते हैं कि यद्यपि हो सकता है कि तटबन्ध के भीतर खतरा कुछ अधिक बढ़ गया हो तथापि इस ने लगभग बीस गुना अधिक व्यक्तियों तक खतरे को पहुंचने से रोका है और मैं कह नहीं सकता कि कितने गुना अधिक हानि से इस ने बचाया है इसलिये हमें दोनों बातों पर विचार करना होगा और जब इस का बान्ध का भाग बन कर पूरा हो जायगा तब सम्भवतः यह हानि कम हो जायगी । परन्तु जहां तक तटबन्ध के भीतर रहने वाले गांव निवासियों का सम्बन्ध है उस खतरे को पूर्णतः दूर करना असम्भव है । ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार ने हाल ही की बाढ़ से हुई हानि का परिगणन किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अभी नहीं किया है क्योंकि बाढ़ अभी आ रही है और जो हानि हुई है इस समय अन्तिम रूप से उस का परिगणन करना सम्भव नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को देखते हुए कि तटबन्ध के भीतर कुछ गांव पूर्ण रूप से पानी में डूब गये हैं और क्या सरकार यह नहीं समझती है कि इन गांव निवासियों को इन गांवों से निर्विलम्ब हटाना चाहिये और क्या मैं यह जान सकती हूं कि सरकार कष्ट निवारण के लिये बिहार सरकार को क्या विशिष्ट सहायता देगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : २०० गांवों में से लगभग २४ गांवों को अत्यधिक हानि पहुंची है; और जहां तक उन का सम्बन्ध है, तटबन्ध पर और उस के इर्द गिर्द बनाई गई विशिष्ट झोंपड़ियों में उन्हें तुरन्त ही हटा लिया गया था और नियंत्रण बोर्ड द्वारा, जो कार्यवाहियों की देख रेख करता है, यथा सम्भव पूरी सहायता दी जा रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशों में भारतीय

†*९७६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो भारतीय यहां काम की कमी के कारण इस समय विदेशों में सेवा कर रहे हैं क्या उन्हें नौकरियां देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव या योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियां की गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०]**

इस्पात के स्प्रिंग तारों[15] का आयात

†*९८४. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के स्कन्द तार स्प्रिंगदार आसनों तथा फ़र्नीचर[16] के लिये कच्ची सामग्री के आयात पर पाबन्दी लगाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को किसी सार्थ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[15] Spring steel wire.

[16] Spring seating and upholstery.

ओंडाल (बर्दवान जिला) हवाई अड्डा

†*९८६. **श्री क० कृ० दास :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के बर्दवान ज़िले में ओंडाल गांव के कुछ निवासियों से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि सरकार ने ओंडाल हवाई अड्डे के लिये जो भूमि अर्जित की थी उस के लिये पिछले चार वर्षों से उन्हें फ़सल सम्बन्धी कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह शिकायत कहां तक सच्ची है और अर्जित भूमि के लिये फ़सल संबंधी प्रतिकर की अदायगी न करने का क्या कारण है ; और

(ग) मामले को अन्तिम रूप से निबटाने में कितना समय लगेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) जी, हां ।

(ख) अर्जित भूमि के सम्बन्ध में अर्जन की तिथि से सरकार भूमि की स्वामी होती है और फ़सल सम्बन्धी प्रतिकर देय नहीं होता है । भू-स्वामी केवल अर्जित भूमि के दाम लेने के ही हकदार हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय प्रशासन सेवा

†*९८७. **श्री सिंहासन सिंह : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय प्रशासन सेवा में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ;

(ख) कोई ऐसा विश्लेषण किया गया है जिस से यह पता चले कि ये व्यक्ति किन-किन क्षेत्रों के हैं ; और

(ग) कुल चुने हुए व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्ति देहाती क्षेत्रों के रहने वाले हैं ?

†**गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) १९५४ से १९५६ तक की अवधि के तीन वर्षों में भारतीय प्रशासन सेवा में कुल १४७ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किये गये थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि जिन उम्मीदवारों को चुना गया था उन में से कितने देहाती क्षेत्रों के रहने वाले हैं क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने अपने स्थायी निवास स्थान का पता नगरीय क्षेत्र दिया था उन में से बहुत से उम्मीदवारों ने अपना जन्म स्थान गांवों में बताया है । फिर भी लगभग १६ प्रतिशत उम्मीदवारों ने देहाती क्षेत्रों में अपने स्थायी निवास स्थान होने की सूचना दी थी ।

भंडारा में युद्ध–सामग्री कारखाना[१८]

†*९८८. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भंडारा (बम्बई राज्य) में एक युद्ध सामग्री कारखाना खोलने का निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रजी में

[१८]Ordnance Factory.

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब शुरू किया जायगा ; और

(ग) इस कारखाने का कुल खर्च कितना होगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) : (क) तथा (ख). युद्ध-सामग्री का एक नया कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है कि यह कारखाना कहां स्थित होगा और इस में कब काम शुरू होगा ।

(ग) अनुमान है कि कारखाने पर कुल १७.५ करोड़ पये खर्च होंगे ।

राष्ट्रीय मूल शिक्षा केन्द्र[१९]

†*६८६. **श्री राम शरण:** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मूल शिक्षा केन्द्र में नियमित रूप से काम प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) समाज शिक्षा के क्षेत्र में यह विभिन्न गतिविधियों में समायोजन कैसे करता है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती

†*६६०. **श्री हरिश चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिये प्रक्रिया के सुधार के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग के साथ किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप से तय किया गया है और इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों को कोई हिदायतें जारी की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) जी, हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में किये गये परिवर्तन आदि बताये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]**

मनीपुर पहाड़ी क्षेत्रों में गांव पंचायतें

†*६६१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६ के मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में गांव प्राधिकार मंडल) अधिनियम के अधीन मनीपुर में कितने गांव प्राधिकार-मंडल स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि अधिनियम के लागू किये जाने के बाद से अब तक गांव पंचायतों के लिये चुनाव नहीं किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१९]National Fundamental Education Centre.

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) तथा (ख). यह अधिनियम १८ अप्रैल, १९५७ को लागू किया गया था। वर्षा ऋतु के कारण अब तक चुनाव नहीं किये जा सके हैं। आशा है कि अगली शरद् ऋतु में चुनाव करना सम्भव होगा।

दुर्गापुर का होटल

†*९९२. **श्री खुशवक्त राय :**
श्री रामकृष्ण रेड्डी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में एक होटल बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस की लागत कितनी होगी और इस की क्या आवश्यकता है ; और

(ग) क्या वहां के डाक बंगले और यात्री विश्राम-गृहों से काम नहीं चल सकता ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, परन्तु कुछ समय के लिये रोक दिया गया है।

(ख) बिल्डिंग की लागत का अन्दाज़ा लगभग ५० लाख रुपये का था।

(ग) जी नहीं।

गोदावरी नदी क्षेत्र (बेसिन) में छिद्र करने का कार्य[२०]

†*९९३. **श्री ब० स० मूर्ति:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोदावरी नदी क्षेत्र में पैट्रोलियम के लिये छिद्र करने का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर छिद्र किये जायेंगे ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) फ़िलहाल नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तीर्थमलाई में लौह अयस्क

†*९९४. **श्री दुरायस्वामी गौंडर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा निकट भविष्य में मद्रास राज्य के सैलम ज़िले के हरूर ताल्लुके में तीर्थमलाई क्षेत्र में प्राप्य ४ करोड़ ७५ लाख टन लौह अयस्क के निक्षेप को निकाला जायगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के०दे० मालवीय)** : इस निक्षेप से प्राप्त होने वाला अयस्क घटिया क़िस्म का है। जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुशोधन प्रयोगशाला द्वारा स्थापित किये जाने वाले अग्रिम कारखाने में घटिया क़िस्म के इन अयस्कों का परीक्षण करने का प्रस्ताव है। परीक्षण किये जाने के बाद इस निक्षेप को निकालने की बात सोची जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२०] Drilling operations in Godavari Basin

धर्मकोट में चूने का पत्थर[२१]

†*६६५. **श्री हेमराज :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मकोट में चूने के पत्थर के निक्षेपों के लिये भूतत्वीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां चूने के पत्थर के निक्षेपों की मात्रा कितनी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ब्वाय स्काउट तथा गर्ल गाइड आंदोलन

†*६६६. **श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) राष्ट्र-निर्माण कार्य के सम्बन्ध में स्काउट आन्दोलन की गतिविधियों के उपयोग के लिये क्या कार्यक्रम है ;

(ख) ब्वाय स्काउट, सामुदायिक विकास कार्य में और गर्ल गाइड, समाज सेवा कार्य में क्या योगदान प्रदान करते हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय, सहायक छात्र सेना निकाय, भारत सेवक समाज और राष्ट्रीय अनुशासन योजना की तुलना में १६५६-५७ में स्काउट आन्दोलन के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बर्मा-शैल तथा आसाम तेल समवाय की छात्रवृत्तियां

†*६६७. **श्रीमती मफ़ीदा अहमद :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा शैल तथा आसाम तेल समवाय को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये हाल ही में उम्मीदवारों का चुनाव किस आधार पर किया गया था ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** अखिल भारतीय आधार पर प्रमुख समाचारपत्रों में छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में विज्ञापन दिया गया था । एक चुनाव समिति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों को भेंट के लिये बुलाया गया था और योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को चुना गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२१]Limestone.

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश[२२]

†*९९८ { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ज० रा० मेहता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा अवैध प्रवेश किये जाने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो १ अप्रैल, १९५७ से अब तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य में दाखिल होने वाले व्यक्तियों की संभाव्य संख्या कितनी है ; और

(ग) इस प्रकार के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ग) जानकारी बताना जनहित में नहीं है।

वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण

†*९९९. { श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रूप नारायण :
श्री विश्वनाथ राय :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री म० दा० माथुर :
श्री कासलीवाल :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कनाडा के दल ने राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के गंगा नदी क्षेत्र का जो वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण किया था क्या उस के परिणामों की जांच की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लोक सभा पटल पर एक विवरण रखेगी जिस में उन के अवलोकन का परिणाम बताया गया हो ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२]

बरेली छावनी

*१०००. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय बरेली छावनी के निकट कई गांव की ५०० एकड़ भूमि अर्जित की गई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

[२२] Infiltration.

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भूमि तब से बिना किसी उपयोग के पड़ी हुई है और जमीन के मालिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि भूमि का उपयोग नहीं किया गया तो वह उन्हें वापिस कर दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) बरेली छावनी के करीब चनेटा, पर्गवान और थिरिया तीन गांवों में २८४.७५१ (न कि ५००) एकड़ भूमि का प्लाट पिछली लड़ाई में प्राप्त किया गया था ।

(ख) जी नहीं । ५८.०९ एकड़ भूमि, बरेली छावनी के मिलिटरी फार्म के लिये लड़ाई के बाद की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के बाद, किसानों को वापिस कर दी गई थी । २२६.६६१ एकड़ भूमि में से जो इस समय मिलिटरी फार्म के पास है, १३९.३०१ एकड़ भूमि को सरकार ने काफी लागत पर चारा उगाने के लिये विकसित किया है । तथापि गांव वालों की प्रार्थना के जवाब में, बाकी ८७.३६ एकड़ अविकसित भूमि उन्हें वापिस कर देने का फैसला हो चुका है ।

जाली नोट

†*१००१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में जाली नोट छापने के कितने केसों का पता लगा है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अग्निकांड

*१००२. श्री भक्त दर्शन : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २२ जुलाई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय भवन के अग्नि-काण्ड के कारणों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उस जांच के फलस्वरूप क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) . जांच अभी तक हो रही है । इसलिये अभी यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह जांच कब पूरी हो सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोदावरी नदी क्षेत्र (बेसिन) का सर्वेक्षण

१००३. श्री ब० स० मूर्त्ति : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्राचलम क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेपों की खोज के लिये गोदावरी नदी के दायें तट पर कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह सर्वेक्षण कब किया गया था; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आर्मी आर्डनेन्स कोर में जमादार

†७२९. { श्री वें० प० नायर :
श्री कोडियान :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है भारतीय सेना के आर्मी आर्डनेन्स कोर में पर्यवेक्षण-पदों पर काम करने वाले जमादारों के वेतन उन असैनिक कर्मचारियों के वेतनों से कम हैं जिनका काम वे स्वयं देखते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) आर्मी आर्डनेन्स कोर में असैनिक क्लर्कों और जूनियर कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को एक ही सूची में रखा जाता है, और हैड क्लर्कों/सहायक हैड क्लर्कों की पर्यवेक्षण नियुक्तियां उन्हीं लोगों में से वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं, परन्तु उनमें से उन लोगों को निकाल दिया जाता है जो कि पर्यवेक्षण के कार्य के योग्य नहीं होते । उस सामान्य सूची में से सापेक्ष वरिष्ठता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी व्यक्ति की जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में या अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में सेवा करते हुए कितना समय हो गया है ।

आर्मी आर्डनेन्स कोर का एक जमादार, जिसका वेतनक्रम १२२½–५–१३७½ रुपये मासिक होता है, जब पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है, तो वह निम्नलिखित कोटि के असैनिक कर्मचारियों के काम की देखभाल करता है :—

	वेतन क्रम
(१) लोअर डिवीजन क्लर्क	५५–३–८५—दक्षतावरोध—४–१२५–५–१३० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(२) अपर डिवीजन क्लर्क . . .	८०–५–१२०—दक्षतावरोध ८–२००–१०।२–२२० रुपये
(३) असैनिक स्टोर कीपर	
ग्रेड ४	१००–५–१२५–६–१८५ रु०
ग्रेड ३	१५०–७–१८५–८–२२५ रु०
(४) स्टोर-मैन	५५–३–८५—दक्षतावरोध—४–१२५

अतः इस स्थिति की दृष्टि से पर्यवेक्षण-पद पर काम करने वाले आर्मी आर्डनेन्स कोर के एक जमादार का मूल वेतन उन असैनिक कर्मचारियों से कम होता है जिनका काम वह देखता है ।

(ख) जमादारों और असैनिक कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों और शर्तों तथा वेतनों में अन्तर है । एक असैनिक कर्मचारी को वेतन-क्रम के अनुसार मूल वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ते मिलते हैं जिनमें महंगायी भत्ता भी सम्मिलित है । परन्तु एक जमादार को मूल वेतन और आंशिक महंगायी भत्ते के अतिरिक्त कई अन्य रियायतें भी मिलती हैं, जो कि असैनिक कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होतीं—जैसे कि निशुल्क राशन, सफ़ाई का प्रबन्ध, हजामत, धुलाई आदि का प्रबन्ध, वर्दी, रेलवे के निशुल्क पास सहित ६० दिन की वार्षिक छुट्टी, लाइन में आवास के बारे सुविधायें आदि । कुछ शर्तों के अधीन वह कुछ रियायतों के बदले में धन के रूप में भत्ते भी ले सकता है ।

चन्द्रकेतुगढ़ में खुदाई

†७३०. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १६ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रकेतुगढ़ में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा की गयी खुदाई के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) पुरातत्व विभाग द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति लोक सभा-पटल पर रखी जाती है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]

"हैपी ट्रेनिंग" डिप्लोमा

†७३१. श्री खाडिलकर : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैपी ट्रेनिंग केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्राइमरी स्कूलों के लिये दिये जाने वाले 'हैपी ट्रेनिंग उपाधि पत्र' को मान्यता देने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है । फिलहाल, इस डिप्लोमा को १९५७-५८ के लिये दिल्ली क्षेत्र के लिये मान्यता दे दी गयी है ।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

†७३२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यों पर केन्द्र द्वारा इस उद्देश्य के लिये दिये गये सहायता अनुदान में से कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : १९५६-५७ में पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये सहायता अनुदान के रूप में १९.८४ लाख रुपयों की एक राशि मंजूर की गयी थी । राज्य सरकार द्वारा वास्तव में खर्च की गयी राशि के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में मोटर-दुर्घटनायें

†७३३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मई से ३१ जुलाई, १९५७ तक दिल्ली में कितनी मोटर दुर्घटनायें हुई थीं; और

(ख) उनके परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ३८३

(ख) ३४.

अधिनियमों का अनुवाद

†७३४. श्री स० चं० सामन्त : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ से लेकर संसद द्वारा पारित अधिनियमों में से कितनों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है और उन्हें प्रकाशित कराया जा चुका है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : १९४७ और १९५६ के बीच पारित १०८ केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है और उन्हें प्रकाशित कराया जा चुका है ।

उत्पादन शुल्क संबंधी अपराध[२४]

†७३५. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने १९५६-५७ में उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी अपराधों के विरुद्ध प्रभावकारी कार्यवाही की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[२४] Excise Crimes.

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गयी उत्पादन-शुल्क वाली निषिद्ध वस्तुओं की कितनी कीमत होगी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) १९५६ में रु० ६३,९६५/७४

१९५७ में (१-१-५७ से २९-५-५७ तक) रु० १६५,०९०/८०

ग्रामीण जनता के लिये शिक्षा पद्धति

७३६. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण जनता के हित की दृष्टि से शिक्षा की वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४]

राइफल ट्रेनिंग

७३७. { पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री ह० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस स्टेशनों पर असैनिकों को राइफल का प्रशिक्षण देने के लिये अभी तक प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी ·२२ राइफलें दी गयी ह;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने पुलिस स्टेशनों में ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ग) एक केन्द्र में अधिक से अधिक कितने प्रशिक्षणार्थी हैं; और

(घ) इस योजना के अधीन, राजस्थान सरकार द्वारा कितने असैनिकों को राइफल प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]

(घ) इस योजना के अधीन अभी तक किसी को भी नहीं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

भूमि का बन्दोबस्त[२५]

†७३८. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५, १९५६ और जनवरी से जून, १९५७ के वर्षों में मनीपुर की इम्फाल पश्चिमी तहसील, इम्फाल पूर्वी तहसील, बिशनपुर तहसील, थौबल तहसील और जिरिबम में प्राप्त नयी भूमि के बन्दोबस्त के लिये कितने आवेदन पत्र आये थे;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने मामले निपटा दिये गये थे;

(ग) कुल कितने एकड़ भूमि का बन्दोबस्त किया गया है और कितने वर्षों के लिये;

(घ) उपरोक्त अवधि में वार्षिक पट्टा जारी करने के बाद कितने मामलों के बन्दोबस्त केन्सल कर दिये गये थे; और

(ङ) उसके क्या कारण थे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा के खनिजों का निर्यात

†७३९. श्री प्र० गं० देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को उड़ीसा के खनिजों को विदेशों में भेजने से कितनी आय होती है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : भारत से निर्यात खनिजों में से केवल मैंगनीज अयस्क पर ही निर्यात शुल्क लगता है । इस अयस्क पर सितम्बर, १९५६ से, जब कि शुल्क दुबारा लगाया गया था, जून, १९५७ तक ३ करोड़ १४ लाख रुपये का निर्यात शुल्क वसूल किया गया है ।

विभिन्न राज्यों में उत्पादित मैंगनीज अयस्क के निर्यातों का राजस्वार हिसाब नहीं रखा जाता । इसलिये उड़ीसा मैंगनीज अयस्क पर प्राप्त होने वाले निर्यात शुल्क की राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

दिल्ली में सड़क-दुर्घटनायें

†७४०. डा० राम सुभग सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में दिल्ली और नई दिल्ली में कितनी सड़क-दुर्घटनायें हुई थीं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में से कितनी घातक सिद्ध हुई हैं; और

(ग) क्या अब दिल्ली और नई दिल्ली में सड़क दुर्घटना बढ़ रही है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क)

१९५६	२६२१
१९५७ (१-१-५७ से ३०-६-५७) . .	८१९

†मूल अंग्रेजी में

[२५] Settlement & Land

(ख) १९५६ . . . . . ११४
१९५७ (१-५-५७ से ३०-६-५७) . . ६३

(ग) जी, नहीं । १९५७ के पूर्वार्ध में सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो रही है ।

मंत्रियों के यात्रा भत्ते

†७४१. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में प्रत्येक मंत्री द्वारा प्राप्त किये गये यात्रा भत्तों और अन्य भत्तों की कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा की जाने वाली मितव्ययता सम्बन्धी कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए इन खर्चों में कमी करने के बारे में कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके व्योरे क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्कल विश्वविद्यालय की इमारत

†७४२. श्री संगण्णा : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उत्कल विश्वविद्यालय की इमारत के निर्माण के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के लिये प्रार्थना की गयी है; और

(ग) कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) जुलाई, १९५५ में उड़ीसा सरकार ने उत्कल विश्वविद्यालय की इमारत को प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में क्रमशः १३,५८,००० रुपयों और २३,३१,००० रुपयों की लागत पर बनाने की एक योजना विचारार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी थी ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रयोगशालाओं की इमारत के निर्माण के लिये ३ लाख ५० हजार रुपयों का अनुदान मंजूर कर दिया है ।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में पुस्तकालयों व प्रयोग शालाओं का सुधार और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि

†७४३. श्री संगण्णा : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पुस्तकालयों और प्रयोग-शालाओं के सुधार के लिये और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग के अधीन कितनी राशि मांगी गयी है; और

(ग) कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां । विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन सम्बन्धी मामले के सिवाय ।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६]

उड़ीसा में बहु प्रयोजनीय स्कूल[२९]

†७४४. श्री संगण्णा : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हायर सैकण्डरी स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित करने के लिये अनुदान की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम के लिये आवेदन किया गया है;

(ग) कितनी रकम स्वीकृत की गयी है ;

(घ) क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना अवधि में कोई अनुदान दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो कितना; और

(च) प्रथम योजना अवधि में कितने हायर सैकण्डरी स्कूल बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित कर दिये गये हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां, किन्तु हायर सैकण्डरी स्कूलों से नहीं वरन् हाई स्कूलों को परिवर्तित करने से सम्बन्धित है ।

(ख) १२,०७,७०० रुपये ।

(ग) ६,०३,८५० रुपये ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) ५,८५,४२० रुपये ।

(च) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२९] Multi-purpose Schools.

मंत्रियों के यात्रा भत्ते

†७४५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में मंत्रियों और उपमंत्रियों की देश के भीतर और विदेशों में यात्रा पर कितना खर्च किया गया है;

(ख) मंत्रालय-वार अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

(ग) प्रधान मंत्री की विगत यूरोपीय यात्रा पर कितना खर्च किया गया है; और

(घ) प्रतिरक्षा मंत्री की पिछली अमेरिका पश्चिमी एशिया और यूरोप की यात्रा पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

खनन अनुज्ञप्तियां [२७]

†७४६. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री आंध्र प्रदेश के लौह अयस्क का व्यापार करने वाले खदान स्वामियों को लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के कारण बताने की कृपा करेंगे ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यथार्थ स्थिति यह है कि हाल के महीनों में आंध्र प्रदेश सरकार ने जिन २७ प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में सिफारिश की थी, उनमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा १० का अनुमोदन कर दिया गया है; १४ के बारे में राज्य सरकार से विस्तृत ब्यौरा मंगाया गया है और ३ प्रार्थना पत्र भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण को टेक्नीकल परामर्श के लिये निर्दिष्ट किये गये हैं । अतः मैं यह स्वीकार नहीं करता कि केन्द्रीय सरकार की ओर से विलम्ब हुआ है । जो भी विलम्ब हुआ है उसका कारण यह है कि आरम्भ में पूरी जानकारी नहीं दी गई और फिर बाद में स्पष्टीकरण की प्रार्थना करनी पड़ी ।

तम्बाकू की फसल का विनाश

†७४७. **श्री अवस्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक तम्बाकू उत्पादकों ने इस वर्ष अपनी फसल विनष्ट करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य से इस प्रकार आवेदन करने वालों की संख्या क्या है और इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) १९५० से १९५६ के बीच उत्पादकों द्वारा शुल्क की ऊंची दर के कारण कितनी तम्बाकू फालतू सिद्ध हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । यदि यह जानकारी एकत्रित की भी गई तो सारे देश में फैले हुए लगभग दो हजार से अधिक रेंज अधिकारियों को पत्र लिखना पड़ेगा जिसमें पर्याप्त खर्च होगा और अपरिमित श्रम तथा समय लगेगा ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२७] Mining Licences.

हरिजन कल्याण बोर्ड

†७४८. **श्री तिम्मय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजन कल्याण बोर्ड और आदिम जाति कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन बोर्डों के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में जारी किये गये संकल्पों की प्रतियां लोक सभा के पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]**

बम्बई में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†७४९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री बम्बई राज्य और गुजरात के कुछ भागों में १९५६-५७ में स्थायी रूप से रहने के लिये आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध

७५०. **श्री ह० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंध दृढ़ करने के लिये आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भारत सरकार ने १९५६-५७ में कितना खर्च किया; और

(ख) पश्चिम एशियाई देशों से भारत आने वाले व्यक्तियों और प्रतिनिधि-मंडलों पर भारत सरकार ने १९५६-५७ में कितना खर्च किया ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क) १,०४,००३ रुपये २९ नये पैसे ।

(ख) ११,३५० रुपये ७२ नये पैसे ।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्

†७५१. **श्री ब० स० मूर्ति**: क्या गृह-कार्य मंत्री २५ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् कार्यालय का अनुमानित वार्षिक खर्च कितना है और सम्बन्धित पक्षों द्वारा कितना कितना वहन किया जायेगा;

(ख) यह कार्यालय किस प्राधिकार के अन्तर्गत काम करता है; और

(ग) यह केन्द्र के एजेंट के रूप में काम करती है अथवा सम्पर्क स्थापक के रूप में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् कार्यालय का अनुमानित वार्षिक व्यय ९०,००० रुपये है। यह सम्पूर्ण रुप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा

(ख) क्षेत्रीय परिषद् का कार्यालय परिषद् के चेयरमैन के अधीन कार्य करता है ।

(ग) जी नहीं ।

असिस्टेंट का नियमित अस्थायी संस्थापन[२९]

†७५२. श्री बाल्मीकी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये नियमित अस्थायी संस्थापन में अस्थायी असिस्टेंटों के प्रत्येक वर्ग के लिये रक्षित कोटा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि असिस्टेंटों का नया नियमित अस्थायी संस्थापन दीर्घ काल तक घोषित नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार असिस्टेंटों के अन्य नियमित अस्थायी संस्थापन की सूची कब तक निकालने का विचार रखती है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) असिस्टेंट वर्ग के स्थायी रिक्त स्थानों की पच्चीस प्रतिशत पूर्ति निम्नलिखित तीन वर्ग के नियमित अस्थायी संस्थापन से की जाती है :—

(१) केन्द्रीय सचिवालय क्लर्की सेवा की आरम्भिक रचना से जो वर्ग 'प्रथम' में स्थायी हैं उनकी वरिष्ठता के आधार पर, बशर्ते कि वे अयोग्य होने के नाते रद्द नहीं कर दिये गये हैं,

(२) असिस्टेंट के वर्ग में अर्द्ध-स्थायी घोषित व्यक्ति;

(३) असिस्टेंट वर्ग के लिये द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण के व्यक्ति जो असिस्टेंट के नियमित अस्थायी संस्थापन के माध्यम से इस वर्ग में अभी तक नहीं लिये जा सके हैं ।

असिस्टेंट के नियमित अस्थायी संस्थापन में इन तीन वर्गों के लिये नियत रिक्त स्थानों की पूर्ति का अनुपात ४, ३ और १ है ।

इस वर्ग के रिक्त स्थानों में पच्चीस प्रतिशत के अतिरिक्त इतनी ही संख्या की पूर्ति असिस्टेंट के नियमित अस्थायी संस्थापन के माध्यम से उन व्यक्तियों में से की जाती है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल घोषित किये जाते हैं । इस सीमित परीक्षा में अस्थायी असिस्टेंट और स्थायी तथा कार्यकारी अपर डिवीज़न क्लर्क सम्मिलित होने के अधिकारी हैं । अपने क्रम के अनुसार समुचित अवसर पर इस वर्ग के व्यक्ति भी नियमित अस्थायी संस्थापन में समायोजित किये जायेंगे ।

(ख) और (ग). इसके लिये उपयुक्त व्यक्तियों की प्रारम्भिक सूची तैयार की जा रही है; किन्तु नियमित अस्थायी संस्थापन की सूची को अन्तिम रूप देने के लिये प्रस्तावित सीमित प्रतियोगिता के परिणाम तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२९] Regular Temporary Establishment of Assistants.

केरल में अनुसूचित जातियों के लिये अनुदान

†७५३. **श्री इ० ईयाचरण:** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५७–५८ में कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि में इनके कल्याण के लिये कुल कितनी रकम खर्च की जायेगी;

(ग) उक्त कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५६–५७ में कितनी रकम नियत की गई है; और

(घ) उपरोक्त अवधि में कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५७–५८ में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये राज्य सरकार को ५.५२ लाख रुपये दिये गये हैं। राज्य सैक्टर[१०] के अन्तर्गत ३२.७६ लाख रुपये के खर्च की योजनाएं राज्य सरकार से प्राप्त हुई थीं और ये विचाराधीन हैं। अनुमोदित योजनाओं पर होने वाने खर्च का ५० प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

(ख) सम्पूर्ण राशि के व्यय किये जाने की सम्भावना है क्योंकि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्य सरकार को इस वर्ष जितना सहायक अनुदान दिया जा सकता है उसकी इत्तला उसे दे दी गई है और उससे कह दिया गया है कि खर्च के अपने ५० प्रतिशत भाग की मदद से वे अपना कार्य जारी रखे और औपचारिक मंजूरी की प्रतीक्षा न करे।

(ग) १९५६–५७ राज्य सैक्टर के अन्तर्गत १.८० लाख रुपये और केन्द्र आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत ३.७२ लाख रुपये में आवंटित किये गये थे।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये होस्टल

†७५४. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में आदिम जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिये कितने होस्टल अथवा बोर्डिंग हाउस हैं; और

(ख) क्या इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोई उपबंध है; और

(ग) यदि हां, तो कितने बढ़ाये जायेंगे और कितने समय के भीतर ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१०] State Sector,

एम० बी० बी० कालेज, अगरताला, के प्रोफेसर

†७५५. **श्री दशरथ देब** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० बी० बी० कालेज, अगरताला, के अस्थायी प्रोफेसरों की संख्या कितनी है ;

(ख) वे कितने समय से अस्थायी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रोफेसरों के अनेक पद खाली रहते हैं क्योंकि अस्थायी पदों पर उम्मीदवार नहीं आते हैं; और

(घ) इन पदों को स्थायी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

आंध्र में प्रादेशिक भाषाओं का विकास

†७५६. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ३० जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये आंध्र प्रदेश ने १९५७-५८ में कितना सहायक अनुदान दिया जायेगा; और

(ख) यह किन-किन मदों पर खर्च किया जायेगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये १३ नवम्बर, १९५६ के पत्र के उत्तर में आंध्र प्रदेश सरकार से प्रादेशिक भाषा के विकास के बारे में कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है और उक्त राज्य को १९५७-५८ में कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया है । आंध्र प्रदेश राज्य से योजना प्राप्त होने पर अनुदान की रकम पर विचार किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापक

†७५७. **स्वामी रामानन्द शास्त्री** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २१ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कलों में ग्यारहवीं कक्षा तक लोअर गणित पढ़ाने वाले ऐसे कितने अध्यापक हैं जो (१) १ जनवरी, १९४७ अथवा उससे पूर्व और (२) १ जनवरी १९४७ के पश्चात से कार्य कर रहे हैं और जो २००-४०० रु० के वेतन-क्रम में हैं; और

(ख) ऐसे कितने अध्यापक हैं जो २००-४०० रु० के वेतन-क्रम में हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों में प्रशिक्षित ग्रेजूएट अध्यापक

†७५८. **स्वामी रामानन्द शास्त्री :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २००–४०० रुपये के वेतन-क्रम में नियुक्त दिल्ली में सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा तक (१) लोअर गणित और (२) लोअर गणित के अतिरिक्त विषय पढ़ाने वाले प्रशिक्षित ग्रेजुएट अध्यापकों की क्या संख्या है; और

(ख) उन अध्यापकों की क्या संख्या है जो नये वेतन-क्रम के लागू किये जाने के समय २००–४०० रुपये के वेतन-क्रम में नहीं रखे गये थे ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव :** श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से संदेश मिले हैं जिनके साथ उन्होंने राज्य-सभा द्वारा क्रमशः १२ अगस्त, १९५७ तथा १३ अगस्त, १९५७ की अपनी बैठकों में पारित किये गये निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति संलग्न की है :—

(१) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९५७

(२) न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९५७

मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश भी मिला है कि राज्य-सभा ने बुधवार, १४ अगस्त, १९५७ को अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है :

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा नौ-सेना के शासन सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें :—

१. डा० आर० के० मुकर्जी

२. डा० डब्ल्यू० एस० बालिगा

३. डा० रघुबीर सिंह

४. श्री सोनूसिंह धनसिंह पाटिल

५. श्रीमती के० भारती

६. श्री टी० एस० पट्टाभिरामन्

७. सरदार रघुबीर सिंह पंजहज़ारी

८. शाह मोहम्मद उमैर

९. श्री महावीर प्रसाद

---

†मूल अंग्रेजी में

१०. श्री बी० के० मुकर्जी

११. डा० एच० एन० कुंजरू

१२. श्री वी० प्रसाद राव

१३. श्री वी० के० ढागे।"

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक और न्यूनतम मंजूरी (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये

†**सचिव** : श्रीमान, मैं निम्न विधेयकों को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

१. भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९५७

२. न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९५७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

यमुना में बाढ़

†**श्री सोनावने** (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, नियम १९७ के अन्तर्गत मैं, अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

(क) यमुना नदी में हाल ही में आई बाढ़ की व्यापकता,

(ख) उससे होने वाली सम्पत्ति तथा फसल की हानि,

(ग) बाढ़ पीड़ित लोगों को इस मुसीबत से बचाने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक किये गये विशिष्ट उपाय।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जुलाई के अन्तिम सप्ताह में भारी वर्षा होने के कारण, २८ जुलाई को यमुना के पानी का स्तर खतरे के चिह्न तक पहुंच गया था परन्तु उससे आगे नहीं बढ़ा। लोगों को या उनके पशुओं को हटाया भी नहीं गया और किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। केवल पानी के अधिक बहाव के कारण नदी के पास की भूमि में खरीफ फसल के लिए बोये गये बीजों की हानि के अतिरिक्त, सम्पत्ति की भी कोई हानि नहीं हुई है। आस पास के क्षेत्रों के संरक्षण के लिए गत वर्ष शहादरा बांध बनाया गया था और इस वर्ष निचले बांध को और मजबूत कर दिया गया है। शाह आलम पुल और कौरोनेशन स्मारक को मिलाने वाला एक नया बांध इस वर्ष बनाया गया है जिससे उन १४ गांवों के लिए स्थायी सहायता की व्यवस्था कर दी गई है जो हाल की वर्षा के कारण पानी से चारों ओर घिर गये थे और जिन्हें नुकसान हुआ था। उनकी आबादी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक सदस्य की गिरफ्तारी तथा निरोध

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे जयपुर नगर के डिप्टी सपुरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का १६ अगस्त १९५७ का निम्न पत्र मिला है :—

"मैंने दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ५४(१) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा कि संसद् सदस्य श्री हरिश्चन्द्र शर्मा को भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०९ के अधीन अपराध करने के लिये गिरफ्तार किया जाये ।

संसद् सदस्य श्री हरिश्चन्द्र तदनुसार १६ अगस्त १९५७ को २ म० पू० पर गिरफ्तार कर लिये गये और इस समय जयपुर सैंट्रल जेल में रखे गये हैं ।"

---

*अनुदानों की मांगें—जारी

गृह-कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा पुनः आरम्भ करेगी । इन मांगों के लिये ८ घंटे निर्धारित किये गये थे जिनमें से ४ घंटे ८ मिनट समाप्त हो चुके हैं शेष ३ घंटे ५२ मिनट हैं । कल श्री दातार बोल रहे थे, वह अब अपना भाषण जारी रखें ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं कई बातें पहले ही बता चुका हूं और आज सभा का अधिक समय न लेकर केवल ऐसी ही बातें आपके सामने रखूंगा जो अत्यावश्यक हैं । उनमें से एक अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के रक्षण के बारे में है । एक माननीय सदस्य ने तो यह सुझाव दिया था कि यह रक्षण संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए होना चाहिए । मैं यह बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय सेवाओं में और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में यह कारण पहले से मौजूद है । परीक्षा के आधार पर जो भी नियुक्तियां की जाती हैं, उन में से १२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत अनुसूचित जातियों और ५ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित की जाती हैं । मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि गत कुछ वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है । उच्च सेवाओं में हम अधिक प्रतिशत ा दे रहे हैं और सभी प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं कि जितने संभव हों उतने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के लिए जायें ।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह रक्षण सीधी भरती पर ही लागू होता है यह उन पदों पर लागू नहीं होता जिन के लिये नियुक्तियां पदोन्नति अथवा चुनाव के आधार पर होते हैं । पदोन्नति सम्बन्धित व्यक्ति की कार्यक्षमता पर भी निर्भर है । जब एक व्यक्ति भरती किया जाता है तभी रक्षण का प्रश्न होता है और यह लागू भी तभी किया जाता है । परन्तु पदोन्नति भी रक्षण के आधार पर करना ठीक नहीं होगा । जब एक व्यक्ति सरकारी सेवा में आता है तो उसकी पदोन्नति उसके काम आदि पर ही निर्भर होनी चाहिए । यह बिल्कुल गलत तथा हानिप्रद है कि पदोन्नति में रक्षण के लिये भी नियम बनाये जायें । एक विशेष समुदाय अथवा

---

† मूल अंग्रेजी में

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

[श्री दातार]

जाति के लोग अधिक कार्यक्षमता आदि से काम करने के बजाये पदोन्नति का आधार अपनी जाति को मानकर काम उचित रूप में करना छोड़ देंगे। कुछ दिन पूर्व ही एक गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर चर्चा हुई थी जिसमें माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि रक्षण आदि के लाभ आदि अब नहीं दिये जाने चाहिए और उन्हें हटा देना चाहिए। प्रधान मंत्री ने विवाद में हस्तक्षेप किया था। उस संकल्प का आशय यही था कि इन जातियों को जो विशेष सुविधायें प्राप्त हैं उन्हें अब बन्द कर दिया जाये। मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार की इच्छा अनुसूचित जाति और आदिम जाति के अधिक से अधिक व्यक्तियों को सेवाओं में लेने की है। संभव है कुछ दिनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा हो, इसलिए मैं इस समय इस पर अधिक कुछ नहीं कहूंगा। केवल यही बतलाऊंगा कि सरकार और अधिक व्यक्तियों को सेवा में लेना चाहती है और इसीलिए सेवा में भरती के कई लाभों की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन जातियों के लोग धीरे धीरे अर्हता प्राप्त करके इन सेवाओं में अपनी संख्या बढ़ायेंगे।

दूसरा प्रश्न जेलों में सुधारों के बारे में है। श्री राधारमण ने सुझाव दिया है कि यह राज्य का विषय है। परन्तु फिर भी सरकार इस पर ध्यान रखना चाहती है कि जेलों का प्रशासन उचित रूप में हो। यह कुछ स्वीकृत सिद्धान्तों पर आधारित है। पहले भयोत्पादक दण्ड देने का सिद्धान्त था परन्तु अब एक नया विचार अपनाया जा रहा है। इस प्रश्न पर उदारता से विचार किया जाना चाहिए हमारा दृष्टिकोण बन्दी में सुधार करके उसे पुनर्वासित करने का होना चाहिये ताकि जब वह जेल से छूटे तब समाज विरोधी व्यक्ति होने के बजाये वह समाज का लाभदायक सदस्य बन जाये। गत पांच, छः वर्षों में कई राज्यों, जैसे बम्बई आदि ने कुछ समितियां नियुक्त की हैं और उनकी सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं।

इस सभा में और बाहर भी एक बात यह कही गई है कि जेल प्रशासन के समान नियम होने चाहिएं। यह प्रश्न विचार किये जाने योग्य है। भारत सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। जेल सुधार के सभी प्रश्नों पर एक उप-समिति विचार कर रही है। पिछले महीने इसकी बैठक हुई थी और यह सभी बातों पर विचार कर रही है कि अखिल भारतीय कारावास नियमावलि किस प्रकार बनाया जाये, कारावास अधिनियम तथा अन्य केन्द्रीय विधियों का पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाये, बन्दियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में क्या किया जाये, जेलों में ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में क्या किया जाये जो सामान्यतया साधारण हों परन्तु वास्तव में बड़े गंभीर हों, और जेलों में धूम्रपान, स्त्री तथा बाल बन्दियों की देखभाल, हथकड़ी लगाने, बन्दियों के कोड़े लगाने आदि के बारे में क्या किया जाये। भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति इस पर विचार कर रही है। इस समिति में कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों के साथ साथ विभिन्न राज्यों की जलों के महा निरीक्षक भी हैं। टाटा की समाज विज्ञान की संस्था के कर्मचारियों का प्रतिनिधि भी इसमें है। हमें विश्वास है कि इसका प्रतिवेदन मिल जाने पर और राज्यों की सलाह ले लेने पर, हम नियम बनायेंगे जो लगभग समान होंगे और जो सभी राज्यों के लिए होंगे। सभी राज्य सरकारों के सहयोग से इस प्रश्न पर विचार होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में जेलों का प्रशासन बड़े सुचारु रूप से चलाया जायेगा। जैसा कि मैंने बताया मूल सिद्धान्त यह होगा कि व्यक्ति का सुधार हो और उसका पुनर्वास इस प्रकार हो कि वह राज्य का एक सभ्य नागरिक बन सके।

अन्त में, मैं राज्य पुनर्गठन के कुछ पहलुओं के बारे में वास्तविक आंकड़े बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बम्बई को विशाल द्विभाषा भाषी राज्य बनाने का प्रश्न मुख्यतः उन संसद सदस्यों ने सभा के समक्ष रखा था जो कांग्रेस दल के नहीं थे। जिन १५ सदस्यों ने द्विभाषा-भाषी बम्बई राज्य बनाने के लिए कदम उठाये उनमें से १३ सदस्य कांग्रेसी नहीं थे और केवल दो ही कांग्रेसी थे। अन्त में जब इस संशोधन को मतदान के लिए रखा गया था उस समय सभी दलों को मिला कर केवल ४० ने इसका विरोध किया था। माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता, आचार्य कृपालानी, श्री जयपाल सिंह आदि जो प्रजा सोशलिस्ट दल तथा अन्य दलों के थे सब ने इसके पक्ष में मत दिया था। इसको सभा के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। और इसीलिए सरकार ने इस संशोधन को स्वीकार किया था।

इसलिए जहां तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सम्बन्ध है इसका सुझाव बहुत से माननीय सदस्यों ने दिया था जिनमें सारे कांग्रेसी नहीं थे। सरकार ने इसे इसीलिए स्वीकार किया था क्योंकि इसको इस सभा के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। जब इस सभा में बम्बई को द्विभाषा-भाषी राज्य बनाने का संकल्प पारित किया गया था तब जन कल्याण पर ही सब से अधिक ध्यान रखा गया था। इसीलिए मैंने यह कहा है कि इस संकल्प को हमें अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए।

†**श्री सम्पत** (नामक्कल) : गृह-कार्य मंत्रालय मुख्यतया सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक सुरक्षा, प्रशासन आदि से सम्बन्धित है। केन्द्र तथा राज्य की सरकारी सेवाओं में अभी भी बड़ी असमानता है। यद्यपि इस असमानता को दूर करने के कुछ थोड़े से प्रयत्न किये गये हैं फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों है। दक्षिण की अघोषित सेवाओं के लिये सब से कम वेतन-क्रम है; मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह वेतन आयोग के निर्देश पदों में राज्य सरकारों के वेतन-क्रम भी शामिल कर लें।

अब मैं अन्दमान तथा निकोबर, और लक्कादीव, अमीनदीवी तथा मिनिकाय द्वीप समूह के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वहां की जनता की दो मांगें हैं। एक तो यह कि इस सभा में उनका निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए; दूसरे उनकी स्थानीय परामर्शदात्री समिति भी निर्वाचित होनी चाहिए। मेरी सरकार से अपील है कि वह जनता की इन मांगों को स्वीकार करे।

इन द्वीपों में जो हाई स्कूल हैं उनमें हिन्दी, बंगाली तथा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है परन्तु तामिल नहीं पढ़ाई जाती है। यह बड़ा अन्याय है क्योंकि ५० प्रतिशत से अधिक व्यक्ति तामिल-भाषा-भाषी हैं। यह अन्याय दूर होना चाहिए। इसी सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लंका से बहुत से तामिल भाषा-भाषी लोग निकाले गये हैं। उन्हें तामिलनाड में तो कोई रोज़गार मिल नहीं सकता क्योंकि वहां की हालत केन्द्र द्वारा उपेक्षा किया जाने के कारण बड़ी खराब है। इसीलिए मैं यह अपील करता हूं कि इन विस्थापित व्यक्तियों को भरसक सहायता दी जाये। इनको अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में बसाने की योजना बनानी चाहिये।

लक्कादीव, अमीनदीवी और मिनिकाय द्वीपों में परिवहन तथा संचार सुविधायें अपर्याप्त हैं। कुछ दिन से ही केन्द्र ने इनका प्रशासन संभाला है इसलिए मैं केन्द्र पर उनके पिछड़ने का आरोप नहीं लगाता हूं। परन्तु फिर भी मेरा निवेदन है कि हमें नियमित और पर्याप्त स्टीमर सेवा चलानी चाहिए जिससे मुख्य भूमि से इनका सम्पर्क बढ़ जाये और इनकी प्रगति हो। अन्दमान

† मूल अंग्रेजी में

[श्री सम्त]

द्वीप पर भी आने जाने के लिए मद्रास और कलकत्ते से अधिक स्टीमर चलाये जाने चाहिए और कलकत्ते, मद्रास से पोर्ट ब्लेयर तक विमान सेवा चालू करनी चाहिए।

जिस प्रकार लकड़ी उद्योग के लिए अन्दमान में भविष्य अच्छा है उसी प्रकार आधुनिक पद्धति पर मछली पकड़ने का उद्योग भी इन दोनों द्वीप समूहों में बहुत सफल हो सकता है।

बम्बई के पुनर्गठन के बारे में जो कुछ मेरे माननीय मित्र कह चुके हैं उससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो समस्यायें पहले नहीं सुलझी थीं वह अभी भी उलझी ही पड़ी हैं क्योंकि सरकार का कहना है कि पुनर्गठन का मामला सदा के लिए तय हो चुका है, जैसे कोई जादु से तय हो गया है और अब बदला नहीं जा सकता। तामिलनाड में भी कुछ ऐसे क्षेत्र जो तामिल भाषा-भाषी हैं, शामिल नहीं किये गये हैं। मेरा विचार है कि यह समस्या केवल जनमत का पता लगाकर ही हल की जा सकती है क्योंकि तब जो निर्णय होगा उसको सभी स्वीकार कर लेंगे।

मैं नहीं जानता कि मद्रास को तामिलनाड नाम देने से सरकार क्यों झिझकती है। इसी प्रकार सीधे सादे प्रश्न उलझन वाले बन जाते हैं।

भारत संघ की राज भाषा के सम्बन्ध में सरकार को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और हिन्दी को अहिन्दी भाषा-भाषियों पर थोपनी नहीं चाहिए। अक्सर ऐसी योजनाओं को स्वीकार कराने के लिए लोग एकता की दूहाई देते हैं। परन्तु एकता विधि द्वारा अथवा ज़बरदस्ती नहीं उत्पन्न की जा सकती। यह तो आपसी प्रेम और आदर के परिणामस्वरूप होता है। मेरा सुझाव है कि देश की राज भाषा बनाने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और राज भाषा बनाई जाने वाली भाषा के लाभ और हानि सभी पर पूर्णतः विचार किया जाना चाहिए।

द्रविड़ मुनेत्रा कड़घम द्वारा द्रविड़नाड की मांग करने पर कांग्रेसी दल के लोग क्रोधित हो जाते हैं। परन्तु यदि वह इस मांग के कारणों को देखें तो उन्हें पता लगेगा कि मद्रास में प्रथम कांग्रेसी सरकार बनने पर स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्यतः पढ़ाये जाने के कारण ही यह मांग की गई थी और तभी अलग तामिल राज्य बनाने का विचार तामिल भाषा-भाषी जनता के मस्तिष्क में आया था। जब कोई भाषा ऐसे लोगों पर जो उस भाषा को नहीं जानते, थोपी जाती है तो वह भाषा का विवाद ही नहीं रहता बल्कि वह एक सांस्कृतिक विवाद बन जाता है। हिन्दी का प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं रह गया है; इस से एक दल विशेष द्वारा दूसरे दल पर प्रभुत्व जमा लेने का डर पैदा हो गया है।

कुछ दिन पूर्व करनूल में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारी राष्ट्रभाषा केवल हिन्दी ही नहीं है अपितु संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषायें हमारी राष्ट्रीय भाषायें हैं। परन्तु मुझे इसका बड़ा ही खेद है कि उच्चपदासीन कुछ व्यक्ति बार बार यह कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है। मेरा निवेदन है कि सरकार को स्पष्ट रूप में बता देना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा केवल हिन्दी है अथवा अन्य भाषायें भी राष्ट्रभाषायें हैं। अन्त में मैं यह बता देना चाहता हूं कि कोई भी ताकत तामिलनाड की जनता को हिन्दी साम्राज्यवाद स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

†**श्री बा० चं० कामले** (कोदरगांव) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि क्या बुद्ध धर्म अपनाने वालों के सम्बन्ध में संघ का निर्णय सांविधानिक, न्यायपूर्ण और

† मूल अंग्रेजी में

किसी सिद्धान्त पर आधारित है। मैं श्री दातार के पास गया और उन्होंने बताया कि वास्तव में कोई निर्णय हो नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता था कि यदि कोई निर्णय किया गया है तो उस निर्णय के आधार पर संघ सरकार ने क्या अनुदेश जारी किये हैं।

मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने बताया कि जिन अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है उन्हें वह संरक्षण नहीं प्राप्त होंगे। यह निर्णय किस आधार पर किया गया ? मुझे खेद है कि माननीय गृह मंत्री जैसे विद्वान राजनीतिज्ञ ने मेरे प्रश्न का उत्तर घुमाफिरा कर दिया और कहा कि संसद का एक अधिनियम है।

हमारी प्रगतिवादी बम्बई सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म अपनाने वालों को कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। जो लोग इस प्रकार सहायता लेंगे तो उन्हें दण्ड दिया जायेगा।

मंनु का कानून भी ऐसा नहीं था—मुझे खेद है कि आज हम इस प्रकार की नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं—यह सरकार प्रतिनिधि सरकार है किन्तु यह तो बताया जाये कि क्या ऐसे निर्णय करने से पूर्व किसी संबंधी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई सलाह ली जाती है। यह बात चलती हो नहीं है। सरकार को ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

इस बात का पहला प्रभाव पाठशाला जाने वाले बच्चों पर पड़ेगा। उनके माता पिता घबरा गये हैं—इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि गत वर्ष जो कानून बनाया गया था उसके पीछे कौनसा सिद्धान्त रखा गया है।

मैं समझता हूं कि संसद तत्संबन्धी कानून संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अन्तर्गत बना सकती है। किन्तु क्या यह कहना उचित है कि केवल हिन्दु तथा सिख धर्म मानने वालों को ही अनुसूचित जाति के लोगों में माना जायगा। जो सिद्धान्त संविधान के अन्तर्गत ही नहीं है उस सम्बन्ध में संसद कानून नहीं बना सकती।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री का ध्यान संविधान के खण्ड २५ की ओर दिलाता हूं। व्याख्या २ में कहा गया है कि हिन्दु से अभिप्राय—सिख—जैन—बौद्धों से भी लिया जायगा। इसका अर्थ है ये धर्म मानने वाले लोग भी हिन्दु ही हैं और जहां तक कल्याणकारी बातों का सम्बन्ध है उसमें तो ये व्याख्यायें लागू होती हैं। इसलिये सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती।

अनुच्छेद १७ में लिखा है कि अस्पृष्यता का उत्सादन किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति उसे मानेगा तो वह दण्डनीय अपराध होगा।

अब तनिक पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन की ओर भी ध्यान दें। उसमें लिखा है कि अनुसूचित जातियों की पहिचान का सीधा तरीका यह है कि वे अस्पृष्य माने जाते हैं।

हम ने संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ ली है। जब हमारे संविधान ने अस्पृश्यता का अस्तित्व ही मिटा दिया तो सरकार स्वयं ही उसे क्यों उभार रही है? संविधान के अनुच्छेद १७ के विरुद्ध आचरण करने का अपराध स्वयं सरकार ही कर रही है। मेरा विचार तो यह है कि 'अनुसूचित जातियां' अथवा 'अछूत' यह अभिव्यक्ति ही संविधान के विरुद्ध है। किसी विशेष जाति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित कर के उन्हें विशेष सुविधायें देने

[श्री बा० चं० कामले]

का ढंग ठीक नहीं है। देखना यह चाहिये कि वे विशेष सहायता अथवा रियायत के उपयुक्त हैं अथवा नहीं। यदि हैं, तो उन्हें यह रियायतें मिलनी चाहिये। सरकार को भी यही देखना चाहिये कि क्या अमुक जाति को संरक्षण देना उपयुक्त है। उस के अनुसार ही कार्य होना चाहिये।

कहा गया है कि बम्बई राज्य के मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा है कि धर्म परिवर्तन के साथ साथ सुविधायें भी छीन ली जांयगी। और यह उन लोगों के लिये है जो ईसाई अथवा मुसलमान बनेंगे। परन्तु महात्मा गांधी तो ऐसा नहीं कहते थे। इसलिये या तो गांधी जी गलत थे या गृह-कार्य मंत्री और बम्बई के मुख्य मंत्री गलत हैं।

गांधी जी द्वारा कही गई बात को मानने अथवा न मानने के बारे में सरकार को गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये।

संविधान सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट भी मेरे पास है, उस में यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रश्न अनुसूचित जातियों का नहीं, प्रश्न तो यह है कि पिछड़े वर्गों को आगे बढ़े हुए वर्गों के साथ समान स्तर पर लाया जाये। समिति की रिपोर्टों की दूसरी माला, १९४८ के पृष्ठ ३४ में यह बात स्पष्ट लिखी है। नाम की तो कोई बात नहीं। धर्म सूत्रों और मनुस्मृति में भी कई नाम हैं। १९१७ में स्वयं कांग्रेस ने भी उन्हें दलित वर्ग का नाम दिया था। गांधी जी उन्हें हरिजन कहते थे। इसलिये मेरा कहना है कि नाम के चक्कर में न पड़ कर सरकार को यह देखना चाहिये कि सरकार इन की अवस्था क्या है और ये किस हालत में समय व्यतीत करती हैं?

संसार के किसी देश में जात पात का ऐसा चक्कर नहीं और मेरा निवेदन है कि यह सामाजिक न्याय नहीं। हमें वह सभी संरक्षण प्राप्त होने चाहिये जिन की संविधान में व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर समुचित ध्यान देगी। और माननीय मंत्री मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या ४५ के सम्बन्ध में मेरी बात का उत्तर देंगे।

श्री ना० नि० पटेल (बलसार-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप ने मुझे होम अफेअर्स के बारे में बोलने का मौका दिया उस के लिये मैं आप का आभारी हूं।

उस दिन यहां नाना साहब पटेल ने बम्बई के बारे में कुछ बातें कहीं। जो कुछ उन्हों ने कहा वह उन की अपनी बातें थीं। लेकिन बम्बई में उन्हों ने क्या कहा और क्या किया वह बातें नहीं बताईं। वह बातें मैं यहां पर बताना चाहता हूं। यहां पर हमारे कम्युनिस्ट भाई, श्री डांगे ने कहा, पी० एस० पी० के साथियों ने कहा, हमारे महागुजरात वालों ने भी कहा, कि जिस आदमी ने वहां पर फायरिंग कराया उस आदमी को यहां पर बड़े ओहदे पर लाया गया। मगर वहां पर फायरिंग कराने का किसी को शौक नहीं था। क्या किया था उन लोगों ने वह भी तो जरा देखिये। जो बात मैं यहां बतला रहा हूं वह अपने निजी अनुभव की है, उस को मैं ने अपनी आंखों से देखा है। मैं विले पार्ले में रहता हूं जोकि बम्बई से १३ मील दूर है। मैं बतलाना चाहता हूं कि वहां पर "आमचि मुम्बई और मुम्बई सडु संयुक्त महाराष्ट्र ज़ालच पाइजे" बोलने वालों ने क्या किया। पांच पांच सौ और सात सात सौ आदमियों के जलूस निकाले जिन में दस दस और बारह बारह साल के बच्चे भी थे। ये लोग रास्ते पर घूमते थे। पार्ले के कोई रास्ते की एक इलेक्ट्रिक की बत्ती नहीं रहने दी। जहां जहां वह लोग घूमते थे वहां वहां किसी के माकान में एक सजा कांच नहीं रहने दिया। दुकानें लूटीं, मकान लूटे और इस सब से बढ़ कर हमारी मां, बहिन बेटियों की इज्जत लूटी।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस प्रकार झूठी बात कहना सभा का अपमान करना है । उन्हें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी-अपनी बात कहने का अधिकार है । माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्हों ने स्वयं अपनी आंखों से सब कुछ देखा है । वह जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्हें किसी बात के कहने से रोका नहीं जाना चाहिये । इस प्रकार अन्तर्बाधा उत्पन्न करने से काम नहीं चलेगा ।

†**श्री बा० चं० कामले** : बम्बई सरकार के सामने भी प्रश्न के रूप में यह बात उठाई गई थी । यदि आप इस का उत्तर देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि इन आरोपों के पीछे कोई तथ्य नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बम्बई विधान सभा की कार्यवाही का उल्लेख नहीं कर रहे हैं वह तो अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं अतः उन की बात को गलत कहने की कोई आवश्यकता तथा गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री ना० नि० पटेल : हमारे यहां बम्बई में वे लोग मैजौरिटी में थे यानी लाल बाग, परेल, पोई बावड़ी इत्यादि में, वहां हम गुजरातियों के साथ जोकि माईनौरिटी में थे, जोकि लघुमत में थे, क्या हुआ । हमारे जितने भी भाइयों की वहां पर दुकानें थीं, उन में से कोई भी दुकान सलामत नहीं बची, सब की सब दुकानें लूट ली गईं । हमारे यहां पारले के अन्दर मेरे मकान के बाजू में ही एक दुकान में जितनी भी चीजें थीं, जितना भी रुपया पैसा तथा, जितना भी अनाज था तथा दूसरी चीजें थीं, उन सब को लोग उठा ले गये और बेचारा उस दुकान का मालिक देखता ही रह गया, कुछ भी नहीं कर सका । इतने से इन लोगों को शान्ति नहीं हुई । इस के बाद उन्हों ने उस की दुकान को आग लगाने की कोशिश की । पर हम ने सोचा आज तो इस की दुकान लूटी जा रही है कल को हमारी भी बारी आ सकती है । अगर हम संगठित नहीं होंगे तो कल हमारी भी यही दशा होगी । उस वक्त हम लोगों को कांग्रेस ने यह आदेश दिया कि तुम भी अपनी रक्षा करने के लिये संगठित हो जाओ । इस के बाद शहर के लोग इकट्ठे हुए और वहां पर हम ने बातचीत की जिस के फलस्वरूप पन्द्रह रोज़ तक, दिन और रात, हम ने पैट्रोलिंग (गश्त) किया ।

अब मैं आप को एक और ही बात बतलाना चाहता हूं । मेरे घर में टेलीफोन था । टेलीफोन के ऊपर कितनी ही बार मुझ को थ्रेटन (धमकी) किया गया और कहा गया कि रात के दो बजे या बारह बजे हम पांच सौ आदमी ले कर आयेंगे और तुम सम्भल कर रहना और तुम्हारी औरत को उठा कर ले जायेंगे, बच्चों को उठा कर ले जायेंगे । इस तरह की धमकियां मुझे टेलीफोन पर दी गईं । मैं मुरारजी देसाई को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ अपनी कांग्रेस सरकार को भी धन्यवाद देता हूं जिन्हों ने कि बम्बई को दूसरा पाकिस्तान बनाने के जो उन के प्रयत्न थे, उन को उस ने असफल कर दिया, उन को उस ने धूल में मिला दिया । हमारी इस सरकार ने सारे बम्बई शहर को बचाया है तथा वहां के नागरिकों की रक्षा की है । बम्बई के अन्दर केवल गुजराती ही नहीं रहते हैं, वहां पर तो सारे देश के लोग आ कर बसे हुए हैं और सारे देश के लोग वहां पर अपना पेट भरते हैं । ये लोग अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो सके, उस में इन्हें नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा है । इस का केवल एक मात्र कारण है और वह यह कि वहां पर मुरारजी देसाई जैसे लोखंडी पुरुष थे, महान पुरुष थे और इन को हम ने वहां पर बिठा रखा था । उन लोगों ने इन की कार्रवाइयां नहीं

† मूल अंग्रेजी में

[श्री ना० नि० पटेल]

चलने दीं । आज हमारे यहां पर बैठे हुए भाई यह कहते हैं कि उन को यहां पर और भी बड़ी पोस्ट पर बिठा देना अन्याय है । मैं इन लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि गुजरात में क्या हुआ है । जब गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद बनने जा रहा था उस वक्त क्या हुआ । वहां बम्बई के लोगों ने जा कर तथा दूसरी जगहों के लोगों ने जा कर मकान खरीद लिये, ज़मीनें खरीद लीं और इन के दाम चढ़ गये । बाद में जब अलग से गुजरात राज्य अस्तित्व में नहीं आया और अहमदाबाद के राजधानी बनाये जाने की बात खत्म हो गई तो ये लोग बहुत निराश हुए । जब ये लोग खाने ही वाले थे तो कटोरा इन के हाथ से गिर गया । तब इन लोगों ने क्या किया । इन्हों ने छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया, उन को आगे किया और एक तूफान खड़ा कर दिया । जब कोई तूफान खड़ा कर दिया जाता है तो सरकार को शान्तिप्रिय लोगों की रक्षा के लिये आगे आना ही पड़ता है, सरकार को तथा पुलिस को लोगों की जान व माल की रक्षा करनी ही पड़ती है, लोगों के मकानों की, लोगों की मलकियत की तथा उन की प्रापर्टी की रक्षा करनी ही पड़ती है । इन सब चीजों की रक्षा करना सरकार का तथा पुलिस का सब से पहला कर्त्तव्य है । इस प्रकार की गुन्डागर्दी कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है और न इस प्रकार की गुण्डागर्दी चलने ही दे सकती है । इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकना पुलिस का कर्त्तव्य होता है । अपने कर्त्तव्य का पालन करते समय उसे लाठी चार्ज भी करना पड़ता है, अश्रु गैस का प्रयोग भी करना पड़ता है और यदि आवश्यकता पड़े तो गोली भी चलानी पड़ती है । हमें इस प्रकार की गुण्डागर्दी चलने नहीं देनी चाहिये ।

हमारे भाई पाटिल साहब ने कहा है कि हमें देखना होगा कि इलैक्शन में क्या हुआ है । मैं उन से कहना चाहता हूं कि वह ही देखें कि क्या हुआ है और कितने आदमी गुजरात से कांग्रेस के टिकट पर आये हैं और क्या क्या चुनाव के दिनों में हुआ है । इलैक्शन के दिनों में नडियाड में जब एक सभा हो रही थी, उस वक्त किसी ने महागुजरात जनता परिषद से पूछा कि अगर तुम लघुमत में आओगे तो क्या करोगे । यह कहा गया कि अगर तुम विधान सभा में तथा पार्लियामेंट में लघुमत में आओगे तो क्या करोगे । इस के उत्तर में कहा गया कि हम कबूतर उड़ायगे, मेंढ़क बुलायेंगे कवच डालेंगे । कवच अगर किसी के शरीर पर डाल दिया जाये तो खुजली ही खुजली होने लग जाती है । उन्हों ने कहा कि हम कवच ले कर जायेंगे, हैरान करेंगे, परेशान करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि अब आप ऐसा क्यों नहीं करते ? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप को इस का नतीजा मालूम हो जायगा । किसी दूसरी सभा में जब उन नेताओं से बम्बई के बारे में पूछा गया तो उन्हों ने उत्तर दिया कि बम्बई जहन्नम में जाये, हमें इस से कोई मतलब नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि बम्बई जहन्नम में जाये । उस को तो सारे देश के लोगों ने बनाया है । जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या करते थे, उन के पास न तो लोटा अपना होता है और न थाली, और जब जेल में जाते हैं तो बरतन भी सरकारी उन को मिलते हैं ।

इस तरह के आन्दोलनों के क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर हमें विचार करना होगा । कितने ही अत्याचार लोगों पर हुए हैं । मैं आप के सामने एक गुजरात के अखबार में जो कुछ छपा है, उस को पढ़ कर रखना चाहता हूं । ये अखबार कांग्रेस गवर्नमेंट के विरुद्ध लिखते थे । आज वे जो कुछ लिख रहे हैं उस का एक नमूना मैं आप को सुनाता हूं । जो मैं पढ़ कर सुनाने जा रहा हूं उस को गुजरात और अहमदाबाद के लोगों ने भी पढ़ा होगा । सेवक ता० १७-८-५७ लिखता है :—

तंत्री स्थान से

शहेर नीशरम ता० १५ व १६ अगस्ते स्वातंत्र पर्वनी उजौवनी दरम्यान अहमदाबाद शहेर मां छेड़ती

करवानी, निर्लज्ज पणे मश्करी करवानी अने अटक चाला करवाना जे अगटित अने अनिष्ट बनाओ वनिया, ऐ परत्वे अमे समग्र शहर ना समझो वरगनों ध्यान खेंचिये छे ।"

देखिये वह लिखता है कि १५ और १६ अगस्त के दिन जब हम सब लोग देश भर में आज़ादी का पर्व मना रहे थे तो गुजरात के अन्दर मां बहनों की बेइज्ज़ती कर के आज़ादी मनाई गई ।

आगे वह समाचारपत्र इस प्रकार लिखता है :—

"तारीख पन्दरमी अने सोलमीं अगस्ते रातना रोशनी दरमियान गुजरातना पाटनगरमां स्त्रीओनी मजाक करवाना, हैरान करवाना अने छड़े चौक निर्लज्ज चेष्टाओं करवाना बनावोइये समग्र शहरनी शरम रूप होई आवा बनावोना व्यवस्थत सामना माटे शहरे कटिबद्ध थवुं जोइये, गांधी जी अने सरदारना अहमदाबादमां आवा असामाजिक अने अनिष्ट तत्वोनो प्रजाये व्यवस्थित सामनों करवो जोइये ।"

अब उन लोगों की आंखें खुलीं और अब यह कहते हैं कि अहमदाबाद के लोग गांधी जी और सरदार पटेल के नाम को धब्बा लगा रहे हैं और गुजरात के अन्दर जो मां और बहनों की इज्जत लूट रहे हैं उन का सामना करना चाहिये . . . .

†श्री पु० र० पटेल (मेहसाना) : जब तक पुलिस द्वारा इन प्रकाशित बातों की तथ्यों की छानबीन न हो जाये तब तक इन सामाचार पत्रों के अंशों को सभा में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : इसी प्रकार एक सम्मानित व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ आरोप सुबह भी लगाये गये थे । यह बात तो दोनों दलों पर बराबर लागू होती है । मैं समझता हूं कि जब तक तथ्यों का सत्यापन न हो जाये उन्हें सभा में नहीं लाना चाहिये । यदि माननीय सदस्य गुजराती अखबार से यह अंश पढ़ कर सुना रहे हैं तो दूसरे माननीय सदस्य किसी अन्य अखबार से कोई अन्य अंश पढ़ कर सुना सकते हैं ।

श्री ना० नि० पटेल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस के बारे में और अधिक कुछ कहना नहीं है सिर्फ यही कहना है कि ऐसे ऐलिमेंट्स जो देश को नुक़सान पहुंचाने वाले हैं उन को सख्त हाथ से दबा देना चाहिये, यही मेरी होम मिनिस्टर साहब से विनती है ।

दूसरी चीज़ जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि एक ओर जहां दिल्ली की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, वहां दिल्ली में साइकिलों की भी बहुत अधिक तादाद हो गई है और कई लाख साइकिलें दिल्ली में चल रही हैं और इतना ही नहीं लोग डबल राइडिंग करते हैं और अक्सर एक एक साइकिल पर ४,४ और ५, ५ आदमी तक सवार होते हैं जो कि वांछनीय नहीं है । इस के अतिरिक्त रात को अधिकतर साइकलों में रोशनी नहीं होती जोकि उचित नहीं है और उस से एक्सीडेंट्स होने की सम्भावना अधिक रहती है ।

मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और इस के लिये कोई इंतज़ाम करें । ताकि एक्सीडेंट्स होने का ख़तरा न रहे ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया ।

श्री ना० नि० पटेल : ओन्ली वन मिनिट सर (केवल एक मिनट और लूंगा)। पुलिस की युनिफ़ार्म के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि सिपाहियों का जो जूता होता है वह काफ़ी वज़नी होता

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ना० नि० पटेल]

है और मैं समझता हूं कि पांच पांच सेर का एक जूता होगा, उस के स्थान पर बम्बई स्टेट में पुलिस के सिपाहियों को जैसी सैंडिल्स दी गई हैं, उसी प्रकार की सैंडिल्स अन्य जगह के सिपाहियों को भी दी जायें। इसी तरह दस गज़ के साफ़े के स्थान पर सिपाहियों को बम्बई स्टेट की तरह की फ़ोल्ड कैप्स दी जायें जिस से एक तो कपड़े की बचत होगी और दूसरे साफ़े को बांधने में जो तवालत होती है उस से भी सिपाही बच जायेंगे। आज सिपाही को सिर पर पगड़ी बांधने के लिये दूसरे आदमी का सहारा लेना पड़ता है और उस में बेकार में अधिक पैसा और समय खर्च होता है। मैं चाहता हूं कि सिपाहियों के सिर पर फ़ोल्ड कैप्स और पैरों में भारी बूट्स के स्थान पर सैंडिल्स होनी चाहियें ताकि वें फुर्ती के साथ इधर उधर भाग सकें साथ ही इस तरह पैसे की भी बचत होगी।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापुट) : मैं ने द्विभाषी बम्बई के निर्माण के विरुद्ध माननीय सदस्यों के भाषणों को ध्यान पूर्वक सुना है। परन्तु यह निर्णय उचित विचार के पश्चात् और लोगों के समर्थन पर किया गया था। अब तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिये और इस व्यवस्था के अनुकूल अपने आप को बनाना चाहिये।

राज्य पुनर्गठन आयोग जैसे उच्च शक्ति आयोग ने सभी छोटी मोटी बातों की जांच के पश्चात् जो सिफारिशें की थीं उन्हीं को भारत सरकार कार्यान्वित कर रही है। अतः भाषा के मामले पर सीमांत क्षेत्रों के विवाद समाप्त हो जाने चाहियें। राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों को ये भाषा सम्बन्धी विवाद भूल कर अब एकता का अनुभव करना चाहिये।

राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों के हितों का ध्यान रखें और उन के अधिकारों की रक्षा करें। ऐसा करने से वे वैमनस्य की बजाय एकता को पैदा करेंगी।

कुछ समय पूर्व हम ने पत्रों में पढ़ा था कि भारत सरकार अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों को संविधानिक परित्राण प्रदान करेगी। परन्तु उस सम्बन्ध में अभी तक विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक शीघ्र पुरःस्थापित होना चाहिये ताकि उन अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भाव पैदा हो।

यदि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी हड़ताल करते तो सारे देश का जीवन संकट में पड़ जाता। अतः आपातकालीन अधिकार कोई नई बात नहीं है और न ही अत्यावश्यक सेवायें संधारण विधेयक लोकतंत्र विरोधी ही है।

इंगलैंड सर्वप्रथम लोकतंत्रात्मक देश है और वहां भी १९२० का अत्यावश्यक शक्ति अधिनियम एक स्थायी विधान है। आपातकालीन विधान से मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं क्योंकि राज्यों के प्रति व्यक्ति के उत्तरदायित्व भी होते हैं। अतः मैं व्यक्तिगत तौर से अनुभव करता हूं कि इस प्रकार का विधान संविधि पुस्तक में होना चाहिये ताकि आपात काल के समय सरकार उचित कार्यवाही कर सके।

सरकारी कर्मचारी अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत असैनिक पदों की परिभाषा के अधीन आता है ; अतः उसे हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिये।

मैं ने आज के समाचार पत्रों में देखा है कि बिहार के सरकारी कर्मचारी इस मास की २७ तारीख से हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के पास ऐसा अस्त्र होना ही चाहिये जिस से वे आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत भावुक हो कर कहा था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में तुरन्त अपना लेना चाहिये और माननीय मंत्री ने भी कहा था कि वह समय आएगा जब देश की आत्म-सम्मान की भावना हिन्दी को सरकारी भाषा बनाने की मांग करेगी। अनुच्छेद ३४३ के अन्तर्गत हमें १५ वर्ष तक अंग्रेजी को राज भाषा के रूप में प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को पांच वर्ष में एक बार भाषा आयोग को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु अनुच्छेद के खण्ड ३ में दिया है कि :

"इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का ; अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसेकि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।"

इस प्रकार संसद् को १५ वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी को सरकारी भाषा रखने का अधिकार दिया गया है। मेरा निवेदन है कि प्रतिष्ठा आदि का कोई प्रश्न इस में निहित नहीं है यह तो सुविधा का प्रश्न है। कई देशों में अल्पसंख्यकों की भाषा को सरकारी भाषा बना लिया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं श्री राजगोपालाचारी के एक लेख में व्यक्त कुछ विचार आप के सामने रखता हूं। उन्हों ने लिखा है कि एक राज्य में सरकारी भाषा वही होनी चाहिये जो उस राज्य में बोली जाती हो। बहुमत द्वारा कोई भाषा थोपी जानी नहीं चाहिये। द्विभाषी अथवा त्रिभाषी राज्य में सभी भाषायें सरकारी भाषायें होनी चाहिये। उन्हों ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार तथा अन्तर्राजीय पत्र व्यवहार में अंग्रेज़ी को सरकारी भाषा मानना चाहिये। उन की राय है कि हमारे यहां सरकारी कर्मचारी सरकारी काम अंग्रेजी में अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। वे अंग्रेजी में अपनी मातृभाषा से भी सरकारी काम अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इसलिये मेरा भी निवेदन है कि हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी को भी रखना चाहिये और हिन्दी को सरकारी भाषा बनाने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये। जैसा हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें हिन्दी को सुविधानुसार अपनाना चाहिये, न कि इस आधार पर कि भारत की अधिक जनता हिन्दी बोलती है।

मैं कोई हिन्दीं का विरोधी नहीं हूं। मैं उसे गैर-हिन्दी राज्यों के स्कूलों में अनिवार्य विषय बना देने का विरोध नहीं करता। मैं यही चाहता हूं कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लाने में हमें बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिये।

मैं अब अनुसूचित आदिम जातियों का प्रश्न लेता हूं।

सरकार उन की दशा में सुधार करने का काफी प्रयास कर रही है, लेकिन आयुक्त के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अभी तक उस में कोई अधिक सुधार नहीं हो सका है। उन की दशा पहले की तुलना में अब और भी बिगड़ गई है। छात्रवृत्तियां होने पर भी, आदिमजातियों में से विद्यार्थी ही नहीं निकलते। उन की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

[श्री जगन्नाथ राव]

सरकार को अनुसूचित आदिम जातियों के सामाजिक उत्थान के लिये कार्य करने वाले, भारत सर्व सेवा संघ जैसे गैर-सरकारी संगठनों को अधिक प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता देनी चाहिये ।

कोरापट ज़िले में ८०० ग्रामदान गांव हैं । सरकार को वहां सामुदायिक विकास कार्य को और अधिक तीव्र करना चाहिये ।

दण्डकारण्य परियोजना का कुछ भाग इस ज़िले में भी है । लेकिन आदिम जातियों की दशा सुधारने के लिये संचार की सुविधायें जुटाना अत्यन्त आवश्यक है वहां भूमि के कृष्यकरण के लिये सैनिकों को भेजना चाहिये । तभी वहां पुनर्वास सम्भव होगा ।

अनुसूचित आदिम जातियों की १९५६ की सूची में भोहाडा, भूमिया, कांधा गौडा और ओम नत्या जातियों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये था । वे पहले कभी भी अनुसूचित आदिम जातियां नहीं रही हैं । यह ग़लती ठीक की जानी चाहिये ।

अन्य धर्म ग्रहण करने पर, अनुसूचित जातियों के लोगों की भांति ही, अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को भी शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जानी चाहियें । अन्य धर्म स्वीकार कर लेने पर, आदिम जाति का कोई भी व्यक्ति आदिम जाति के वर्ग से बाहर नहीं माना जा सकता । आदिम जातियों के सभी धर्मावलम्बियों की दशा खराब है । केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि उन को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में धर्म को कोई अड़चन न बनने दे ।

†श्री नाथ पाई : आधुनिक विशाल राज्य की कार्यवाहियों में निरन्तर वृद्धि ही होती जाती है और उस में लोकतांत्रिक समाज की नीवें दृढ़ करना गृह-कार्य मंत्रालय का ही कार्य है ।

स्वतंत्र भारत को विरासत में एक ऐसा राज्य तंत्र मिला है जिसे साम्राज्यवादियों ने अपने विदेशी शासन की सुविधा के लिये ही घड़ा था, जनता के हितों की रक्षा के लिये नहीं । उस में जनता के साथ भाई-चारा स्थापित करने की भावना तक नहीं थी और इसीलिये वह नष्ट प्राय हुआ है ।

उस राज्य तंत्र की विशेषता यही रही है कि वह बड़ी सख्ती से प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का पालन करता है और जनता से अपने को बिलकुल अलग रखता रहा है । उस का भय और संपीड़न पर आधारित रहा है । वह लोकतांत्रिक समाज के लिये अनुपयुक्त है ।

प्रधान मंत्री ने स्वयं उस की आलोचना करते हुए कहा था कि नौकरशाह जितने ही गैर-जिम्मेदार होते हैं वे उतने ही अधिक कार्यक्षमता हीन बन जाते हैं ।

श्री गाडगिल ने अपने एक लेख में बताया है कि देश में लोकतांत्रिकता लाने और योजना को कार्यान्वित करने के लिये हमारा राज्य-तंत्र बिलकुल अपर्याप्त है ।

हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये पहले अपने राज्य तंत्र को समय की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना पड़ेगा । भारत के असैनिक सेवकों को जनता के नम्र सेवक बनना पड़ेगा । राज्य तंत्र में आमूल परिवर्तन के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

हमारे संविधान के अनुच्छेद ५० में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये कहा गया है । कांग्रेस दल भी गत पचास वर्षों से इस की प्रतिरक्षा करता रहा है । लेकिन, बम्बई और मद्रास को छोड़ कर, यह कार्य अभी तक सम्पंन्न नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगाल सरकार ने इस के लिये एक समिति नियुक्त की है ।

सामान्य नागरिक हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका के सब से निचले स्तर के ही सम्पर्क में आता है । यदि उसे विश्वास हो जाये कि उस के साथ न्याय होगा, समुचित व्यवहार होगा, तो हमारे लोकतंत्र में उस का विश्वास अधिक दृढ़ हो जायेगा । इसीलिये, इस में विलम्ब करना उचित नहीं है ।

कार्यपालिका से स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये आत्यावश्यक है । हमारे देश के उच्च न्यायालयों ने सामान्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया है ।

उच्च न्यायालयों को हर प्रकार से निर्बाध स्वतंत्रता मिलनी चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्रालय और पुलिस को बहुधा एक ही समझा जाता है । स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुलिस के सुधार के लिये क्या किया गया है ? इस में बहुत ही थोड़ी सी प्रगति हुई है । हमारे देश में अपराधों का पता लगाने के लिये जो तरीक़े इस्तेमाल किये जाते हैं वे मूर्खता भरे और अमानवीय हैं । वे जनता को यंत्रणायें देने के सिद्धान्त पर आधारित हैं ।

इस के कई उदाहरण माननीय गृह-कार्य मंत्री को मालूम हैं । निर्दोष व्यक्तियों को भी अमानवीय यंत्रणायें दी जाती हैं ।

हम चाहते हैं कि पुलिस की मनोवृत्ति में एक उग्र परिवर्तन हो । पुलिस की ज्यादतियों के उदाहरण सभी जानते हैं ।

पुलिस को यंत्रणा देने के तरीक़ों के स्थान पर, अपराधों का पता लगाने के वैज्ञानिक तरीक़े अपनाने चाहियें । आज सामान्य नागरिक पुलिस को अपनी स्वतंत्रता का शत्रु समझता है ।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में यदि औसत रूप से देखा जाये तो प्रति सप्ताह एक गोलीकांड होता है और उस से कम से कम एक व्यक्ति मारा जाता है । राज्य पुनर्गठन के सिलसिले में जितने गोलीकांड हुए हैं, उन के फलस्वरूप मरने वालों की संख्या १९४२ के 'भारत छोड़ो' आंदोलन के गोलीकांड से मरने वालों की संख्या से भी अधिक है ।

संसार के किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश में पुलिस जनता के प्रति इतना हिंसात्मक व्यवहार नहीं करती । क्या इस का अर्थ यही लगाया जाये कि देश में संगीनों के बल पर ही सत्ता क़ायम है ?

गोलीकांडों से देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है ।

हम जब पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा गोआ में किये जाने वाले दमन और हिंसा के लिये उन की भर्त्सना करते हैं, तो वे हमें अपने देश के गोलीकांडों की ओर देखने के लिये कह देते हैं ।

हमें इस पर दलगत भावना से विचार नहीं करना चाहिये । पुलिस वालों के जीवन को ख़तरा पैदा होने का बहाना सही नहीं है । जनता ने एक भी पुलिस वाले को कभी भी नहीं मारा है ।

हमारी पुलिस को आचरण के नये नियम अपनाने पड़ेंगे । पहला तो यह कि केवल सशस्त्र विद्रोह के समय ही पुलिस गोली चलाये । उस के लिये भी वहां उपस्थित मैजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता हो । दूसरा नियम यह कि प्रत्येक गोलीकांड की न्यायिक जांच कराई जाये ।

समूची गुजराती और महाराष्ट्रीय जनता की निन्दा करने से कोई लाभ नहीं है, यदि सरकार उन्हें दोषी समझती है तो न्यायालय की शरण क्यों नहीं लेती ? गुजराती और महाराष्ट्रीय जनता पर ऐसा गम्भीर दोषारोपण नहीं करना चाहिये ।

[श्री नाथ पाई]

हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक भारतीय नागरिक को जीवन, समानता, भ्रातृत्व और न्याय की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिये किसी भी भारतीय नागरिक को किसी अन्य भारतीय की गोली का शिकार नहीं बनने देना चाहिये।

हमारे ज़िले में जंगली पशुओं को गोली मारने के लिये तो अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन किसी भारतीय नागरिक पर गोली चलाने के लिये अनुमति नहीं लेनी पड़ती।

कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र का मसला तय किया जा चुका है, उसे फिर से नहीं खोदना चाहिये। उस का हल न होने के कारण ही, यह सारी दुविधा पैदा होती है, इस प्रकार एक बेतुकी चुप्पी साधी जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं भी संयुक्त महाराष्ट्र का उल्लेख नहीं करना चाहता और वह इसलिये कि सभा उस के बारे में एक विधान पारित कर चुकी है। अब कोई भी सदस्य उस में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। उस समय वह जो भी चाहे कह सकता है। लेकिन, इस समय मांगों की चर्चा के समय उस के उल्लेख से कोई लाभ नहीं है।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** (बसिरहाट) : यदि आप ऐसा विनिर्णय कर देंगे, तो उस से एक बड़ा खतरनाक पूर्व दृष्टान्त बन जायेगा। कोई भी माननीय सदस्य इस सभा द्वारा पारित किसी भी मामले की आलोचना नहीं कर सकेगा। क्या हम यह प्रश्न नहीं उठा सकते कि किसी पारित विधेयक को निरसित कर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय**: आप कर सकती हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: इस का अर्थ होगा कि यदि सभा ने बड़े बहुमत से किसी अधिनियम को पारित कर दिया है, तो उस पर फिर चर्चा नहीं हो सकती। उन्हें यह अधिकार होना चाहिये कि उस अधिनियम को निरसित कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: उन्हें यह अधिकार है। उस के लिये विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है।

कोई भी माननीय सदस्य ऐसा संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकता है।

मैं यह नहीं कहता कि सभा द्वारा पारित किसी भी मामले का बिलकुल भी उल्लेख न किया जाये, लेकिन हां उस की ब्यौरेवार विवेचना तो संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने पर ही की जा सकती है।

मैं नियम ३५२ (४) का उल्लेख कर रहा हूं। उस के अनुसार संशोधन विधेयक या संकल्प प्रस्तुत करने के बाद ही सभा के पूर्व निर्णय के सम्बन्ध में बोल सकता है।

नियम में यह स्पष्ट तौर पर उल्लिखित है कि मूल प्रस्ताव रखने के बाद ही किसी विषय पर ब्यौरेवार चर्चा की जा सकती है। मननीय सदस्य मनमाने ढंग से आलोचनाओं के विषय नहीं चुन सकते।

†**श्री नाथ पाई**: मैं इस से सहमत हूं। लेकिन सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य का सारा भाषण इसी के सम्बन्ध में था। मैं तो केवल उस का उल्लेख ही कर रहा था।

---

† मूल अंग्रेजी में

मैं तो संसदीय सम्पूर्ण प्रभुता का अर्थ यही समझता हूं कि संसद् को पहले के सभी कार्यों में परिवर्तन करने का अधिकार है ।

†अध्यक्ष महोदय : हां, लेकिन उस का यह तरीक़ा नहीं है ।

†श्री नाथ पाई : सामान्यतया जब भी इस विषय का उल्लेख किया जाता है, सरकारी पक्ष के सदस्यों में हड़बड़ाहट मच जाती है । इस का मतलब यही होता है कि उन्हें भी अपने हृदय में यही महसूस होता है कि संयुक्त महाराष्ट्र की समस्या का अभी हल नहीं हो पाया है । गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन के १४ और १५वें पृष्ठ पर वहां के विद्रोह का उल्लेख किया गया है । उस से स्पष्ट हो जाता है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने उस समस्या को एक विस्फोट में बदल दिया था और वह उस की राजनीतिज्ञता की पूरी पराजय थी । इसीलिये, वहां संकट पैदा हुआ था, और वह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है ।

वर्तमान गृह-कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि शासक दल की दृष्टि से ही प्रत्येक चीज़ को देखने से वे देश का लाभ नहीं कर सकेंगे ।

श्री हेडा ने इस विषय के सम्बन्ध में सभी चर्चा को निरर्थक बताने की सिरतोड़ कोशिश की थी । उन के विचार अत्यन्त संकीर्ण हैं । जब तक इस अन्याय का निराकरण नहीं होगा, तब तक महाराष्ट्र और गुजरात की आवाज को कोई भी नहीं दबा सकेगा । जो लोग यह समझते हैं कि वहां सब ठीक है वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं । मैं आप को संस्कृत का एक श्लोक पढ़ कर सुनाता हूं । वहां की हालत वही है जो इस में दी गई है :

"स्थितिं नो रे दध्या : क्षणमपि मदांधे क्षणसखे ।

गजश्रेणीनाथत्वमिह जटिलायां वनभुवि असोकुम्मिभ्रांत्या ।

खरनरवविद्रावितमता गुरुग्रापग्रामः स्वपिति गिरिगर्भे हरियतिः ।"

सिंह सोया हुआ है; वह न तो हत हुआ है और न मृत है ।

†श्री ब० स० मूर्ति (काकिनाडा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) :

"सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात् ।
नब्रूयात् सत्यम्प्रियम् ।।"

श्री नाथ पाई को मैं केवल यही उत्तर देना चाहता हूं कि हमें सत्य तो बोलना चाहिये लेकिन उस से उत्तेजना पैदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिये । श्री सम्पत ने हिन्दी के बारे में कहा था । उनको मेरा यही एक उत्तर है कि अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमें सभी को मिलकर स्वतन्त्रता का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करना चाहिये । हिन्दी को दक्षिण पर आर्यों द्वारा थोपी हुई भाषा कहने से देश में फूट ही हो सकती है । आखिर हमें देश में एक ऐसी भाषा तो रखनी ही पड़ेगी जो देश में सभी जनता समझ सके ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ऐसी राष्ट्र भाषा कौन भाषा बन सकती है ? अंग्रेजी तो हमारी गुलामी का चिन्ह है, इसलिये उसे समूल हटा देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० स० मूर्त्ति]

श्री सम्पत से मेरा यही अनुरोध है कि हमें इस प्रकार देश के मानसिक और प्राकृतिक विभाजन की भावना को हटा देना चाहिये ।

ऐसी मांगें प्रस्तुत करने से पहले, उन्हें अपने यहां की जनता से परामर्श कर लेना चाहिये । हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिये ।

हमें राज्यों के पुनर्गठन से पैदा हुए विभिन्न छोटे-मोटे मसलों पर भी विवाद नहीं करना चाहिये ।

लोकतांत्रिकता का अर्थ यही है कि चर्चा द्वारा सरकार कार्य करती है । इसलिये हमें विभिन्न विवादों पर चर्चा करके एक समझौते पर पहुंच जाना चाहिये ।

श्री कामले धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को सरकारी सहायता देने की बात कहते समय, परित्राणों और पृथक निर्वाचकगणों के बीच के अन्तर को भूल गये थे ।

महात्मा जी और कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों के लिये पृथक् निर्वाचक गणों की स्थापना का विरोध किया था । उस समय ब्रिटिश शासकों ने उन्हें "दलितवर्ग" का नाम दिया था । ये दोनों नाम उचित नहीं हैं ।

हरिजन कहलाने पर भी मुझे सदा अपनी हीनता का भान होता रहता है । श्री कामले का मत है कि कांग्रेस ने हमें "दलित वर्ग" और "अनुसूचित जातियों" के नाम दिये थे । यह ग़लत है । यदि किसी हरिजन ने हिन्दू धर्म छोड़ कर बुद्ध धर्म अपना लिया है तो न्यायपूर्ण कारण होने पर उसे सहायता दी जा सकती है ।

हमें अपने सत्य भाषण से श्रोताओं को प्रसन्न ही करना चाहिये । हमें परस्पर एक-दूसरे के विचार समझने का प्रयास करना चाहिये ।

अब मैं बम्बई का प्रश्न लेता हूं । मैं फिर अनुरोध करता हूं कि पूरी संसद् के निर्णय को परीक्षण के तौर पर पांच वर्षों तक कार्यान्वित कर के देखना चाहिये । यदि आप समझते हैं कि अन्याय हुआ है, तो संसद्-सदस्यों के विचारों में परिवर्तन करने का प्रयास कीजिये, जिस से कि एक दिन स्वयं सरकार उसे रद्द करने का विधेयक प्रस्तुत करने पर विवश हो जाये । यही लोकतांत्रिकता है । केवल उत्तेजना पैदा करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

पंजाब में आन्दोलन करने वालों को भी मेरी यही सलाह है ।

सभी अपने उत्तेजित मित्रों से मेरी यही अपील है कि वे कुछ समय बाद, अपने दिमाग़ ठंडे होने पर ही इन समस्याओं पर विचार करें । उन्हें पूरे देश का हित सामने रख कर चलना चाहिये ।

श्री दातार ने कहा था कि अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये कुछ प्रतिशत पद सुरक्षित कर दिये जाते हैं, लेकिन यदि हम पदोन्नति के मामले में भी इस प्रकार सुरक्षण करेंगे तो सरकार की कार्य-क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । मैं इस से सहमत हूं । भारत को कार्यकुशल अधिकारियों की आवश्यकता है । परन्तु साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इन बेचारे हरिजनों के साथ किसी को सहानुभूति नहीं होती । विभागीय पदोन्नति समिति में हरिजनों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई हरिजन नहीं होता । अतः मेरा निवेदन है कि पदोन्नति के लिये भी स्थान सुरक्षित होना चाहिये । साथ ही ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को

उन के उचित अधिकारों से वंचित न रखा जाये । यदि इतना कर दिया जाये तो मैं बहुत आभारी होऊंगा ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वे इस बात पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान दें ।

†श्री अय्याकण्णु (नागपट्टिनम्–रक्षित–अनुसूचित जातियां): मैं केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की—गृह-कार्य मंत्रालय की सब से महत्वपूर्ण समस्या—समस्या को ही लूंगा । मैं महात्मा गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन की कृपा से अनुसूचित जातियों की दशा आज इतनी सुधर गई है । मैं समझता हूं कि इतिहास के किसी भी युग में इन लोगों की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी—बुद्ध काल या चोल काल में भी ऐसी स्थिति नहीं थी जबकि उन्हें स्वर्ण युग कहा जाता है—जितनी कि आज है ।

यद्यपि हमारे गृह-कार्य मंत्री ने इन लोगों की दशा सुधारने के लिये बहुत कुछ किया है फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है । उन्हों ने सम्बन्धित विभागों को आदेश भेज दिये हैं कि अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों का विशेष ध्यान पदोन्नति वगैरह के मामले में रखा जाय । फिर भी, श्री ब० स० मूर्ति ने ठीक ही कहा है कि विभिन्न विभागों के पदाधिकारी अभी इन अनुसूचित जातियों के प्रति पर्याप्त सहानुभूति प्रकट नहीं करते । हमारे बड़े बड़े राजनैतिक नेता जैसे पंडित जी वगैरह तो इन लोगों की समस्या को भली भांति जानते हैं पर पदाधिकारियों का रवैया अभी वैसा ही नौकरशाही जमाने का सा है । अतः गृह-कार्य मंत्री से निवेदन है कि वे एक सार्वजनिक या स्वायत्तशासी संस्था बनायें जो इन अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व तथा उन की पदोन्नति की बातों पर विचार करे । मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्रालय इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करेगी ।

• श्री दातार ने कहा कि लोग अनुसूचित जातियों को बड़े बड़े पद देने की मांग करते हैं । मैं तो उन से भी आगे बढ़ कर यह कहने को तैयार हूं कि उन को राजदूत तथा गवर्नर जैसे बड़े बड़े ओहदे दिये जाने चाहियें । मुझे स्मरण है कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति एक हरिजन महिला होनी चाहिये । अतः अब समय आ गया है कि गांधी जी की आत्मा को शान्ति देने के लिये हरिजनों को बड़े बड़े पद दिये जाने चाहियें । मैं गृह-कार्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हों ने श्री विश्वनामुगम पिल्लै को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है ।

ध्यान रहे कि केवल प्रतिनिधित्व देने से ही काम नहीं चलेगा । इस छूआछात के विरुद्ध जो आंदोलन बुद्ध के समय पर शुरू हुआ था और जिस को रामानुजाचार्य, शंकाराचार्य, कबीर, स्वामी विवेकानन्द तथा गांधी जी का समर्थन प्राप्त होता रहा उसे जोर से चलाया जाना चाहिये । हमारे देश में इस छूतछात के पीछे धार्मिक भावना भरी हुई है । अभी हमारे दिमाग से पढ़े लिखे तथा शिक्षित लोगों के दिमाग से भी छुआछूत की भावना दूर नहीं हो पाई है । इस के लिये एक क्रान्ति की आवश्यकता है और सरकार को कुछ कदम उठाने चाहियें । सरकार को ये कार्यवाहियां करनी चाहियें: मंत्रिमंडल, लोक सेवा आयोग आदि में अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहियें; अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिये; उन को व्यापार उद्योग में भी प्रोत्साहन देना चाहिये; आकाशवाणी द्वारा जाति भावना को दूर करने के लिये यथेष्ट प्रचार करना चाहिये और उन की बस्तियों को अलग न रख कर, सब लोगों के साथ उन को रहने की पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिये । मैं जानता हूं कि कुछ लोग कहेंगे मेरी ये महत्वाकांक्षायें बहुत बड़ी हैं । पर, चूंकि मैं स्वयं इसी सम्प्रदाय में पैदा हुआ हूं और इस के सामने जो कठिनाइयां हैं उन को समझता हूं और देख रहा हूं, अतः मैं जो कुछ कह रहा हूं वह ठीक है । लोग हमें अपने से नीचा समझते हैं ; अपने समान नहीं समझते । इसलिये सामाजिक क्रान्ति की बहुत आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि स्कूलों तथा कालेजों की पाठ्य-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अय्यामणु]

पुस्तकों में भी हमारी जाति प्रथा की बुराइयों या दोषों के सम्बन्ध में भी एक पाठ आवश्यक रहना चाहिये। अन्त में मैं यह कहूंगा कि माननीय गृहमंत्री की कृपा से ही हमें ३ वर्ष के बजाय ५ वर्ष की रियायत मिली है। उन्हीं की कृपा से भारतीय प्रशासकीय सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में हमारे ४।। प्रतिशत प्रतिनिधित्व को सुरक्षित कर दिया गया है। उन्हों ने अभी अधिकारियों को भी आदेश भेजे हैं कि अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाये। उन के इरादे बहुत नेक हैं। पर खेद है कि यह सब अच्छे अच्छे नियम ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किये जाते। अतः निवेदन है कि माननीय मंत्री इन बातों की ओर ध्यान दें कि यह सभी नियम कार्यान्वित किये जायें।

श्री अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष जी, इसके प्रथम कि गृहमंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर सदन विचार करे, मैं कुछ प्रश्नों की ओर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहली बात जो मुझे सदन के सम्मुख कहनी है वह यह है कि अभी देशभर में १८५७ की शताब्दी मनायी गयी और उस शताब्दी के अवसर पर हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने और मंत्रियों नें उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने सौ वर्ष पूर्व देश की आजादी के लिये बड़े बड़े काम किये। उनके सम्बन्ध में कुछ कहा गया। लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि एक ओर तो भारत सरकार के मंत्रिगणों ने नानाराव पेशवा, लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे, आदि महापुरुषों के सम्बन्ध में बड़ी उच्चभावनायें व्यक्त कीं और १८५७ के आन्दोलन को स्वतंत्रता का आन्दोलन कहा, लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार ने जो १८५७ के नाम से अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसकी भूमिका हमारे शिक्षा मंत्री जी ने लिखी है, उसको पढ़कर मालूम होता है कि उसके लेखक महोदय का दृष्टिकोण कुछ दूसरा ही है। यह लज्जा, शर्म और दुःख की बात है कि एक ओर जिस भारत सरकार के मंत्रिगण उन लोगों की प्रशंसा करते हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक में उन लोगों की बुराई की जाती है, कहा जाता है कि वे स्वार्थी थे, अपने निजी उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। मैं समझता हूं कि सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने उस पुस्तक को पढ़ा होगा। मैं कहना चाहूंगा कि यह भारत सरकार सर्प के समान एक मुंह में दो जबान रखने वाली है। शताब्दी समारोह के अवसर पर तो इस प्रकार की बातें कही गयी और इस पुस्तक में दूसरी तरह की बातें लिखी गयी हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान दें। यह बड़ी लज्जा की बात है। कौनसी बात सत्य है कौन असत्य है यह स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक ऐतिहासिक तथ्यों का प्रश्न है उस पुस्तक में बिल्कुल गलत तथ्य दिये गये हैं। उपराष्ट्रपति महोदय को जब वह पुस्तक भेंट की गयी तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार उस पुस्तक के तथ्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर लेखक महोदय के इस तरह के विचार थे तो वे उस पुस्तक को और जगह से प्रकाशित करवा सकते थे, भारत सरकार ने क्यों उसको प्रकाशित किया ? इस प्रकार के विचार उसमें क्यों रखे गये ? उस पुस्तक के ऊपर भारत सरकार ने बहुत रुपया खर्च किया। वह पुस्तक विदेशियों तक को भेजी गयी है। जो भाषण शताब्दी समारोह के अवसर पर हुए उनको पढ़कर लोग भूल जायेंगे लेकिन हजारों रुपये खर्च करके जो साहित्य तैयार किया गया है, यह आगे चलता रहेगा। इस पुस्तक में जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे दूषित हैं। जो हमारे बड़े बड़े पुरुष हुए हैं और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दे दिये उनके ऊपर यह कलंक की छाप चलती रहेगी।

दूसरी बात मैं मूर्तियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। १० मई को जो कि हमारा एक बड़ा ऐतिहासिक पर्व था उस दिन शताब्दी न मनाकर १५ अगस्त को मनायी गयी। इस देश के एक महान प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी ने जिसका मैं भी एक सदस्य हुं, इन मूर्तियों को हटाने के लिए एक आन्दोलन

किया था और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा था कि १० मई का दिन बड़ा खतरनाक दिन है, इस आन्दोलन से जनता में गदर पैदा करने की भावना पैदा की जा रही है। हमारी पार्टी की मांग थी कि मूर्तियां हटायी जायें और अंग्रेजी भाषा को हटाया जाये। खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने भी उस आन्दोलन के औचित्य को मान लिया है। कुछ मूर्तियां हटायी गयी हैं लेकिन उन मूर्तियों के स्थान पर जो हमारे देश के बड़े बड़े पुरुषों की मूर्तियां लगायी जा रही हैं उनको देखकर गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। गुस्सा आता है भारत सरकार पर और हंसी आती है उस आर्ट को देखकर। विदेशी मूर्तियों को देखकर गुस्सा आता था लेकिन जो मूर्तियां उनके स्थान पर लगायी गयी हैं वे अच्छी नहीं हैं। कानपुर जिले में बिठूर का स्थान पड़ता है। सन् १८५७ में वह नानाराव पेशवा का स्थान रहा। वहां पर जो नानाराव पेशवा की मूर्ति लगायी गयी है उसके सम्बन्ध में लगभग एक साल से विवाद चल रहा है कि यह मूर्ति नानाराव पेशवा की नहीं है। बल्कि वह मूर्ति एक ठेकेदार अयोध्या प्रसाद की है। इस विषय में कानपुर के कई प्रमुख व्यक्तियों नें सरकार को लिखा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और १४ मई को जो उसका अनावरण किया गया तो कुछ लोगों ने उसके सामने सिर झुकाने से इन्कार कर दिया। जब सरकार को यह बात बतलायी गयी तो कहा गया कि इसको हटा देंगे लेकिन सदन को सुन कर आश्चर्य होगा कि जब १५ अगस्त को सारे हिन्दुस्तान में नानाराव पेशवा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी वहां उनके जन्म स्थान पर जो मूर्ति थी उसको पर्दे से ढक दिया गया। मूर्ति दिखलायी नहीं गयी और लोगों ने यों ही श्रद्धांजलियां अर्पित कीं। हमारे गृह-मंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार के बहुत समय तक मुख्य मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पंचांग प्रकाशित किया है जिसमें नानाराव पेशवा की तस्वीर के नीचे लिख दिया गया है "नाना फड़नवीस"। जहां वह पैदा हुए वहां उनकी मूर्ति की यह दुर्दशा हुई और हम खुशी से यह कहते हैं कि हमने शताब्दी मनायी। मैं कहना चाहूंगा कि गृहमंत्रालय इस ओर ध्यान दे कि इस प्रकार की मूर्तियां क्यों लगायी जा रही हैं? मैंने खुद जाकर देखा है कि तात्या टोपे की जो मूर्ति लगायी गयी है उसके हाथ काट दिये गये हैं यानी वह केवल छाती तक की मूर्ति है। ऐसी मूर्तियों को देखकर हंसी आती है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मूर्तियां और यह साहित्य हमेशा रहते हैं। इस प्रकार की मूर्तियां न लगायी जायें और इस प्रकार के साहित्य को वापस ले लिया जाये। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीरता से विचार किया जाये।

यहां पर हिन्दी के सम्बन्ध में चर्चा हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि इस सदन में इस विषय में दो मत नहीं हैं कि हिन्दी देश की राज्यभाषा हो। यह राष्ट्रभाषा है इसको राज्य भाषा होना चाहिए। केवल मतभेद इस बात पर है कि यह कब लागू की जाये। लेंग्वेज कमीशन (भाषा आयोग) की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उस पर बोलते हुए दातार साहब ने कहा कि हम हिन्दी को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहेहैं। लेकिन अभी यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने हिन्दी के विषय में जो विचार व्यक्त किये उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। उनको लगता है कि हिन्दी उन पर लादी जा रही है। हिन्दी इस देश की भाषा है। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के लोगों की तो वह मातृभाषा भी है। जब हिन्दी की चर्चा होती है तो अंग्रेजी की बात की जाती है और कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा इस देश के काम काज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी भाषा के ऐसे बहुत से कठिन शब्द हैं जिनका अनुवाद हिन्दी भाषा में ठीक से नहीं हो सकता।

मैं बहुत अदब से कहना चाहूंगा कि जब अंग्रेजी भाषा जो कि विदेशी भाषा है हमारे देश की नहीं है और जो हमारी मातृ भाषा नहीं है, जब उसको पढ़ लिखने के बाद और रट कर उसके ऐक्वायर कर लेते हैं और उसमें बखूबी बातचीत कर सकते हैं तब क्या वजह है कि हमारे अहिन्दी भाषा भाषी लोग यदि थोड़ा प्रयास करें तो हिन्दी लिख पढ़ नहीं सकते और उसको बोल नहीं सकते। हिन्दी भाषा इस देश की भाषा है और मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार की जो भाषा सम्बन्धी

[श्री अवस्थी]

नीति है वह बड़ी दुविधापूर्ण नीति है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को हिन्दी के लिए एक अवधि निश्चित कर देनी चाहिए कि इस अवधि के बाद समस्त राजकाज के काम में अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग नहीं होगा और केवल हिन्दी भाषा का ही सर्वत्र प्रयोग होगा। आप देखेंगे कि जब किसी काम के लिए आप एक सीमा निश्चित कर देते हैं तो उसके लिए कार्य होता है। हमारे दातार साहब ने स्वयं फरमाया था कि सरकारी कर्मचारी मुख्य रूप से जो छोटे कमचारी हैं वे तो हिन्दी जानते भी हैं लेकिन जो बड़े बड़े अफसर और प्राधिकारी हैं वह उसमें टालमटोल करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस टालमटोल की नीति को खत्म करने के लिए एक सीमा निश्चित कर दी जाय कि जिसके बाद से अंग्रेज़ी का प्रयोग न होकर सर्वत्र हिन्दी प्रयोग में आने लगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह काफी महत्वपूर्ण चीज़ है और जिसके कि बारे में अभी श्री नाथ पाई ने जिक्र किया था और वह ला एंड आर्डर (विधि-व्यवस्था) का विषय है, शान्ति, व्यवस्था, पुलिस, गोली, लाठी और प्रदर्शन का सवाल है। यह चीज़ें आज इस देश के अन्दर स्वतंत्र भारत में लगभग एक सी हो गई हैं और उनका कुछ सम्बन्ध जुड़ता जा रहा है। पुलिस के अन्दर एक परम्परा चली आ रही है और ब्रिटिश काल में पुलिस द्वारा जो भाषा और दमन के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था वही आज स्वतंत्र भारत में भी किया जा रहा है और उनमें कोई भी फर्क नहीं आया है। वही दमन जो पुलिस अंग्रेज़ सरकार के जमाने में हमारे स्वतंत्रता के सैनिकों पर करती थी वही दमन और उसी भाषा का प्रयोग आज स्वतंत्र भारत में कर रही है। ला एंड आर्डर मेंटेन करने के बारे में वही भाषा और वही दमनकारी तरीके अपनाये जाते हैं जैसे कि ब्रिटिश काल में पुलिस द्वारा अपनाये जाते थे। पुलिस द्वारा आज भी उसी तरीके से शान्तिप्रिय जनता पर गोली चलाई जाती है और लाठीचार्ज किया जाता है जैसे कि पुराने जमाने में होता था। आज स्वतंत्र भारत में पुलिस को अपना वह पुराना रूप बदलना चाहिए।

उस दिन अभी जब दिल्ली में पुलिस फायरिंग हुई तो हमारे माननीय गृह-मंत्री ने पुलिस फायरिंग के औचित्य को सिद्ध करने के लिए इस देश के महान् नेता डा० राम मनोहर लोहिया का नाम लिया और उनको गलत तरीके से कोट (उल्लेख) किया। डा० राम मनोहर लोहिया ने प्रजातंत्र में "पुलिस द्वारा फायरिंग", इस विषय पर लिखा है और सके पीछे वह थानु पिल्लई सरकार से लड़ गये इसको लेकर बहुत वाद–विवाद हुआ, मैं इस समय उस पर जाना नहीं चाहता। यहां माननीय गृह-मंत्री ने डा० लोहिया को ठीक रूप में न कोट करके पुलिस द्वारा फायरिंग के औचित्य को सिद्ध करने के लिए प्रयास किया। इस सम्बन्ध में डा० लोहिया ने अध्यक्ष महोदय, लोकसभा को जो पत्र लिखा है, उसमें एक स्थल पर उन्होंने इस तरह लिखा है :

"वर्ग संघर्ष के नाम पर गोली के औचित्य को बताना उतना ही अर्धमानवी और जंगली है जितना जनतंत्री अनुशासन या शहरी जिम्मेदारी के नाम पर" डा० लोहिया की चिट्ठी को अगर उपाध्यक्ष महोदय, आप, टेबुल पर रक्खा जाना चाहेंगे तो मैं रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप चूंकि किसी चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, किसी महापुरुष की चिट्ठी में से हवाला दे रहे हैं तो आपको लाजिम है कि आप उसको टेबुल पर रख दें ताकि दूसरों को भी उसका पता लग जाय और वह भी उसको देख सकें। जब आप उसका हवाला देते हैं तो यह जरूरी है कि वह चिट्ठी मेज पर आये। आप उस चिट्ठी का नाम तभी लें जब उसको यहां पर रखने के लिए आप तैयार हों वरना आप अपनी तरफ से कहें।

एक माननीय सदस्य : हिम्मत नहीं है।

श्री अवस्थी : मैंने डा० लोहिया ने अध्यक्ष महोदय को जो पत्र लिखा था, उसमें से दो लाइनों को यहां पर पढ़ा है और जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि वह अध्यक्ष महोदय को दिया गया था......

एक माननीय सदस्य : तब भी रखना चाहिए।

श्री अवस्थी : जो सदस्य उस पत्र को देखना चाहते हैं वे अध्यक्ष महोदय से लेकर देख सकते हैं। मैंने उस पत्र की प्रतिलिपि से ही अभी यहां पर वे दो लाइनें पढ़ी हैं और अगर अध्यक्ष महोदय चाहेंगे तो यह टेबुल पर रक्खी जा सकती है और उसको मैं टेबल पर रख दूंगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पुराने दमन के तरीके अब तक चल रहे हैं, उनमें मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। इसमें तो कोई मतभेद नहीं है कि आज देश के अन्दर जन-तंत्र कायम हो चुका है और आज जब कि देश में शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हों और ला एंड आर्डर मेंटेन करने के लिये वही पुराने दमन के तरीके अपनाये जायें जो कि चोरी, डकैती और कतल के अपराधियों के साथ अपनाये जाते हैं और उनके साथ वही पुराने ढंग का अमानुषिक बर्ताव किया जाता है तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कि यह कैसा प्रजातंत्र है और कैसा स्वराज्य है। मैं चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत में पुलिस अपना वह पुराना तरीका बदले और अपने को बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप बनावे। मैं चाहूंगा कि पुलिस विभाग के अन्दर एक ऐसा सेक्शन कायम करना चाहिए जहां लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाय कि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से किस प्रकार डील (सामना) करना चाहिए, कैसे उसको कब्जे में करा जाय और कैसा उनके साथ बर्ताव किया जाय, इस विषय की ट्रेनिंग पुलिस के आदमियों को मिलनी चाहिए। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जनता की आवाज होती है और उसको लाठियों और गोलियों से नहीं दबाया जा सकता है। अलबत्ता जब जनता निश्चित रूप से हिंसक हो जाय तो पुलिस द्वारा लाठियों और गोलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी पुलिस का उनके साथ डकैती के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए।

अभी भाषावार प्रान्तों का कुछ यहां पर जिक्र किया गया, यह जितने झगड़े हैं यह कृत्रिम झगड़े हैं और जिस प्रकार से अंग्रेज़ी सरकार की डिवाइड एंड रूल (फूट डाल कर शासन करने) की नीति थी, मैं समझता हूं कि उसी पुरानी डिवाइड एंड रूल की पालिसी से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की गई और आज उसका नतीजा यह देखने में आ रहा है कि महाराष्ट्रियों और गुजरातियों में द्वेष भाव विद्यमान है और एक दूसरे के खिलाफ हैं और पंजाब में आप देख रहे हैं कि हिन्दी के प्रश्न को लेकर इतना झगड़ा टंटा हो रहा है। आप स्वयं इस चीज को समझ सकते हैं कि जब वही मुलजिम हों, वही वकील हों और वही इंसाफ करने वाले हों तो किस तरह निष्पक्ष न्याय मिल सकता है। आज हो यह रहा है कि जो पार्टी इन पावर के लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और पद लोलुपता के कारण इस भाषा के प्रश्न को उठाकर इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया है।

आखिर में मैं जो चीज रखना चाहूंगा वह यह है कि इस तरह की झगड़े की चीजें पैदा करना, शान्ति और उन्नति का तरीका नहीं है और एक दूसरे को गालीगलौज करना, यह कोई जनता का आन्दोलन नहीं हुआ। अब जहां तक जनता का इस प्रकार के प्रश्नों से सम्बन्ध है तो उसके लिए मेरा कहना यह है कि बम्बई महाराष्ट्र में हो, या वह गुजरात में हो, जनता को इससे क्या, जनता का तो प्रश्न रोटी और कपड़े का है और इसलिए जनता को इन कृत्रिम झगड़ों में नहीं फंसना चाहिए।

[श्री अवस्थी]

हमारे देश का प्रशासन कार्य चलाने के लिए सेवा आयोग द्वारा आई० पी० एस० और आई० ए० एस० की जो प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, उनमें सफल होन वाले व्यक्तियों को प्रान्तीय सरकारों के हवाले कर दिया जाता है और हमने देखा है कि वही आई० पी० एस० और आई० ए० एस० के अफसरान बड़े ही मनमा ढंग से कानू ों का दुरुपयोग करते हैं और केन्द्रीय सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्रालय को यह सुझाव दूंगा कि आज जो न बड़े बड़े अफसरान पर केन्ीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है और वह एकदम प्रान्तीय सरकारों के नियंत्रण में चले जाते हैं तो या तो इन सर्विसेज (सेवाओं) को डिसेंट्रलाइज (विकेन्द्रित) कर दिया जाय या फिर उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण की व्यवस्था की जाय।

अभी मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है कि बड़े-बड़े अफसरान की रिटायरिंग एज (सेवा निवृत्ति की आयु) बढ़ा दी गई है, मैं नहीं समझता कि गृह-मंत्रालय किस आ ार पर ऐसे बड़े ब अफसरान की जिनकी कि रिटायरिंग ऐज हो गयी है उनकी सर्विसेज को बढ़ाता जाता है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के इन बड़े बड़े अफसरों के दवाब में आगया है और इस कारण वह उनको हटा नहीं पाता। भारत सरकार के नियमों में और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, उनमें सबकी ज (आयु) निश्चित है, हर एक आदमी की अवस्था निश्चित है कि अगर कोई लोक सभा का चुनाव लड़ेगा तो वह कम से कम २५ वर्ष का होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेगा तो कम से कम ३५ वर्ष का होना चाहिए, लेकिन अभी हमा देश में यह नहीं निश्चित हुआ कि जो हमारे माननीय मंत्रिगण हैं उनकी क्या ऐज हो। उनकी ऐज निश्चित नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनकी अवस्था भी निश्चित होनी चाहिए कि किस उम्र में उनकी नियुक्ति हो, किस उम्र में वह रिटायर ों। इस तरह से जो नया ब्लड (रक्त) लाने की बात है, वह नया रक्त आ सकता है। इन लोगों की अवस्था निश्चित होनी चाहिए ताकि ेश में एक ऐसा आदर्श हो सके.....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दौलता।

श्री बाजपेयी (बलरामपुर) : जनसंघ के किसी सदस्य को अभी तक नहीं बुलाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब संभव नहीं है। आगे अवसर दिया जायेगा।

श्री बाजपेयी : तो मेरा सभा में बैठना ही व्यर्थ है। मैं सभा के बाहर जाता हूं।

(तत्पश्चात श्री बाजपेयी सभा को छोड़कर चले गये)

चौ० प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे होम की डिमांड (गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों) पर कहनी तो बहुत सी बातें थी, लेकिन चूंकि मैं पंजाब की तरफ से आया हूं, और कोई बात के सिवा पंजाब के सिलसिले में, कहने का मेरे पास वक्त नहीं है।

कुछ दिन हुए हमारे वजीर आजम साहब ने पाकिस्तान के वजीर आजम साहब को बताया था कि उन्हें हिमालय की सिच्युएशन (स्थिति) का पता नहीं कि वह कहां है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को बताऊं कि उन्हें भी जुगराफिया का इल्म नहीं कि पंजाब कहां है। मुझे यह एहसास आज से नहीं, पिछले दस सालों से है। हर साल १५ अगस्त को हमारे वजीर आजम साहब, मुगल

बादशाहों की तरह से जैसे वह बैलकनी से जनता से बोला करते थे, लाल किले से जनता को दर्शन देते हैं। दूसरे सूबों की राजधानियों में भी १५ अगस्त मनाया जाता है। उनमें मुख्तलिफ बातें होती हैं, लेकिन एक फिकरा तमाम तकरीरों में कामन होता है, और वह यह कि हमने दुनिया में एक नया रेकार्ड कायम किया है। बगैर खून बहाए हुए पावर ट्रांस्फर (सत्ता हस्तान्तरित) कराई है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं अदब से कि जिस तरह जमीन पर पांच लाख आदमी मरे, जहां बच्चों को संगीनों पर टांगा गया, जहां बहनों की बेइज्जती हुई, वह हिन्दुस्तान के ही आदमी थे, वह बेटियां भारत की बेटियां थीं। उन शहीदों के खून का रिफरेंस (उल्लेख) न देना गुनाह है, लेकिन यह कहना कि पावर ट्रांस्फर हुई बगैर खून बहे, यह उससे भी ज्यादा संगीन गुनाह है। मैं शायद यह गिला न करता अगर पांच लाख आदमियों के खून का हिसाब लगा कर मौजूदा पंजाब की जो प्राब्लेम (समस्या) है उसकी तरफ हमारे हुक्मरां ध्यान देते। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पंजाब के मसले के साथ खेल किया जा रहा है। जिस तरह से पंजाब के लोगों के साथ तजुर्बा किया जा रहा है, उस से तो यही एहसास होता है कि अगर हुकूमत को जुगराफिया का इल्म है तो कम से कम साइकालोजी (मनोविज्ञान) का इल्म नहीं है कि पंजाब के लोग कैसे सोचते हैं। पंजाब की जो मौजूदा हालत है वह यह है कि वह एक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा है, किसी वक्त शोला भड़क सकता है और वह आग में जा सकता है। लेकिन इसके लिए पंजाब खुद जिम्मेदार नहीं है। मेरा चार्ज (आरोप) है कि इसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया और खास तौर पर हमारे मोहतरम बुजुर्ग मिनिस्टर आफ होम एफेअर्स (गृह–कार्य मंत्री) जिम्मेदार हैं। पंजाब की प्राब्लेम का हल वही था जो हिन्दुस्तान की दूसरी प्राब्लेम्स का हल था। जब गुजरात में गुजराती स्पीकिंग (भाषाभाषी) सूबे का मतालबा हो सकता था, जब बंगाल में बंगाली रीजनल जबान हो सकती है और उनका सूबा बन सकता है, मद्रास में बन सकता है, तो मैं हैरान हूं कि पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो सकता था। पंजाबी स्पीकिंग सूबा अगर बगैर खून बहाए बन जाता तो बेहतर था। इस चीज का लास्टिंग सोल्यूशन (स्थायी हल) यही होगा कि पंजाबी स्पीकिंग सूबा अलग बने और हरियाना प्रान्त अलग बने। जब तक वह नहीं बनेंगे, तब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा। आज पंजाब के अन्दर हिन्दी का बहाना है, मैं ऐलान करता हूं कि पंजाब में कोई हिन्दी की तहरीक नहीं है। जैसा कि हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया है मैं एक जिम्मे–दार वाहिद अपोजीशन का मेम्बर होते हुए कम्यूनिस्ट बेंचों पर बैठा हुआ कहता हूं कि इस मामले में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनालिसिस (विश्लेषण) है हिन्दी के बारे में उससे बिल्कुल मुत्तफिक (सहमत) हूं। चीज क्या है? चीज यह है कि बुनियाद ही गलत है। आज पंजाबी स्पीकिंग सूबे के लोगों को और हरियाना के लोगों को लैंग्वेज के नाम पर लड़ाया जा रहा है। कल हाई कोर्ट के जजों की तकरीर पर लड़ाया जाएगा, परसों दूसरी सर्विसेज के लिए लड़ा जाएगा। आज भारत के बार्डर (सीमा) पर ऐसी रियासत की बुनियाद रख दी गई है जिसे कभी सुख से नहीं सोना है। यह रीजनल फार्मूला (प्रादेशिक सूत्र) न रीजनल है और न फार्मूला है। रीजनल कैसे हो सकता है? कहां कांगड़ा, कहां हरियाना, दोनों इकट्ठा, यह क्या फार्मूला है? अगर कोई खास चीज हो तो उसका खास नतीजा निकले। हमें बतलाया गया था कि रीजनल फार्मूला तुम्हारी बीमारियों का इलाज है। क्या इलाज हुआ? आज पंजाब की जनता में, छिपाने में कुछ नहीं रक्खा, सिख एक तरफ हैं, हिन्दू एक तरफ, दोनों तरफ यह नारे लगते हैं कि पंजाब आग में जला जा रहा है, और इसका नाम फार्मूला होता है। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाना प्रान्त बनना पांच प्राब्लेम्स का हल है। (१) हिमाचल प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि हमारी स्टेट असेम्बली छीन ली, कांगड़ा के लोग कह रहे हैं हमें किन के साथ छोड़ दिया; (२) इन पहाड़ी इलाकों की एक स्टेट बन सकती थी। यह उन का

[चौ० प्र० सिंह दौलता]

मतालबा था। उससे रिफ्यूजल हुआ। पंजाबी स्पीकिंग सूबा पंजाब का मतालबा था। मैं यहां कोई सयासत (राजनीति) की बात नहीं करना चाहता। चूंकि यह नैशनल प्राब्लेम है, गम्भीर मामला है, इसलिए मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं कहना चाहता। यह ठीक है कि पंजाबी स्पीकिंग सूबे के मतालबे पर हमारे कुछ भाई जो सिख कम्युनिटी, एक कम्यूनल मिलिटैंट आर्गेनाइजेशन (साम्प्रदायिक सैनिक संगठन) से ताल्लुक रखते थे, सेन्टर में और सूबे में कुछ ओहदे ले कर सैटिस्फाई (सन्तुष्ट) हो गए, लेकिन पंजाब की जनता अब भी पंजाबी स्पीकिंग सूबा चाहती है। यह ठीक है कि हरियाना के हमारे कुछ लीडर कुछ टिकटों और सीटों की गारंटी लेकर हमें बिट्रे (धोखा) कर गए। लेकिन हरियाना की जनता आज भी हरियाना प्रान्त मांगती है। यह चीज क्या प्राब्लेम साल्व (समस्या हल) करती है कि जब एजिटेशन (आन्दोलन) हुआ तो अलिफ को बुलाया कि चलो तुम मिनिस्टर बन जाओ, बे को बुलाया कि तुम टिकट ले लो और मिनिस्टर बन जाओ। आज पंजाब की प्राब्लेम इस तरह हल की जा रही है कि जब सी ने एजिटेशन किया तो कहा कि अच्छा बी और सी दोनों ही मिनिस्टर बन जाएं एक साथ। चीज यह है कि हम सन् १८५७ की याद मनाते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स (व्यक्तियों) को आगरे के किले में फांसी दे दी गई, हम नहीं चाहते उनकी जायदाद लेना। लेकिन जिस तरह से सन् १८५७ में हरियाना के टुकड़े किए गए थे, जिसका एक हाथ यू० पी० में है, दूसरा राजस्थान में। टांग कहीं, सिर कहीं। सन् १८५७ के पहले की चीज जब तक वापस नहीं दी जाती, तब तक वहां के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हरियाना की एक नेशन है। दिल्ली में मुगल बादहशाह हुकूमत करते थे। यहां से चार मील पर हरियाना है जिसका अपना कल्चर (संस्कृति) है। आज आप वहां के १०० फीसदी आदमियों में से ४ फीसदी आदमियों से कहिए तुम अंडा खा लो, वह नहीं खाएंगे। हम मांगते रहे हरियाना प्रान्त.....

उपाध्यक्ष महोदय: आप का क्या हर्ज है ?

चौ० प्र० सिं० दौलता: हर्ज है। हमारे होम मिनिस्टर साहब सुनेंगे और शायद बुरा नहीं मानेंगे। यहां पर पर्सनल फ्लैटरी (व्यक्तिगत चापलूसी) होती है। पर्सनल ओमिशन और कमिशन (गल्ती) की बात कही जाए तो बुरी बात नहीं है। यह चीज पंजाब और हरियाना दोनों जगहों का हल थी। दिल्ली की बाबत यह फैसला हुआ कि यह स्टेट टूटेगी। वह टूट गई। इस के लिए हल यही था कि यू० पी० का वह हिस्सा जिसे हमारे पंत जी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसको यू० पी० से तोड़ कर हमें दिया जाता, कुछ पहाड़ी इलाका दिया जाता। यू० पी० एक बड़ी बल्की (लम्बी-चौड़ी) स्टेट है।

उपाध्यक्ष महोदय: स्पीकर साहब ने अभी एक रूलिंग दी थी कि इसका पार्सिंग रिफरेंस तो हो सकता है, मगर उसको बुनियाद बना कर स्पीच न की जाए क्योंकि यह पार्लियामेंट का फैसला है।

चौ० प्र० सिं० दौलता: डिप्टी स्पीकर साहब, पार्लियामेंट का फैसला मेरे सिर माथे पर। लेकिन चूंकि यह ला ऐंड आर्डर (विधि और व्यवस्था) की डिमान्ड (मांग) ली जा रही है, और जहां तक होम एफेअर्स का ताल्लुक है, पंजाब में सिवा ला ऐंड आर्डर के इस वक्त कोई और बर्निंग सवाल (मुख्य समस्या) नहीं है, इसलिए सिर्फ एक टेकनिकल बिना पर कह देना कि इसमें नहीं जाना चाहिए बहुत सस्ती की बात है। बहरहाल मैं पार्सिंग रिफरेंस की तौर पर कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी स्टेट पंजाब की बुरी हालत है उसकी जिम्मे-

दारी सेन्ट्रल होम मिनिस्ट्री की है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट की नहीं। मेरा प्वाइंट यह है। पहले यह तो पंजाब में हुकूमत करता था प्राविंशल अटानमी (प्रान्तीय स्वयत्तशासन) के दिनों में कि वहां तीन कम्युनिटीज थीं। सिख थे, हिन्दू थे और मुसलमान थे। जब इन तीन आर्गेनाइजेशन्स ने सिर उठाया, हमने कभी उन्हें पनपने नहीं दिया। लेकिन १९४५ में पंजाब में हमारी सियासत मुसलिम लीग और कांग्रेस के हाथ में जा पड़ी, और हमारे बुजुर्गों ने गद्दियों की जल्दबाजी में टू नेशन थ्योरी (दो राष्ट्र सिद्धान्त) कबूल कर ली। हमारे लीडर सर छोटू राम की चिट्ठी....

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या अब इसके लिये होम मिनिस्ट्री को जिम्मेदार ठहराया जाए?

चौ० प्र० सिं० दौलता : मैं रूलिंग पार्टी को जिम्मेदार ठहराता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस वक्त हम ले रहे हैं होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स को। अब इसमें जाना कि उनको गद्दियों की जल्दी थी, इसलिये उन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली या मुल्क को तकसीम किया उससे क्या फायदा? वह कैसे रेलेवेंट (संगत) होगा?

चौ० प्र० सिं० दौलता : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज पंजाब के अन्दर जो हालत है, वह होम मिनिस्ट्री की पैदा की हुई है.....

उपाध्यक्ष महोदय : आज जो पंजाब में हालत है, वह इस वजह से है कि पार्टिशन हुआ है, पार्टिशन इस वास्ते हुआ है कि अंग्रेज यहां पर राज करते थे। इस वास्ते हमें अंग्रेजों के पहले जो कुछ यहां हो रहा था, उसका जिक्र करना चाहिए जो इस वक्त नहीं हो सकता।

चौ० प्र० सिं० दौलता : आज पंजाब के अन्दर, डिप्टी स्पीकर साहब, जो हिन्दू और सिख एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं वह इसलिए हो गए हैं क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने गलतियां की हैं। इलैक्शन से ऐन पहले एक कम्युनल आर्गेनाइजेशन को अपने साथ मिलाकर, कुछ हिस्सा ताकत में उसे दे दिया गया था। इसका नतीजा यह हुआ है कि वहां पर जो दूसरा कम्युनल तबका है, वह इस चीज को रिजेंट करता है। वह तबका इसलिए इसको रिजेंट करता है कि कांग्रेस ने इलैक्शन के दिनों में पावर पर बने रहने के लिए उस तबके के साथ जो समझौता किया था, वह समझौता दूसरे तबके के लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं था और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वह समझौता टूटता नहीं है पंजाब की हालत यही रहेगी। इस चीज को मैं बहुत बार कह चुका हूं और अब और ज्यादा इस पर मैं कहना नहीं चाहता। इस सम्बन्ध में मेरी जो फाइनल सबमिशन (अन्तिम निवेदन) है वह यह है कि यू० पी० बहुत बड़ा है। हमें वह एपरोच (उपाय) नहीं लेनी चाहिये जिस तरह की एपरोच कि मुगल बादशाह लिया करते थे यानी दो किले हाथ से न निकल जायें। यू० पी० इतना बड़ा है कि अगर उस का कुछ हिस्सा टूट भी जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। पहाड़ी जो लोग हैं उनकी भी तसल्ली की जा सकती है, हरियाना वालों की भी तसल्ली की जा सकती है, पंजाबी सूबा भी बनाया जा सकता है और इतना होने पर भी वह सूबा बहुत बड़ा बच रह जाता है।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं दूसरे प्वाइंट पर आता हूं। अभी हाल ही में सरकार ने बुद्ध जयन्ती मनाई थी और इसके बारे में बहुत पब्लिसिटी (प्रचार) भी की थी। जब सरकार किसी चीज की बहुत अधिक पब्लिसिटी करती है तो मैं समझता हूं कि उसके मानने वालों पर कोई आफत आने वाली है। मैं सरकार के करेक्टर (स्वभाव) को जानते हुए यह कह सकता हूं कि जब बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करती है तो वह कोई ब्लो (चोट) अवश्य

[चौ० प्र० सिं० दौलता]

दिया करती है। हम कास्टलेस और जातपात से रहित सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। शैड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियों) के लोगों को जो भी राहत हमारी कांस्टीट्यूशन (संविधान) ने प्रदान की हुई है वह इस बिना पर दी गई है कि वे डिप्रैस्ड (दलित) हैं, बैकवर्ड हैं, न कि इस वास्ते दी गई है कि वे किसी खास खास रिलिजन को बिलांग करते हैं। मनु महाराज के वक्त से ही हमारी सोशियोलिजी कुछ ऐसी रही है कि वे जन्म से ही बैक्वर्ड चले आ रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि मजहब की बिना पर उनको कोई राहत नहीं दी गई है। अगर एक चमार जो कि आज हिन्दू है कल को बुद्ध हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी आर्थिक दशा सुधर गई है और उसको किसी प्रकार के कंसेशंस (रियायत) की जरूरत नहीं है। उसकी वही झौंपड़ी, वही औजार वगैरह रहते हैं और उसको राहत की जरूरत है। सैक्युलर स्टेट (धर्म निरपेक्ष राज्य) में यह उसका हक है कि वह किसी भी रिलिजन (धर्म) को चज़ (पसन्द) करे। यह कहना गलत होगा कि जब तक वह हिन्दू रहता है तब तक ही उसको राहत मिल सकती है और जब हिन्दू नहीं रहता है तो उसको कोई राहत नहीं मिल सकती है। हमारे सिख भाई इस बेइंसाफी के खिलाफ खूब लड़े थे। बौद्ध बेचारे इसके खिलाफ लड़े भी और आठ हजार आदमी जेल भी भेज दिए गए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि वे संगठित नहीं थे और सरकार लाजिक (तर्क) को नहीं मानती है।

यह कहते हुए मैं यह अर्ज करूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स को जितने भी कंसेशन मिले हुए हैं वे जारी रहने चाहियें और किसी धर्म को वे मानना चाहते हैं और किसको फालो (अनुसरण) करना चाहते हैं, इसकी पूरी छूट उनको कांस्टीट्यूशन में मिली हुई है और मिली रहनी चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर कोई मुसलमान भी चमार है तो उसकी भी वैसी ही हालत है जैसे एक उस चमार की है जो कि हिन्दू है। मैं चाहता हूं कि जन्म की बिना पर, उसकी बैक्वर्डनेस की बिना पर जो राहत एक शैडयूल्ड कास्ट को मिली हुई है, फिर वह चाहे जिस मजहब को माने या किसी मजहब का क्यों न हो उसको वह राहत मिली रहनी चाहिए। बुद्ध महात्मा की जयन्ती हमने मनाई और बड़े जोर शोर से मनाई और काफी पब्लिसिटी भी दी। अब जो लोग बुद्ध हो गए हैं उनके बारे में यह कहना कि वे शैडयूल्ड कास्ट के नहीं रहे, ठीक नहीं है और हमें वैसे ही काम करने चाहियें जो कि बुद्ध महात्मा के उसूलों के साथ मेल खाते हों।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री तिम्मय्या।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार–रक्षित–अनुसूचित जातियां): गृह मंत्रालय की मांगों के संबंध में मुझे कुछ बातें कहनी हैं। मैसूर उच्च न्यायालय में गत तीन वर्षों से न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं है और वहां अनेक मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं। अतः वहाँ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाये। दूसरी बात यह कि अन्य राज्यों में भी कन्नड़-भाषाभाषी लोग अभी काफी संख्या में हैं। यह सारे लोग कायदे से मैसूर राज्य में आने चाहियें। अतः खण्डीय मंत्रणा परिषद् नियुक्त की जानी चाहिये ताकि वह इन समस्याओं का अध्ययन करे और कन्नड़ भाषा भाषी क्षेत्र मैसूर में आ जायें। राजनैतिक पीड़ितों के लिये केवल ३ लाख रुपये का उपबन्ध है। यह बहुत थोड़ा है। हमारे राज्य में राजनैतिक पीड़ितों की अवस्था बड़ी खराब है। उन की दशा सुधारी जानी चाहिये अतः ३ लाख रुपये की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की बात लीजिये। सरकारी नौकरियों में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है यह बात बड़ी खुशी की है पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस

---

† मूल अंग्रेजी में

सेवा में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अतः इन सेवाओं में भी उन का ध्यान रखा जाना चाहिये। श्री दातार ने बताया कि केवल कार्य कुशलता के आधार पर ही पदोन्नति होती है। पर यह बात गलत है। यह तो केवल पक्षपात के आधार पर होती है। यदि वरिष्ट अधिकारी किसी के बारे में प्रशंसात्मक बातें लिखते हैं तो उस की पदोन्नति हो जाती है चाहे वह निकम्मा ही हो और यदि उस की प्रशंसा नहीं होती और चाहे वह योग्य भी हो, पदोन्नति नहीं हो सकती। लोक सेवा आयोग इन कर्मचारियों की योग्यता तथा कार्य कुशलता की परीक्षा तो लेता नहीं केवल रिपोर्टों पर ही निर्भर होता है। अतः पक्षपात होता है। अतः अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये कुछ स्थान सुरक्षित अवश्य किये जाने चाहियें। गृह कार्य मंत्रालय इस बात पर विचार करे। मुझे खेद है कि हमें यह जानकारी नहीं दी जाती कि प्रति वर्ष प्रत्येक मंत्रालय में कितने कितने अनुसूचित जातियों के लोगों को भरती किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में हमें ऐसी जानकारी अवश्य दी जानी चाहिये।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षित अनुसूचित जातियों के लोगों को उपयुक्त अवसर दिया जाना चाहिये ताकि वे बेकार न रहें।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने आज बोलने को नहीं सोचा था लेकिन सामने के मेरे भाई ने चन्द ऐसी बातें कहीं कि मुझे कुछ कहना ही चाहिये।

मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उन की बातें सुनकर। वह पंजाब के बारे में थीं, और मैं भी पंजाब से ताल्लुक रखती हूं। इसलिये मुझे लगा कि उन की दलील के जवाब में दो शब्द कहना जरूरी है।

आप फरमाते हैं कि ये लोग जो कि हकूमत में बैठे हुए हैं ये अंग्रेजी की तरह से डिवाइड एंड रूल की नीति से अपना काम चलाते हैं। अजीब बात है। हम अंग्रेजों के सामने अपोजीशन में लड़े थे। दिमाग में कुछ ऐसी बात बैठ गयी है कि अपोजीशन वाले तो देश के प्रतिनिधि हैं और जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वह देश के नुमायन्दे नहीं हैं। उन को यह समझना चाहिये कि अब जमाना बदल गया है और जनता की आवाज का ही यह नतीजा है कि कोई लोग आज हुकूमत में बैठे हैं और कोई सामने विरोध में बैठे हैं। तो जो जनता के नुमायन्दे हैं वे क्यों डिवाइड एंड रूल करें और किस के खिलाफ डिवाइड एंड रूल करें। यह तो जनता की हुकूमत है। जनता ने अपना वरडिक्ट (निर्णय) दिया और कुछ लोगों को कहा कि हमारे हित के लिये आप हुकूमत चलाइये। तो फिर यहां डिवाइड एंड रूल की बात करना बहुत बेजा और नामुनासिब मालूम होती है, यह मैं बड़े अदब से उन से निवेदन करना चाहती हूं।

फिर उन्हों ने यह कहा कि पंजाब में जो पार्टीशन के वक्त खून हुए उन का जिक्र नहीं करते और पंडित जी कहते हैं कि बिना खून के ही स्वराज्य मिल गया। यह एक मोटी सी बात है। मेरी समझ में नहीं आया वह इसे समझते नहीं या जानबूझ कर समझना नहीं चाहते। हुकूमत अंग्रेजों के हाथ से हिन्दुस्तानियों के हाथ में आयी। हिन्दुस्तानियों ने अंग्रेजों का खून नहीं बहाया। लेकिन अगर उस मौके पर हिन्दुस्तानियों का अपना दिमाग घूम गया और उन्होंने आपस में एक दूसरे का खून किया तो यह दूसरी बात है। अंग्रेजों से हुकूमत लेने के लिये हिन्दुस्तानियों को खूनरेजी नहीं करनी पड़ी। तो इस चीज को देखते हुए भी वह कहते हैं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो यह कहा है कि हम ने एक नया रिकार्ड कायम किया है शान्ति से स्वराज्य प्राप्त किया है इस से उन को तकलीफ होती है। बजाय इस के कि हर हिन्दुस्तानी का सिर इस बात पर ऊंचा हो सारी दुनिया कबूल करती है कि हम ने इस बारे में नया रिकार्ड कायम किया है, हमारे कुछ भाई खड़े हो कर कहते हैं कि हम ने नया रिकार्ड कायम नहीं किया है। हो सकता है कि हम में बहुत सी खराबियां हैं, नुक्स हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन एक अगर अच्छी बात हम ने की है जिस का श्रेय सारी दुनिया हम को देना चाहती है, हम खुद उस का श्रेय अपने आप को न दें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

[डा० सुशीला नायर]

फिर ज़ाहिर है कि जिस तरह से हम ने पार्टीशन (विभाजन) के वक्त दिमाग खोये, आज फिर वही वाकयात पंजाब में पेश आ रहे हैं। मुसलमान कौन थे। हमारे ही हिन्दू भाई थे जिन्हों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हिन्दुओं में से ही बहुत से लोग मुसलमान हो गये थे। हम ने उन को बेगाना समझा, उन के साथ लड़े। अब सिख कौन हैं? मुसलमानों के जमाने में हिन्दुओं की रक्षा करने के लिये एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में सिख पैदा हुए। आज हम सिखों के साथ दुश्मनी करते हैं और उन के साथ लड़ते हैं। हिन्दुओं और सिखों में क्या फर्क है यह मेरी समझ में नहीं आता। आज कितने ही पंजाबी कुटुम्ब हैं, जिन में आधे पुरुष दाढ़ी वाले हैं और आध बिना दाढ़ी के हैं। आप जा कर देखें कि सिन्ध में बहुत से लोग गुरु ग्रन्थ साहब को मानते हैं सिक्ख हैं मगर दाढ़ी नहीं रखते, वे सहजधारी सिक्ख कहलाते हैं, दाढ़ी वाले, केशधारी कहलाते हैं। तो यह सिख और हिन्दू का फर्क और झगड़ा मेरी समझ में नहीं आता। शिडयूल्ड कास्ट में भी हिन्दू और सिख में फर्क नहीं किया गया है क्योंकि सिक्ख और हिन्दू एक ही हैं। लेकिन अगर कोई आदमी दूसरे धर्म में चला जाता है जिस में अस्पृश्यता को कोई स्थान नहीं है और फिर वह कहता है कि अस्पृयश्ता के कारण उस को लाभ भी मिले तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं। अस्पृश्यता तो केवल हिन्दू धर्म का ही कलंक है और हिन्दुओं को ही उस का प्रायश्चित करना है। इस पाप को धोना है। तो एक तरफ तो हिन्दू धर्म का यह कह कर मुंह काला किया जाये कि उस में अस्पृश्यता का पाप है इसलिये हम इसे छोड़ते हैं और दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन के बाद भी यह कहा जाये कि हम को अस्पृश्य होने के नाते रियायतें मिलनी चाहियें, तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकतीं। ऐसे लोगों को वे लाभ नहीं मिल सकते जो कि अस्पृश्य होने के कारण मिल सकते हैं। क्योंकि अस्पृश्यता किसी और धर्म का अंग नहीं है। हां बैकवर्ड क्लासेज होने के नाते उन को वे रियायतें मिल सकती हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेज के लिये हैं। क्योंकि बैकवर्ड क्लासेज तो हर धर्म में हो सकते हैं। लेकिन जो अस्पृश्य होने के कारण स्पेशल एडवांटेज हैं वे तो हिन्दू शिडयूल्ड कास्ट वालों को ही मिल सकते हैं दूसरे धर्म वालों को नहीं। चूंकि यह हिन्दुओं का कलंक है इसलिये उस को धोने के लिये यह सब काम हिन्दुओं को ही करना होगा। और वे कर रहे हैं।

मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहती हूं कि इस पार्लियामेंट में बैठ कर बम्बई और पंजाब के बारे में फैसला किया गया था। डिमाक्रेसी का यह तकाजा है कि हम पांच बरस तक इस को आनेस्ट ट्रायल दें। कई तरफ से यह भी आवाज आती है कि इस से तो बेहतर होगा कि आप हिन्दुस्तान के पांच सात जोन बना देते। तो जोन भी तो उसी रिआर्गेनाइजेशन में बने हैं। उन को मौका तो दीजिये कि वे ठीक तरह से काम कर सकें। पांच साल बाद यह देखना होगा कि यह प्रयोग कितना सफल हुआ कितना सफल नहीं हुआ। उस के बाद हम सब जो रूप मुनासिब समझेंगे वह दे सकते हैं। इस बीच हाउस के फैसले के खिलाफ तकरीरें करना नामुनासिब है। हमारे होम मिनिस्टर दातार साहब ने इस के बारे में कहा भी है। इसलिये मैं इस के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहती।

मैं एक चीज के बारे में खास तौर से जिक्र करना चाहती हूं जो कि खास दिल्ली से ताल्लुक रखती है। आज दिल्ली होम मिनिस्टर साहब के जेर साया है। दिल्ली में आज एक बड़ी मांग है और होम मिनिस्टर साहब की जबान से यह एक आम ऐलान हुआ भी था कि दिल्ली में एक मैडीकल कालेज लड़कों के लिये बनाया जाये और दिल्ली में जो लड़कियों का कालेज, लेडी हार्डिंग कालेज है उस को तोड़ने की बात नहीं कही जाये। जनता की ओर से बार बार यह आवाज निकल चुकी है कि उस को न तोड़ा जाये। एक कोर्ट (न्यायालय) का भी फरमान है कि उस को आप ऐसा का ऐसा रहने दें। ऐसे मौके पर हैल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दो तीन दिन पहले अखबारों में एक स्टेटमेंट निकलता है कि हम ने कम्पोजिट कालिज लड़कों और लड़कियों के लिये बनाना तै किया है। उस में इन लोगों को दाखिला मिला है। मझे रिलायेबिल लोगों से पता चला है कि हैल्थ मिनिस्ट्री के सामने यह तजवीज है कि दिल्ली के

हार्डिंग कालिज की लड़कियों को ले जा कर अर्विन अस्पताल में लड़कों और लड़कियों के साथ साथ क्लासेज चलाये जायेंगे। मैं होम मिनिस्टर साहब से बड़े अदब से प्रार्थना करती हूं कि ऐसी चीज नहीं होने देनी चाहिये। अगर आप कोर्ट के इंजक्शन की इस तरह से अवहेलना करेंगे तो आप दूसरों से उन की इज्जत करने की कैसे आशा या तवक्कों कर सकते हैं। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से बड़े अदब से प्रार्थना है कि हार्डिंग मेडिकल कालिज को बन्द न किया जाये। यह ठीक है कि आप एक बड़ा कम्पोजिट कालेज बना रहे हैं। लेकिन चन्द मुसलमान और दूसरी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन के मां बाप चाहते हैं और लड़कियां भी चाहती हैं कि वे लड़कियों के कालेज में पढ़ें। आप जो दूसरा कालेज बनाना चाहते हैं उस को आप जल्द से जल्द शुरू करवाइये लेकिन इस हार्डिंग कालेज को ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिये। दिल्ली की जनता की आवाज सुनने का कोई रास्ता नहीं है। मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करती हूं कि ऐडवाइज्री कौंसिल की आवाज को ज्यादा वजन दिया जाय या कोई और तरीका निकाला जाये ताकि दिल्ली की जनता को यह महसूस हो कि प्रजातन्त्र में उन की आवाज भी स्थान रखती है। आज दिल्ली की जनता को ऐसा महसूस होता है कि उन की आवाज ऊपर तक पहुंचाने का उन के पास कोई रास्ता नहीं। यह ठीक नहीं है। इस में दुरुस्ती होनी चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: तीन दिनों से गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो हो रही है। मैं ने भाषण सुने हैं। मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्हों ने हमारे मंत्रालय की प्रशंसा की है। मैं विश्वास करता हूं कि मांगों का संतोषजनक स्वागत हुआ है।

गृह-कार्य मंत्रालय की प्रायः आलोचना ही की जाती है फिर भी अधिकांश सदस्यों ने जो बातें कही हैं उन से हमें प्रोत्साहन ही मिलेगा। आयव्ययक वादविवाद में हमें मंत्रालय की नीतियों तथा गतिविधियों का सर्वेक्षण करने का अवसर मिलता है। बहुत से सदस्यों ने गृह-कार्य मंत्रालय की कार्यशैली की सराहना की है। केवल कुछ लोगों ने ही उत्तेजित हो कर कुछ बातें कही हैं। पर जिन बातों के बारे में उन्हों ने कहा वे गृह-कार्य मंत्रालय के क्षेत्र के बाहर की थीं। यदि हमारा यही अपराध है कि हम ने बम्बई के द्विभाषी राज्य के सम्बन्ध में संसद् के निर्णय का पालन किया तो हमें इस काम का कोई खेद नहीं है। यदि यह संसद् कोई निर्णय करती है तो मैं चाहता हूं कि देश का प्रत्येक नागरिक उस का पालन करे और कोई भी उस के औचित्य पर सन्देह न करे।

इस मामले पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि इस समय इस विषय पर अधिक बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। सदस्यों को विदित है कि निर्णय का स्वागत सभा ने दिल खोल कर किया था। देश के लगभग सभी समाचार पत्रों ने भी उस का स्वागत किया अतः वह निर्णय उचित तथा देश के हित में था। हो सकता है साम्यवादी दल ने उसे पसन्द न किया हो। पर यदि श्री नाथ पाई तथा श्री याज्ञिक को कुछ संदेह है तो मैं उन से तर्क वितर्क करने को तैयार हूं। मुझे तो तब प्रसन्नता होगी जब वे इस बात से सहमत हो जायेंगे कि जो कुछ भी किया गया वह केवल बम्बई और गुजरात के ही हित के लिये नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के हित के लिये था।

मैंने माना कि यदि किसी माननीय सदस्य को कुछ संदेह है तो क्या वे सभा की सम्मिलित समझदारी पर विश्वास कर के सहयोग के लिये तैयार नहीं हो सकते ? यदि वे सहयोग दें तो मैं आशा करता हूं कि थोड़े ही समय में उन के सारे सन्देह दूर हो जायेंगे। विरोध की भावना को उन्हें छोड़ देना चाहिये। हमारे देश में जब लोक तंत्र है तो हमें संसद् की सम्मिलित समझदारी को ही स्वीकार करने की आदत अपने में पैदा करनी चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और खुले आम संसद के निर्णय का विरोध करेंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा ? यदि तर्क तथा युक्तियों से हमें समझा दिया जाये

†मूल अंग्रेजी में

[पं० गो० ब० पन्त]

कि हम ने गलती की है तो हम उसे सुधारने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे पर यदि हम सीधी कार्यवाही पर उतर आते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः यदि हमारा यही रवैया रहा तो व्यक्तिगत समस्याओं का हल होना तो दूर रहा बल्कि संसद् का सारा काम ही रुक जायेगा।

अतः मेरा निवेदन है कि हमें सभी मामलों में लोकतंत्रात्मक ढंग से काम करना चाहिये। सहिष्णुता तथा अनुशासन के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। सहिष्णुता का यही अर्थ है कि बहुमत द्वारा स्वीकृत बात को हम स्वीकार कर लें। अनुशासन का मतलब यह है कि हम बहुमत के निर्णय का विरोध न करें। इसी प्रकार ही हम देश में लोकतंत्रात्मक सरकार चला सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के चरित्र, समय की आवश्यकताओं तथा अन्य अनेक बातों के बारे में आज दोपहर के बाद एक प्रभावशाली भाषण हुआ। मेरा विचार है कि गत वर्ष गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर हुए वादविवाद का उत्तर देते समय मैं ने जो भाषण दिया था उसे उन माननीय सदस्यों ने नहीं देखा है। उस में उन के विचार काफी मात्रा में प्रतिविम्बित मिलेंगे। मैं स्वयं यह स्वीकार करता हूं कि हमारी सेवायें इतने समय तक विदेशी शासन की सेवा कर रही थीं। उस शासन का हमारे देश में कोई हित नहीं था। कर्मचारी शासन के प्रति ही वफादार थे। उन्हें जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य का पता नहीं था। खैर, अब वह स्थिति नहीं रही। अब सरकार के प्रति कर्मचारियों की भक्ति तथा जनता के प्रति उनके कर्त्तव्य के बीच कोई संघर्ष नहीं है।

अभी उस दिन मैं ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को समझना चाहिये कि देश की जनता के हित में ही उनका हित है और उन्हें देश की जनता को ही अपना सच्चा स्वामी मानना चाहिए। श्री डांगे ने इन शब्दों पर आपत्ति की थी पर मैं दोबारा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारी को वास्तव में यह भावना अपने अन्दर पैदा करनी चाहिए; और प्रत्येक व्यक्ति के साथ चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, उन्हें शिष्ट व्यवहार करना चाहिए तथा उनकी सहायता करनी चाहिए और उन्हें कुछ संतोष व सहायता प्रदान करनी चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों को हमारे संविधान की प्रस्तावना तथा निदेशक तत्वों की ओर भी ध्यान देना चाहिये तथा उन्हें संसद में किये गये निर्णयों की ओर भी ध्यान रखना चाहिये कि हमने दृढ़ता तथा स्पष्टता से अपने सामने इस देश में समाजवादी ढांचे की स्थापना का कल्याणकारी उद्देश्य रखा है। इसलिये सरकारी कर्मचारियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

किन्तु उन लोगों के सामने इस समय की आवश्यकताओं को रखते हुए हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि वह लोग भी हमारे ही भाई हैं और इसी देश के रहने वाले हैं। इस समय देश की सेवाओं में कोई विदेशी लोग नहीं हैं और देश की उन्नति की इच्छा जो उनकी हो वह किसी दूसरे की इच्छा से कम नहीं होनी चाहिये। यह उनकी स्वभाविक इच्छा होनी चाहिये। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा इतना बड़ा देश शान्त तथा व्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकता यदि इन कर्मचारियों की सहायता न हो जो कि इस समय देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं। जो कुछ वह कर रहे हैं यदि हम उस की सराहना न करेंगे और उन के काम की हम परवाह न करेंगे तब तक हमारे सामने चित्र का ठीक पहलू नहीं आयेगा और न ही हम कोई सुधार कर सकेंगे और जो परिवर्तन हम उन में लाना चाहते हैं वह भी नहीं ला सकेंगे।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमारे देश में सारी आबादी की तुलना में सरकारी कर्मचारियों का प्रतिशत विश्व के समस्त सभ्य राष्ट्रों से कम है। हमारे पास इंगलैण्ड तथा अमेरिका से कम कर्मचारी हैं। इस के बावजूद भी हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और क्षेत्रफल अधिक है—

प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार की स्थिति है और अन्तर भी है; इस के अतिरिक्त अभी तक हम एकजान नहीं हुए हैं। अन्तर हैं। केवल दिलों की एकता की ही जरूरत नहीं है बल्कि समस्त रूप से एक व्यापक एकता की आवश्यकता है।

आज के भाषणों से यह पता चलता है कि खतरा अभी सिर पर ही है। लाल पगड़ी वाले सज्जन ने भाषण दिया जिस से हम लोगों को धक्का लगा। वह देश को विभिक्त कराना चाहते हैं। उन का विचार है कि पंजाब की जनता को निकट लाने के जो प्रयास किये वह पंजाब के हितों के विरुद्ध हैं। उन के विचारानुसार पंजाब की दोनों जातियों के बीच सद्भावना, मैत्री, भरोसा तथा सहयोगिता लाने के लिये जो कुछ भी किया गया है वह शरारत से भरा हुआ, हानिकारक तथा खतरनाक है और इस से भयानक उपद्रव होगा। जब हम अपने बीच ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें निराशा होती है किन्तु अधिक लोग गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं और ऐसी बातों से गलत मार्ग पर नहीं चलते। अन्यथा पंजाब में पर्याप्त संख्या में साम्यवादी सफल होते। उन्हों ने प्रादेशिक सूत्र का विरोध किया था। मैं नहीं जानता कि उन की संख्या पहले से आधी हो गई है। यदि उन के अनुसार हमारी सन्धि के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है तो तथ्य तो हमारे सामने हैं। मैं नहीं समझता कि जिन संधियों के परिणाम अच्छे हों वह बुरी होती हैं। अच्छी संधियों से केवल अच्छे तथा लाभदायिक परिणाम निकल सकते हैं। इन बातों के अलावा मैं यह पूछता हूं कि क्या यह झगड़ा जो मामूली बातों पर हो रहा है क्या यह पंजाब की महान जनता की शान के शायां है ? क्या इन छोटे छोटे झगड़ों को सहयोगिता तथा भाईचारे की भावना से हल नहीं किया जा सकता ? मुझे विश्वास है कि यदि एक बार यह मामला समाप्त हो जाये और वहां के लोग शान्ति से रहने का प्रयत्न करें तो निस्सन्देह ही पंजाब सब राज्यों से अधिक उन्नति करेगा।

इस कारण हमें इन छोटे छोटे मामलों में नहीं पड़ना चाहिये। हजारों लाखों लोगों को एक दिन में भर पेट खाना नहीं मिलता। हमें देखना चाहिये कि हम उनके लिये क्या कर सकते हैं ? हम चाहे हिन्दी और पंजाबी के बारे में लड़ते हैं—किन्तु उन लोगों के अधिकतर अखबार उर्दू में छपते हैं। इसलिये यह झगड़ा बनावटी मालूम होता है और हमें यह झगड़ा किसी भाषा या लिपि के वास्तविक प्रेम पर आधारित प्रतीत नहीं होता।

किन्तु मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि वह अपना तथा देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। मैं हिन्दी के हितैषियों को यह बताना चाहता हूं। इसके बारे में पहले से ही लोग चिल्ला रहे हैं और आज ही हमने हिन्दी साम्राज्यवाद की बात भी सुनी। मुझे उसका अर्थ मालूम नहीं। किन्तु ऐसे लोग भी हैं जो यह सोचते हैं कि हिन्दी भाषा को उन पर उनकी इच्छा के विरुद्ध ठोंसा जा रहा है। जो लोग हिन्दी की प्रगति में रुचि रखते हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि उन्हें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे कुछ लोग हमारे विरुद्ध हो जायें।

मैं अब इस विषय पर अधिक कुछ न कहूंगा क्योंकि भाषा आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र ही सभा के समक्ष रखा जायेगा। उस समय सदस्यों को इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। यदि प्रतिवेदन किसी समिति को सौंपा जाये तो इसमें मुझे कोई खेद नहीं होगा।

श्री नाथ पाई ने गोली चलने के बारे में कहा। मुझे नहीं पता कि वह प्रजा समाजवादी दल से संबंधित हैं—किन्तु वह कहते हैं। त्रावनकोर-कोचीन में जब प्रजासमाजवादी सरकार थी तब वहां कई बार गोली चली। थोड़ी देर के शासन में—अनुमान यह लगाया जाता है कि लगभग एक सप्ताह में एक व्यक्ति मारा जाता था।

†**श्री नाथ पाई :** कल मैंने आंकड़े दिये थे।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं उनकी बात समझ नहीं सका हूँ । मैंने कल भी कहा था कि जब पुलिस के गोली चलाने से कोई व्यक्ति मारा या घायल हो जाता है तो सरकार को ही सब से ज्यादा हानि होती है—सरकार की अपने हित ही में यह पूरी भावना होनी चाहिये कि वह गोली न चलाये क्योंकि हमारे विरोधी लोगों के कष्ट निवारण के लिये कोई सुझाव देने के बजाये उन्हें गलत रास्ते पर चलाने का अवसर ढूंढ निकालते हैं--जिसमें गोली चलती है । इसलिये मैं तो अपने ही हित में यही चाहूंगा कि पुलिस गोली न चलाये ।

हमसे यह भी कहा जाता है दूसरे देशों की भांति काम करो । मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है । इसके अतिरिक्त हमारे देश के प्रत्येक एक हजार व्यक्ति के हिसाब से हस्तक्षेप्य अपराधों की संख्या दूसरे सभ्य देशों की तुलना में बहुत कम है ।

यदि माननीय सदस्य इस जानकारी को गलत समझते हैं तो हम उन्हें दोबारा देख सकते हैं और यदि मुझ से गलती हुई होगी तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा । किन्तु यदि वह ठीक है तो शोर मचाने से क्या फायदा होगा ।

हमें याद रखना चाहिये कि हम पुलिस से बहुत से काम ले सकते हैं । उनमें त्रुटियां भी हैं । उन सभी को तो ठीक नहीं कहा जा सकता । किन्तु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें सुधारने का अवसर तो दिया जाये । पुलिस अपना काम करती रही है उनके काम बड़े उलझे हुये तथा कठिन हैं—जब आप इस देश की स्थिति की तुलना दूसरे देश से करते हैं तो समझिये कि अन्य किसी देश में कोई भी राजनैतिक दल संगठित सत्याग्रह नहीं करता ।

आज देश के कतिपय राज्यों में क्या कुछ हो रहा है । मैं यहां किसी का उल्लेख नहीं कर रहा हूं—किन्तु राजनैतिक नेताओं द्वारा भड़काये गये लोग न्यायालयों में जाकर दंडाधिकारियों को काम नहीं करने देते और यदि उनको अवसर मिले तो वह दरवाजे भी बन्द कर दें । इन गड़बड़ी के दौरान लोग ईंटें भी फेंकते हैं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फीरोजाबाद) : यह गलत है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** खैर मैं ईंटों वाली बात छोड़ता हूं । वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । अधिक महत्वपूर्ण बात यह है । क्या आप चाहते हैं कि आपके दण्डाधिकारी काम करें या नहीं ? जब एक व्यक्ति को किसी दूर गांव में लगान वसूल करने के लिये जाना पड़ता है तो उसे स्वयं जाना पड़ता है । वह अपने साथ सेना तो नहीं ले जा सकता । क्या वह लगान इकट्ठी करे या न करे ? प्रशासन किस तरह चलाया जाये? यदि वह वहां जाता है और उसे वहां पर पर्याप्त लोग मिलते हैं जो उसे उस व्यक्ति तक जाने ही नहीं देते जिससे लगान लेना है तब वातावरण कैसा होगा ? यदि कोई हिंसात्मक कार्यवाही करता है तब पुलिस को अधिकतम संयम से काम लेना चाहिये । किन्तु क्या सामाजिक जीवन को विच्छिन्न करा दिया जाये या प्रशासन को पूर्णतया अस्त व्यस्त होने दिया जाये ?

इसलिये जब हम इस बात की तुलना करते हैं कि हमारे देश में क्या होता है और दूसरे देश में क्या नहीं होता तब हमें याद रखना चाहिये कि चित्र का दूसरा पहलू भी तो है । कई बातें इस देश में होती हैं जो कि दूसरे देशों में नहीं होतीं । हमें इन बातों पर गहन दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। मैं इस बात का पूरा प्रयास करूंगा कि देश में गोली न चलाई जाये—यदि सभी राजनैतिक दल हिंसा के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दें । वे अपने सीधी कार्यवाही जिसे वह सत्याग्रह कहते हैं इन तरीकों से प्रशासन को ठप्प करने की आदत को छोड़ दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं नहीं जानता कि क्या यहां एक न्यायधीश का निर्णय पढ़ना ठीक होगा जिसे कि गोली चलाने के एक कांड की जांच करने के लिये त्रावनकोर-कोचीन में नियुक्त किया गया था। उसने बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया था। वैसे तो मैंने सब बातें बता दी हैं किन्तु उनकी भाषा स्पष्ट तथा दलीलें घर कर जाने वाली हैं। वह न्यायाधीश वहां की प्रजा समाजवादी सरकार ने नियुक्त किया था।

मैं नहीं जानता कि विरोधी सदस्यों को किस बात से चोट पहुंची है—मैं तो समझता था कि न्यायाधीश की बात से उन्हें विश्वास होगा। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि प्रजा समाजवादी सरकार ने स प्रश्न पर एक समिति भी बिठाई थी। उन्होंने यह निर्णय किया था कि गोली चलाना बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि जो नियम हमने बनाये हैं वह युक्तियुक्त हैं। उन्होंने केवल इतनी बात कही थी कि जब कभी भी गोली चलाई जाये तो उस कांड में न्यायपालिका की एक जांच होनी चाहिये। शेष बातों के बारे में कोई भी अन्तर नहीं था।

†**श्री नाथ पाई :** जिस समिति का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है उस द्वारा बनाये गये नियम हमारे पास हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं तो यही बता रहा हूं कि उन्होंने इस बात से सहमति प्रकट की है कि जो नियम इस विषय पर हमने बनाये हैं वह ठीक हैं किन्तु वास्तविक महत्व तो उन्हें लागू करने का है। केवल नियम बनाये जाने से ही तो यह बात नहीं हो जाती कि उन्हें ठीक ढंग से भी लागू किया जायेगा। नियमों की इस प्रकार से भी लागू किया जा सकता है जिस प्रकार से नियम बनाने वाले की कभी इच्छा ही न रही हो। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। किन्तु वास्तव में उन्होंने ऐसा माना।

अब हमने कुछ हिदायतें दी हैं। मैं अब भी विरोधी दल के माननीय सदस्यों से यह सलाह करने को तैयार हूं कि ऐसे मामलों में क्या किया जाये। जहां तक मेरा अपना संबंध है मैं यह आश्वासन देने को तैयार हूं कि यदि हिंसात्मक कार्यवाही छोड़ दी जाये तो हम इस बात को देखने के लिये यह प्रयास करेंगे कि कहीं गोली न चले।

इसके बाद जो काम सेवाओं के पुनर्गठन के संबंध में तथा नयी प्रक्रियायें बनाने के बारे में हमने किया है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सचिवालय, संलग्न दफ्तरों तथा अधीनस्थ दफ्तरों को दक्षता से चलाने के लिये हम प्रत्येक प्रयास करते रहे हैं। काम की वृद्धि के कारण हमने अधिक पदाधिकारियों को भर्ती करने का निर्णय किया है। आपात भर्ती के रूप में हम बहुत से लोगों को सामान्य जनता से अफसरों के पदों पर भर्ती कर रहे हैं—और भी हम कई कार्यवाहियां कर रहे हैं।

इस बात को सिद्ध करने के लिये कि हमारी सेवाओं ने क्या किया है मैं केवल दो बातों का ही उल्लेख करूंगा। राज्यों के पुनर्गठन का मामला बहुत बड़ा मामला था। किसी दूसरे देश में भी हमारे देश को तो छोड़ दीजिये जोकि इतना बड़ा है—राज्यों का पुनर्गठन इतनी सफलता से इतने थोड़े समय में होना संभव नहीं था। यह गत वर्ष किया गया था।

इसी समय हमें चेतावनी दी गई थी जब हमने कहा था कि हम निर्वाचन निश्चित तिथियों पर ही करवायेंगे। विरोधी सदस्य सोचते थे कि ऐसा होना असंभव है और यह व्यर्थ की बात है। किन्तु हमने कार्य किया और निर्वाचन कराये और बड़े शांत तथा सुव्यवस्थित तरीके पर वह निर्वाचन सम्पन्न हुऐ। यह एक बड़ा ऊंचा काम था और इस काम में सफलता हमारे कर्मचारियों के कारण ही हमें मिली। जिस निष्पक्षता तथा दक्षता से हमारे कर्मचारियों ने काम किया उसकी सभी लोग सराहना करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पं० गो० ब० पन्त]

इसलिये जब हम उनकी त्रुटियां देखते हैं हमें उनकी खूबियां भी देखनी चाहियें। यदि आप हर अच्छी चीज को वैसे ही लेंगे तब उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा और आखिर हमें ही दुख उठाना पड़ेगा ।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के बारे में भी कुछ कहा गया है। मैं तो यह समझता हूं कि हम उनके ऋणी हैं। जो कुछ भी हम उनके लिये करते हैं हम एक प्रकार से उनका ऋण चुकाते हैं। इसलिये जो भी हम उनके लिये कर सकें हमें करना चाहिये। मेरा तो यही सिद्धांत रहा है।

इस संबंध में मंत्रालय ने जो कुछ किया है मैं उसके संबंध में बताऊंगा और मुझे आशा है कि उसे जानकर मंत्रालय का कटु आलोचक भी संतुष्ट हो जायेगा और यह समझेगा कि हमने इनके लोगों के प्रति यथासंभव कार्य किया है।

जो परिपत्र बम्बई सरकार ने जारी किया है उसके बारे में भी कहा गया था —अर्थात् जिन्होंने अनुसूचित जातियों को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है । उनकी स्थिति क्या है ? हम किसी प्रभाव में तो हैं नहीं। किन्तु इस मामले में कानून स्पष्ट है और मैं नहीं समझ सकता कि जो बात संसद ने स्वयं रखी है उसकी अवहेलना हम कैसे करें। जब पहले मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था तब भी मैंने पढ़कर बता दिया था। इस सभा द्वारा पारित अधिनियम में स्पष्टतः लिखा हुआ है कि केवल उन्हीं लोगों को अनुसूचित जातियों के सदस्य समझा जायेगा जो कि हिन्दू धर्म को मानते हैं। जिन लोगों ने हिन्दू धर्म छोड़ दिया है और बौद्ध बन गये हैं वह अपने आप को हिन्दू कहलवाना ही नहीं चाहेंगे। मैं नहीं जानता कि वह किसी आत्मिक बात से प्रभावित हों। मैं समझता हूं हिन्दू धर्म से घृणा के कारण तो वह बौद्ध धर्म से प्रेम करते हैं—शायद यह बातें राजनैतिक कारणों से होती हों—किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से ही धर्म परिवर्तन करे—खैर हमारा संबंध इससे नहीं है। यहां कानून बिल्कुल स्पष्ट है।

संविधान के तत्संबंधी अनुछेदों का उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद संख्या ३४१ तथा ३४२ इस मामले से संबंधित हैं और अनुच्छेद ३४२ के उपबन्धों के अनुसार इस संसद में स्पष्ट तथा दृढ ढंग से यह नियम बनाया था कि :

> "कंडिका (२) में कसी उपबन्ध के रहते हुए—कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू या सिख धर्मों के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को मानता है अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जायेगा।"

इन हालात में किसी भी सहानुभूति या विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक बौद्धों का संबंध है कानून स्पष्ट है और हमने तो इस सभा का आदेश पालन करना है। जब इसमें कहा गया है कि केवल हिन्दू तथा सिख धर्म को मानने वाले ही अनुसूचित जातियों के सदस्य हो सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि बीच में मैं कसे "बौद्ध" शब्द को जोड़ दूं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कानून बदला भी जा सकता है। किन्तु जब तक कानून इसी तरह का है तब तक क्या किया जाये। बौद्ध मत वालों में जो लोग पिछड़े हुए हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है उन्हें पिछड़े वर्गों के समान सुविधायें दी जायेंगी। किन्तु जो विशेषाधिकार अनुसूचित जातियों के लोगों को हैं वह तो उन्हें नहीं दिये जा सकते। कानून ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता। किन्तु उन्हें पिछड़े वर्गों की सी रियायतें दी जा सकती हैं।

आदिम जातियों के बारे में भी कुछ कहा गया था। यह कहा गया था कि अनुसूचित आदिम जातियों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जातीं। यद्यपि मुख्यता यह काम राज्यों का है किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है हमने यह स्वीकार कर लिया है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कालेजों आदि में पढ़ने के लिये छात्रवृत्तियां दें। शिक्षा मंत्रालय यह छात्रवृत्तियां देता है और लगभग १ करोड़ रुपया व्यय होता है। इस लिये इस बात को जिसने भी कहा गलत कहा है। किन्तु हम इस से भी ज्यादा करना चाहेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है हमारे हां अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के बोर्ड हैं। मैं अभी यह सोच रहा था कि क्या अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के यह बोर्ड अपनी छोटी समितियां बनायेंगे ताकि वह इन के कामों से संबंधित रहें और यह देखें कि जो भी उपबन्ध इन लोगों के लिये किया जाता है उससे इनको पूरा पूरा लाभ होता है। इस समय एक कठिनाई है। कई बार तो नियत की गई राशि व्यय हो जाती है—कभी व्ययगत हो जाती है। हम चाहते हैं कि पूरी राशि खर्च की जाये ताकि लाभ भी ठीक ही हो। पूरा पूरा व्यय किया जाये। मैं बोर्डों के सामने यह सुझाव रखता हूं—और उस पर विचार करना उनका काम है।

भ्रष्टाचार के संबंध में भी कहा गया। भाग्य से इस बार यह शब्द यहां अधिक बार सुनाई नहीं पड़ा। सरकार यथाशक्ति प्रयत्नशील रही है। कई बातें की गई हैं और एक संशोधित विधेयक भी पारित किया था और एक विधेयक इस वर्ष पुरस्थापित किया जायगा। निगरानी विभाग को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और अकेली दिल्ली के मामलों की देखरेख करने के लिये एक भ्रष्टाचार विरोधी दल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपने निगरानी विभाग प्रतिवेदन तो देखा होगा। आप देखेंगे कि बहुत से गजेटिड तथा उच्चाधिकारियों पर अभियोग चलाये गये तथा उन्हें दंड दिया गया और उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही भी की गई।

अतः मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस संबंध में मेरी सहायता करें। यदि इसका कुछ लाभ हो सकता है तो मैं सभी दलों के सदस्यों की एक छोटी समिति बनाने के लिये तैयार हूं जो कि सेवाओं में से भ्रष्टाचार को पूर्णतः दूर करने में मेरी सहायता करें। कम से कम इस मामले में भेदभाव का कोई कारण नहीं होना चाहिये। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार न हो और प्रत्येक काम शुद्ध ढंग से किया जाये। अतः हम सब इस कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। निस्संदेह हममें से प्रत्येक को बड़े उचित और उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उन समस्याओं की जांच करनी है जिन्हें हमें हल करना है क्योंकि भ्रष्ट व्यक्तियों को समाप्त करते हुये हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं निरापराधियों का दलन न हो जाये। अतः हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी कार्यवाही करें वह उचित हो और किसी निर्दोष को हानि न पहुंचे।

यहां कई प्रश्न पूछे गये हैं। मेरे पास इनकी लम्बी चौड़ी सूची है परन्तु, समय समाप्त हो गया है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों के लिये उनका आभारी हूं। मुझे जो सदस्यों का समर्थन मिला है उस पर मैं बहुत ही हर्षित हूं और गृह मंत्रालय सभा के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इसके मामलों की चर्चा में स्नेह तथा उदारता से काम किया है।

यहां एक माननीय सदस्य के अन्तर्राज्यिक बिक्री कर के प्रश्न की ओर निर्देश किया था। हमने इस विषय की जांच की है और हम अनुभव करते हैं कि दिल्ली मुख्यत: एक वितरणकेन्द्र है और दिल्ली राज्य को वस्तुतः अन्तर्राज्यिक बिक्री कर में कुछ रियायत दी जा सकती है।

अन्य राज्य भी आयात की गई वस्तुओं के निर्यात का कार्य करते हैं परन्तु वे आयात की गई वस्तुओं का बहुत थोड़ा भाग ही बाहर भेजते हैं। यहां दिल्ली से बहुत अधिक माल निर्यात किया जाता है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि अन्य राज्यों में कभी कभी कच्ची सामग्री का

[पंडित गो० ब० पन्त]

आयात होता है जिस पर उन्हें कर देना पड़ता है और संभवतः स्थानीय कर भी देना पड़ता है। परन्तु हर बात की ओर ध्यान देते हुये, हम अनुभव करते हैं कि कोई ऐसा उचित प्रबन्ध किया जा सकता है जिस से पड़ोस के राज्यों को हानि पहुंचाये बिना ही दिल्ली के व्यापार को सहायता मिल सके। तदनुसार हम ने निश्चय किया है कि दिल्ली राज्य के एक पंजीबद्ध व्यापारी से दूसरे पंजीबद्ध व्यापारी को जाने वाले माल पर जो एक रुपया लिया जाता है उसे कम कर के आठ आने कर दिया जाये।

यह रियायत विलास की वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जिनका उल्लेख दिल्ली बिक्री कर अनुसूची में किया गया है और जिस पर दिल्ली में एक आना रुपया कर दिया जाता है। गत चार छः सप्ताह में इन वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। आयात वस्तुओं के अभाव के कारण, आयात की गई वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के मूल्य जो आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकती हैं, पहले ही बहुत बढ़ गये हैं और बढ़ रहे हैं। अतः मैं समझता हूं कि विलास की वस्तुओं पर जो आठ आने रुपया रियायत नहीं दी जा रही उससे किसी को हानि नहीं होगी। यह रियायत १ जुलाई १९५७ से लागू होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा। कटौती प्रस्ताव संख्या २०० में महा गुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र के एकभाषाभाषी राज्यों के न बनाये जाने का उल्लेख किया गया है। यह कटौती प्रस्ताव नियम विरुद्ध है। जो अधिनियम संसद् द्वारा पारित हो चुका है उसके विरुद्ध कार्य करने अथवा उसका उल्लंघन करने के लिये सरकार से नहीं कहा जा सकता। मैं इस कटौती प्रस्ताव को नियम विरुद्ध ठहराता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ५१ से ६३ और १२० मतदान के लिये रखी गई।

सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में १५६, विपक्ष में ५४।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निम्न मांगें स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
५१	गृह कार्य मंत्रालय . .	१,५३,८१,०००
५२	मंत्रिमंडल	२१,३३,०००
५३	प्रादेशिक परिषदें . . .	२,६३,०००
५४	पुलिस	३,००,९९,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
५५	जनगणना . . .	४,९५,०००
५६	देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२,५६,०००
५७	दिल्ली .	४,०९,२९,०००
५८	हिमाचल प्रदेश .	२,७२,६०,०००
५९	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह .	१,५९,९९,०००
६०	मनीपुर	८६,०६,०००
६१	त्रिपुरा	१,३९,३९,०००
६२	लक्क द्वीप, मिनीकोय और अमीन द्वीप, द्वीप समूह	८,५५,०००
६३	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विधि विभाग तथा व्यय	६,६१,६४,०००
१२०	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	१,३०,०२,०००

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

†अध्यक्ष महोदय : सभा अब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या १, २, ३, ४, ५ और १०४ पर चर्चा करेगी। माननीय सदस्य १५ मिनट के अन्दर उन कटौती प्रस्तावों की संख्या पटल पर दे दें, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं उन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत समझूंगा।

वर्ष १९५७–५८ के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय .	*५०,५१,०००
२	उद्योग . . .	*२४,६३,३६,०००
३	नमक . . .	*१,४९,१७,०००
४	वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े .	४८,३१,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१,४३,६८,०००
१०४	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	*१४,१९,०१,०००

†मूल अंग्रेजी में

* नमें २६ मार्च, १९५७ को स्वीकृत लेखा अनुदान की राशियां भी सम्मिलित हैं।

†श्री वें० प० नायर : (क्विलोन) : इस मंत्रालय के बहुत से विषयों में से मैं थोड़े से विषयों को ही लूंगा ताकि सभा उस पर ध्यान केन्द्रित कर सके।

सबसे पहले मैं विदेशी व्यापार को लेता हूं। गत वर्ष विदेशी व्यापार में २९२.५ करोड़ रुपये का घाटा रहा है और २१९ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि से मांग की गई है। मैं सरकार से इस बात पर सहमत नहीं कि यह आयात में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण हुआ है। विश्लेषण से मैं यह समझता हूं कि यह सरकार की गलतियों के कारण ही है।

विदेशी व्यापार में विभिन्नता लाने की बात चीत होती रही है परन्तु हमने वस्तुतः उस दिशा में कुछ भी नहीं किया। गत पांच या छः वर्षों के आंकड़ों से पता लगता है कि हमारा आयात और निर्यात प्रायः एक ही क्षेत्र में एक प्रकार का होता रहा है। हमारे सारे आयात में से ८४.३ प्रतिशत डालर क्षेत्र स्टर्लिंग क्षेत्र और ओ० ई० ई० सी० देशों में हुआ है। निर्यात भी ओ० ई० ई० सी०, स्टर्लिंग तथा डालर क्षेत्रों में से किया गया है। स्टर्लिंग क्षेत्र के आयात और निर्यात के आंकड़े भी प्रायः वही हैं।

इस प्रकार व्यापार में विभिन्नता लाने की बात चीत और निर्यात व्यापार के लिये राज्य का संगठन होते हुये भी प्रथम योजना के आरम्भ से व्यापार नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और विकास कार्यों में देश की आवश्यकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो कतिपय देश हमें माल भेजते हैं उन्होंने गतवर्षों में हमसे बहुत कम माल लिया है। उदाहरणतः इटली हम से ४.७७ करोड़ का माल लेता है और हम उससे २१.८३ करोड़ रुपये का माल लेते हैं। यही स्थिति स्विटज़रलैंड, अमरीका, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी आदि की है। यह विश्लेषण रक्षित बैंक के मुद्रा तथा वित्त संबंधी प्रतिवेदन और सरकारी प्रकाशनों के आधार पर है।

ये देश ऐसे हैं जिन्हें विदेशी मुद्रा ही देनी पड़ती है। अन्य ऐसे देशों के साथ, जो भारतीय रुपया स्वीकार करते हैं, हमारा व्यापार बढ़ा तो है परन्तु व्यापार की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मुझे पता नहीं कि इस का कारण क्या है।

राज्य व्यापार निगम मुख्यतः व्यापार बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। परन्तु वह क्या कर रहा है ? वह सार्थों के लिए दलाली का काम करता है। उनसे कुछ कमीशन लेकर और लाइसेंस आदि की व्यवस्था करके वह विदेशों से माल मंगवा कर उन्हें देता है। इसके प्रमाण के लिए निगम द्वारा एक सार्थ को लिखा गया पत्र मेरे पास है। मैं माननीय मंत्री को उसे दे भी सकता हूं।

आंध्र राज्य के पास बाहर भेजने के लिए काफी तम्बाकू है। रूस ने यह तम्बाकू खरीदना स्वीकार कर लिया था परन्तु निगम की निगरानी के बावजूद एक सार्थ को इस का पता लग गया और उस ने सारा तम्बाकू खरीद लिया। इस से किसानों को पिछले वर्षों से भी कम पैसे मिले। मैं इस बात के लिए उत्सुक हूं कि इस प्रकार का लाभ दलाल को मिलने की बजाये किसानों को मिलना चाहिये। क्या इस निगम की यही नीति है कि साठेबाज़ों और मुनाफाखोरों को ही लाभ पहुंचाया जाए ?

मैं जानता हूं कि आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है और खुली सामान्य विज्ञप्ति को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु यह काम बहुत देर से किया गया है जब कि एकाधिकारी व्यापारियों ने विदेशी मुद्रा को हथिया लिया है। हमारी आलोचनाओं की कोई परवाह नहीं की गई थी और ही

†मूल अंग्रेजी में

बात हुई जिस की आशा हम दो तीन वर्ष पूर्व करते थे। हमारी आयात नीति ऐसी रही है कि आप बम्बई दिल्ली या कलकत्ता में जा कर देखें तो पता लगेगा कि सारा बाजार ऐसी आयातित वस्तुओं से भरा पड़ा है जिन की आवश्यकता जन साधारण को नहीं है।

प्राय: देश भर में मद्य निषेध है परन्तु मद्य के आयात के आंकड़े वर्ष प्रति वर्ष बढ़ ही रहे हैं।

विदेशी मुद्रा व्यर्थ व्यय की जा रही है और इस का कारण यही है कि इस विषय में हमारी कोई सुनिश्चित योजना नहीं है। मैं इसका उल्लेख करना नहीं चाहता। परन्तु मैंने देखा है कि अप्रैल से सितम्बर १९५६ तक सरकारी लेखों में आयात में वृद्धि हुई है। कहा जाता है कि इस का सम्बन्ध पूंजीगत वस्तुओं के विनियोजन से है। यह सत्य नहीं है। संभवत: इस अवधि में २२.५ करोड़ रुपये की वृद्धि खाद्यान्न के आयात के कारण हुई है। गैर सरकारी लेखे में आयात बहुत हुआ है। १२१.५ करोड़ रुपये के गैर सरकारी आयात में से ज्यादा से ज्यादा ७० करोड़ रुपये का पूंजीगत माल आया होगा। रक्षित बैंक के प्रतिवेदन पर आधारित मेरे हिसाब से तो शेष ५२ करोड़ रुपये उपभोग की अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर व्यय हुआ है। विकास की वस्तुओं के आयात के प्रति इतना अधिक उदार होने के कारण आप को आवश्यक वस्तुओं का आयात कम करना पड़ा। आखिर इस का कारण क्या है।

हमें इस विषय पर चुप नहीं रहना चाहिये। इस से हमारा देश विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विकट संकट में फंस गया है। सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो अपराधियों को ढूंढ कर उन्हें दंड दिलाए। मैं नहीं कह सकता हूं कि यथासंभव अधिकाधिक विलास की वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है। योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना ही हमें २५० से ३०० करोड़ रुपये के घोटे का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी वे उन देशों के साथ व्यापार करने के लिए तैयार नहीं जो रुपये में भुगतान स्वीकार करते हैं।

आज रुपये का महत्व है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभी देशों से वार्ता द्वारा रुपये में भुगतान को स्वीकार करवाएं। इस से हमें अपने निर्यात और आयात किये जाने वाले माल के मूल्यों का दीर्घ कालीन आधार पर पता लग जायेगा।

विदेशी मुद्रा के व्यर्थ गंवाने का एक उदाहरण लीजिए : हो सकता है इस मंत्रालय का इससे विशेष सम्बन्ध न हो। गत मार्च में ही मेंगनेसाइट सिंडीकेट लिमिटेड ने मेंगनेसाइट की खुदाई का पट्टा कलकत्ता की बर्न एण्ड कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया और यह करार हुआ कि इसके बदले १००,००० पाउंड उन्हें लंदन में दिये जायेंगे। कुछ संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर मद्रास सरकार ने आदेश दिया कि यह हस्तांतरण नहीं होने दिया जायेगा। परन्तु यह हस्तान्तरण अन्त में हो गया। संभवत: बाद में भारत सरकार ने मद्रास सरकार से कहा कि वह अपने आदेश वापस ले ले। ऐसी बातें होती हैं। मेरा अभिप्राय तो उस भारी रक़म से है जिसका भुगतान लन्दन में होगा।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : इस का इस मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं। हम अन्य बातों पर व्यर्थ समय गंवा रहे हैं।

†श्री वें० प० नायर : मैं पूछता हूं कि जिस मामले में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा किये गये निर्णय के विरुद्ध निर्णय किया गया, क्या आपके उस का ज्ञान है ?

†श्री मुरारजी देसाई : मुझे इस का पता नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वें० प० नायर : हमारे व्यापार में विभिन्नता लाने में और कठिनाइयां भी हैं । एक बहुत बड़ी समस्या नौवहन की है जिसके विकास के बिना बड़ी हानि हो रही है । इस पर ७.५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की यजाए हम १४ करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं । इस का प्रभाव हमारी विदेशी मुद्रा पर बहुत अधिक पड़ता है । मैं तो लोहा और इस्पात की बजाए नौवहन में पूंजी लगाना अधिक लाभप्रद समझता हूं । मोटर गाड़ी उद्योग से हमें बहुत आशा थी । वस्तुतः द्वितीय योजना की सफलता मोटर द्वारा माल के परिवहन पर बहुत कुछ निर्भर करेगी । इस उद्योग की क्या स्थिति है ? इस उद्योग को १९२३ से संरक्षण दिया जा रहा है । हमें प्रसन्नता है कि इस उद्योग में यदि हम ने प्रगति नहीं की है तो कम से कम अवनति भी नहीं की है । पर खेद है कि कुछ भारतीय संस्थायें ऐसी हैं जिन्होंने विदेशी फर्मों की सभी शर्तें मान ली हैं । इस सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में सब कुछ सविस्तार दिया है ।

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, केवल माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष मोटरगाड़ियों का उत्पादन गत वर्ष से ४० प्रतिशत बढ़ गया है ।

†श्री वें० प० नायर : यह ४० प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि का प्रश्न नहीं है; प्रश्न यह है कि आपका उत्पादन है क्या ? बहुत से कारखानों में केवल आयात की हुई सामग्री ही है । लैण्डमास्टरर्स तथा हिन्दुस्तान मोटर्स में वास्तव में उत्पादन होता है । पुर्जों के उत्पादन का लक्ष्य कभी पूरा नहीं किया गया । यह सब बातें प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में दी गई हैं । यदि मैं गलत कह रहा हूं तो वह मेरी बात ठीक कर सकते हैं । डीजल इंजनों की अवस्था क्या है ? क्या केवल २५०० डीजल इंजनों से हमारा काम चल जायेगा ? साइकिल उद्योग की ओर भी मंत्रालय के प्रतिवेदन में विशेष ध्यान दिया गया है । साइकिलों को युगांडा तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों में निर्यात की काफी गुंजाइश है । परन्तु रैले साइकिल और सेन साइकिल वालों के करार के अनुसार रैले और सेन साइकिलों को भारत के बाहर केवल पाकिस्तान और नेपाल में ही निर्यात किया जा सकता है । इसी प्रकार हरक्युलिस कम्पनी की साइकिलें भी । भारत से बाहर केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही बिक सकती हैं । परन्तु क्या हम नहीं जानते कि आज की आर्थिक हालत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल इतनी साइकिलें नहीं खरीद सकते ? हम देखते हैं कि साइकिल निर्माण के करारों में निर्यात पर कितनी पाबन्दी है । सरकार ने उनको हटाने के लिये क्या किया है ?

मैं केवल दो सुझाव देना चाहता हूं । सरकार को विदेशी विनिमय से सम्बन्धित सारे व्यापार को गैर सरकारी संस्थाओं के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए । राज्य व्यापार निगमों की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए । सरकार को चाहिए कि वह ऐसे निगमों को विदेशों से व्यापार करने की अनुमति दे यदि यह निउम स्वयं विदेशों से व्यापार करना शुरू कर देंगे तो उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ होगा ।

मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि हमें आयात कम कर देना चाहिए; चीजों के लिये लम्बी अवधि के करार करने चाहिए । हमें ऋण मांगने की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए । यदि हम डालरों और पौंड पावने पर ही आश्रित रहेंगे तो अवस्था अच्छी नहीं हो सकती और सभी लोग हमारी आलोचना करने लग जायेंगे जिससे योजना के लिये भी कठिनाई पैदा हो जायेगी ।

†श्री शंकर पांडियन : (टंकासी) : अब तक हमारी विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति काफी सन्तोषजनक थी और सरकार ने आयात की अनुज्ञप्तियां देने के सम्बन्ध में काफी उदार नीति अपनाई

†मूल अंग्रेजी में

थी। ७० करोड़ रुपये की तो चीनी का ही आयात हो गया। इस नीति के कारण विदेशी विनिमय की स्थिति खराब हो गयी। और इस सम्बन्ध में कड़ी जांच करनी चाहिए कि हमारे विदेशी विनिमय की स्थिति खराब होने में क्या क्या बातें उत्तरदायी हैं। यह अच्छी बात है कि इस समय सरकार देश के आर्थिक कार्यकलापों की ओर काफी ध्यान दे रही है। सरकारी क्षेत्र काफी विस्तृत हो रहा है। परन्तु इसमें निजी क्षेत्रों की योग्यता और सरकारी ढंग का निरीक्षण रखा जाये तो बहुत ही अच्छा परिणाम होगा। स्वतन्त्र निगम निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आर्थिक और व्यापारी लाइनों पर काम चलाया जाय और सरकारी ढंग पर काम को निबटाने में बेकार विलम्ब न किया जाये।

देश की अर्थ व्यवस्था में छोटे उद्योग बड़ा स्थान रखते हैं। और यह गत ७०, ८० वर्ष से चल रहे हैं और स्थानीय आवश्यकताओं को बड़े अच्छे ढंग से पूरा कर रहे हैं। इनसे बेरोजगारी भी कम हो गई है। जापान ने छोटे उद्योगों द्वारा ही इतनी उन्नति की है। कई बार इन उद्योगों में रोजगार की अवस्था बड़े उद्योगों से अच्छी रहती। यह बात अच्छी है कि सरकार भी इस ओर समुचित ध्यान दे रही है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इसके लिए ५५ करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जब कि प्रथम योजना में यह रकम केवल ५ करोड़ रुपये थी। परन्तु यह रकम भी काफी नहीं है। छोटे उद्योगों में आधुनिक मशीनों वगैरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए ऋण की सुविधायें दी जानी चाहिएं, जो कि छोटी छोटी किश्तों में वापिस लिया जाये। सरकार की नीति के अनुसार मशीनों के लिए केवल ६० प्रशित व्यय सरकार द्वारा मिलने की व्यवस्था है। मेरे विचार में इसे ९० प्रतिशत कर देना चाहिए। फिर, १५००० रु० से ऊपर की मशीन की खरीद के लिए दिये गये ऋण पर सरकार ६ प्रतिशत ब्याज ले रही है। ब्याज की यह प्रतिशत बहुत अधिक है और साथ ही कर्जे के भुगतान की अवधि दस वर्ष तक कर दी जानी चाहिए और पहली किश्त की अदायगी उत्पादन आरम्भ होने के एक वर्ष बाद ली जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि औद्योगिक क्षेत्रों में दिये गये ऋणों पर ब्याज ४ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

छोटे उद्योगों को कच्चा माल भी उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त नहीं होता। योजना के हित की दृष्टि से सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि कारखानों को ठीक ढंग से कच्चा माल मिलता रहे। अन्त में मेरा कहना है कि छोटे उद्योगों के बोर्ड में अधिकारियों का ही बोलबाला है। ४४ सदस्यों में से केवल ५ गैर सरकारी सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें और गैर सरकारी सदस्य लिये जाने चाहिए।

सरकार ने बिजली की मोटरों के आयात को बिल्कुल रोक दिया है यह बात ठीक नहीं है। कृषि के कामों को इससे हानि पहुंचती है। मद्रास सरकार द्वारा १५,००० मोटरों की मांग पर केन्द्रीय सरकार ने केवल ७०० मोटरें खरीदने की आज्ञा दी है वह भी एक विदेशी समवाय द्वारा। मोटरों के साथ उनके काम में आने वाले कुछ पुर्जों के आयात की अनुमति नहीं दी गई है। इन पुर्जों के बिना मशीनें अधूरी रहेंगी। यह बात ठीक नहीं है।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा (पालामऊ) : यह प्रथम अवसर है जब कि विरोधी दल के सदस्यों ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की वैसी आलोचना नहीं की जैसी कि हमेशा होती आई है। वे हमेशा ही विदेशी सहायता की आलोचना करते हैं। कुछ कांग्रेसी सदस्य भी ऐसा करते रहे हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि पिछड़े हुए देश को ऐसा करना ही पड़ता है। रूस और चीन जैसे देशों को भी अपनी योजनाओं के लिए विदेशों से सहायता लेनी पड़ी थी।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा]

हम किसी प्रकार की गुटबन्दी के समर्थक नहीं और हम सभी पक्षों की सहायता लेने को तैयार हैं। समय के साथ साथ हम रूस से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। हम ने हमेशा कहा है कि हम सभी देशों से व्यापार करने को तैयार हैं। हम हर विदेशी सहायता का स्वागत करते हैं परन्तु वह बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। हमारी यह स्पष्ट नीति है कि द्रुत औद्योगीकरण के लक्ष्य के लिये हम विदेशी विनियोजकों को पूरी सुविधायें देने का प्रयत्न करते हैं।

कुछ मित्रों ने इस बात की आलोचना की है कि सरकारी क्षेत्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। परन्तु यह तो आरम्भ से ही हमारी औद्योगिक नीति का लक्ष्य रहा है। और गैर-सरकारी क्षेत्र योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में भी असमर्थ है। आज की हालत यह है कि कोई गैर सरकारी उपक्रम सरकार की सहायता के बिना चल ही नहीं पाता। और सरकारी क्षेत्र में तो इस समय वे उद्योग लिये जा रहे हैं जिन से एक दम कोई लाभ होने की आशा भी नहीं है। सीमेन्ट उद्योग शायद इस क्षेत्र में अगला कदम हो।

कई बार इस सभा में यह आलोचना की जाती है कि सरकारी क्षेत्रों से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। ध्यान रहे कि गैर सरकारी क्षेत्रों का उत्पादन केवल लाभ की दृष्टि से ही होता है। यह भी ठीक ही कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में उचित प्रबन्ध की कमी है परन्तु सरकार की कठिनाई यह है कि एक दम से प्रबन्ध योग्यता वाले व्यक्ति नहीं लाये जा सकते। प्रबन्ध करने वाले कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। परन्तु सरकार को शीघ्र ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। 'चितरंजन' और 'हिन्दूस्तान एथर क्रेफ्ट' जैसे सरकारी उद्योगों को प्राविधिक योग्यता वाले लोग बहुत ही अच्छी प्रकार चला रहे हैं। हमें इस काम के लिये भी एक विशेष पदाली बनानी चाहिए, और लोगों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजना चाहिए, ताकि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को वे अच्छी प्रकार चला सकें।

सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों पर एक आरोप यह भी लगाया गया है कि उनमें उत्पादन की लागत बहुत अधिक है। अन्य देशों में भी ऐसा ही अनुभव किया गया है। परन्तु हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस खर्चे को कम करें। यह सारा व्यय हम विदेशों से ऋण लेकर कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि ऋण चुकाने के समय हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

मैं छोटा नागपुर के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यद्यपि वहां खनिज पदार्थों की मात्रा बहुत है, परन्तु लोगों के जीवनस्तर की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। देश में सब से अधिक गरीब लोग इस क्षेत्र में हैं। प्रसन्नता की बात है हाल ही में मंत्री महोदय रांची में एक भारी मशीनरी संयंत्र लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उन से यह निवेदन करेंगे कि कोयला इस्पात और दूसरे बहुत से कच्चे माल यहां उपलब्ध हैं। इसलिए आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी यहां भारी उद्योगों को चालू किया जाना उचित ही रहेगा।

हम बिहार के लिये इस्पात संयंत्र का प्रयत्न कर रहे थे। पर वह संभव नहीं हो सका। बाद में श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने यह वायदा किया कि चौथा इस्पात संयंत्र दामोदर घाटी परियोजना के नजदीक छोटा नागपुर में ही लगाया जायेगा। परन्तु पता नहीं कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है। कुछ भी हो, हमें अपनी घोषित नीति से हटना नहीं चाहिए।

इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन अधिक नहीं हो सकता, इसलिए इस क्षेत्र के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिये हमें छोटे उद्योगों की व्यवस्था करनी होगी। प्रसन्नता की बात है कि रांची में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहा है। छोटे उद्योगों की मुख्य कठिनाई वित्त तथा बड़े उद्योगों से मुकाबला है। जब तक इसके सम्बन्ध में कुछ किया नहीं जायेगा छोटे उद्योगों

का पनपना सम्भव नहीं । हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि जो चीजें छोटे उद्योग बनायेंगी, उनका उत्पादन भारी उद्योग नहीं करेंगे । इसी प्रकार ही छोटे उद्योगों का विकास सम्भव है ।

†श्री बासप्पा (तिपतुर) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बहुत जोर दिया जाता है। मंत्रालय का उत्तरदायित्व भी बढ़ रहा है, और यह प्रगति का चिन्ह है। इस समय देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच एक कसमकस चल रही है। कहा गया कि सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्रों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है जिससे सरकारी क्षेत्र अथवा देश किसी को भी लाभ नहीं हो सकता। जब हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना है तो हमें सरकारी क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान देना ही होगा। यद्यपि इसमें काफी कठिनाइयां हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इसे छोड़ दिया जाय। किसी किसी सरकारी उपक्रम में पूर्व क्षमता का उपयोग नहीं होता। हमें ध्यान देना चाहिए कि पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाय।

हमारे देश को भारी और छोटे दोनों प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता है। परन्तु रोजगार के प्रश्न को हल करने के लिये छोटे उद्योग बड़े जरूरी हैं। अतः दोनों में समुचित समन्वय होना चाहिये। मंत्री महोदय को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि देश में छोटे उद्योगों सम्बन्धी कार्यक्रम को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाय और देश के बेकार लोगों को इनमें लगने के लिये प्रेरित किया जाय।

एक और संघर्ष चल रहा है कि क्या अम्बर चरखा हमारी कपड़े सम्बन्धी सब आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हमें समुचित अवसर देकर इस प्रश्न को हल करना चाहिए। और इसके लिए अधिक धन स्वीकृत करना चाहिए। अन्य बात यह है कि क्षेत्रीय भेदभाव पैदा नहीं होने देना चाहिए और पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। उपभोग वस्तु उद्योगों को विभिन्न स्थानों पर चालू किया जाना जाहिये ताकि सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके।

सीमेंट की कमी है। मेरे क्षेत्र में अच्छे प्रकार के चूने के पत्थर की खानें हैं। और वहां सीमेन्ट का कारखाना खोला जा सकता है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। सहकारी आधार पर चीनी मिलों को आरम्भ करने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है। रेशम का काम भी हो सकता है, और यदि इसको समुचित सहायता और कर्जा दिया जाय तो सात सौ परिवारों को लाभ हो सकता है।

एक बार यह आश्वासन दिया गया था कि जंग न लगने वाले इस्पात का कारखाना यहां चालू किया जायेगा। इसके लिये भद्रावती के पास एक छोटा सा संयंत्र लगाना ठीक रहेगा। परन्तु पता नहीं क्यों इस विचार को छोड़ दिया गया। सरकार को यह कारखाना यहां अवश्य खोलना चाहिये। राज्य सरकार तो सहायता करना चाहती है परन्तु उसके वित्तीय साधन नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार ने २० करोड़ रुपये का वायदा किया था। अब इस रकम को घटाकर १४ करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुझे आशा है कि यह २० करोड़ की रकम में कमी नहीं की जायेगी ताकि मैसूर के औद्योगिक विकास के साथ साथ सारे देश में द्वितीय योजना सफल हो सके।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी (बेल्लौर): श्रीमान्, किसी देश की समृद्धि उसके उद्योगों तथा व्यापार ही से आंकी जाती है।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २१ अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २० अगस्त, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३९६१–८६

तारांकित प्रश्न संख्या — विषय

९६८ सोने का तस्कर-व्यापार ३९६१–६४
९६९ अनाथ और आवारा बच्चे ३९६४–६६
९७० पंजाब में सैनिक-गृह ३९६६–६७
९७१ प्रविधिक अनुभव के लिए विद्यार्थियों का आदान-प्रदान . . ३९६७–६८
९७२ रुपया तेल समवाय ३९६८–७०
९७३ राष्ट्रीय अनुशासन योजना . . ३९७१–७२
९७४ वेतनों में स्वेच्छा से कटौती . . ३९७३–७४
९७५ आयों में असमता ३९७४–७५
९७७ उच्च-शक्ति कोयला परिषद् . . . ३९७५–७७
९७८ खमरिया बाजार, जबलपुर . . ३९७७–७८
९७९ केरल में अभ्रक के संसाधन ३९७८
९८० चूने के पत्थर का पता चलना ३९७९
९८१ सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी दल . ३९७९
९८२ प्रादेशिक सेना . . . ३९८०
९८३ जनता पौलिसी ३९८१–८२
९८५ रुपये के स्थायीकरण के लिए ऋण . . . ३९८३–८४

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१५ ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ ३९८४–८५
१६ कोसी नदी में बाढ़ ३९८५–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३९८६–४००५

तारांकित प्रश्न संख्या

९७६ विदेशों में भारतीय ३९८६
९८४ इस्पात के स्प्रिंग तारों का आयात . . ३९८६
९८६ ओंडाल (बर्दवान जिला) हवाई अड्डा . . ३९८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९८७	भारतीय प्रशासन सेवा	३९८७
९८८	भंडारा में युद्ध-सामग्री कारखाना	३९८७–८८
९८९	राष्ट्रीय मूल शिक्षा केन्द्र	३९८८
९९०	वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती	३९८८
९९१	मनीपुर पहाड़ी क्षेत्रों में गांव पंचायतें	३९८८–८९
९९२	दुर्गापुर का होटल	३९८९
९९३	गोदावरी नदी क्षेत्र (बेसिन) में छिद्र करने का कार्य	३९८९
९९४	तीर्थमलइ में लौह अयस्क	३९८९
९९५	धर्मकोट में चूने का पत्थर	३९९०
९९६	ब्वाय स्काउट तथा गर्ल गाइड आन्दोलन	३९९०
९९७	बर्मा शैल तथा आसाम तेल समवाय की छात्रवृतियां	३९९०
९९८	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश	३९९१
९९९	वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण	३९९१
१०००	बरेली छावनी	३९९१–९२
१००१	जालीनोट	३९९२
१००२	दिल्ली विश्वविद्यालय में अग्निकाण्ड	३९९२
१००३	गोदावबरी नदी क्षेत्र का सर्वेक्षण	३९९३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७२९	आर्मी आर्डनेंस कोर में जमादार	३९९३–९४
७३०	चन्द्रकेतु गढ में खुदाई	३९९४
७३१	"हैपी ट्रेनिंग" डिप्लोमा	३९९४–९५
७३२	अनुसूचित जातियों का कल्याण	३९९५
७३३	दिल्ली में मोटर-दुर्घटनाएं	३९९५
७३४	अधिनियमों का अनुवाद	३९९५
७३५	उत्पादन शुल्कसम्बन्धी अपराध	३९९५–९६
७३६	ग्रामीण जनता के लिये शिक्षा पद्धति	३९९६
७३७	राइफल ट्रेनिंग	३९९६
७३८	भूमि का बन्दोबस्त	३९९७
७३९	उड़ीसा के खनिजों का निर्यात	३९९७
७४०	दिल्ली में सड़क-दुर्घटनायें	३९९७–९८
७४१	मंत्रियों के यात्रा भत्ते	३९९८
७४२	उत्कल विश्वविद्यालय की इमारत	३९९८
७४३	उड़ीसा में पुस्तकालयों व प्रयोगशालाओं का सुधार और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि	३९९९
७४४	उड़ीसा में बहु प्रयोजनीय स्कूल	३९९९
७४५	मंत्रियों के यात्रा भत्ते	४०००
७४६	खनन अनुज्ञप्तियां	४०००
७४७	तम्बाकू की फसल का विनाश	४०००
७४८	हरिजन कल्याण बोर्ड	४००१

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७४९	बम्बई में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	४००१
७५०	पश्चिमी एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध	४००१
७५१	दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्	४००१–०२
७५२	असिस्टेंट का नियमित अस्थायी संस्थापन	४००२
७५३	केरल में अनुसूचित जातियों के लिये अनुदान	४००३
७५४	त्रिपुरा में आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये होस्टल	४००३
७५५	एम० बी० बी० कालेज, अगरताला के प्रोफेसर	४००४
७५६	आन्ध्र में प्रादेशिक भाषाओं का विकास	४००४
७५७	दिल्ली के स्कूलों में अध्यापक	४००४
७५८	दिल्ली के स्कूलों में प्रशिक्षित ग्रेजुएट अध्यापक	४००५

राज्य-सभा से सन्देश ४००५–०६

(क) सचिव ने बताया कि राज्य-सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं:—

(१) कि राज्य-सभा नें १२ अगस्त १९५७ की बैठक में भारतीय उतराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित कर दिया है।

(२) कि राज्य-सभा ने १३ अगस्त, १९५७ की बैठक में न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित कर दिया है।

(ख) सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना भी दी कि राज्य-सभा नौ-सेना विधेयक, १९५७ को एक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है।

राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक—सभा पटल पर रखे गये ४०४६

सचिव ने राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(१) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक।

(२) न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक।

अविलम्बनीय लोक–महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४०४६

श्री सोनावाने ने यमुना नदी में हाल में आई बाढ़ की व्यापकता तथा उससे होने वाली सम्पत्ति तथा फसल की हानि तथा बाढ़ पीड़ित लोगों को इस मुसीबत से बचाने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिये सरकार द्वारा अब तक किये गये विशिष्ट उपायों की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और निरोध के बारे में सूचना ४०४७

अध्यक्ष ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें जयपुर नगर के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, पुलिस से दिनांक १६ अगस्त, १९५७ का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें

पृष्ठ

उन्होंने सूचना दी है कि संसद् सदस्य श्री हरिश्चन्द्र शर्मा को भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०९ के अधीन अपराध करने के लिये गिरफ्तार किया गया है और वह इस समय जयपुर सैंट्रल जेल में रखे गये हैं।

अनुदानों की मांगें . . . . . ४००७—४९

गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर आ चर्चा समाप्त हुई। मांगों पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में १५६, विपक्ष में ४५। मांगे पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, २१ अगस्त, १९५७ के लिये कार्यावलि —

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा।

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।